खण्ड-108, अंक-2
बुधवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(3 सितम्बर, 1952 ई0)

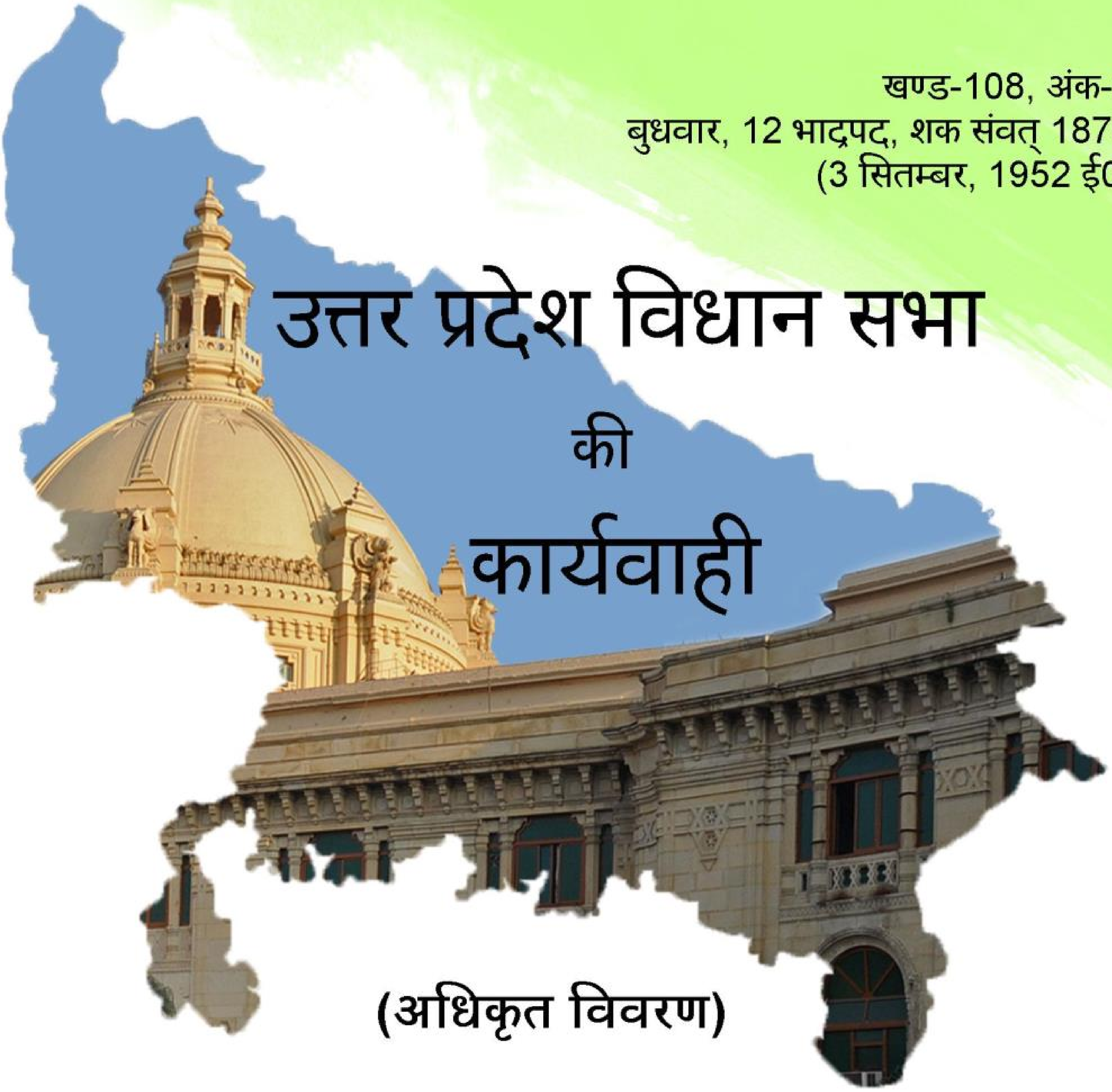

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 108 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ३ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४०)

अक्षयवर सिंह, श्री
आजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह, यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री

चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख़्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हक़ीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम ख़ां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली ख़ां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवानसिंह, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली ख़ां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन मिश्र, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्टाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वम्भरनाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र बर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पांडेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयालसिंह, श्री
हरगोविन्दसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

*१—श्रीमती लक्ष्मी देवी (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ११७ पर ।]

बलिया जिले के पंचायत-राज विभाग के प्रधान लिपिक की कलेक्टरी को वापसी

*२—श्री राम अनन्त पाण्डेय (जिला बलिया)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बलिया जिले के पंचायत राज विभाग का प्रधान लिपिक किस आधार पर निकाला गया ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—पंचायत राज विभाग का प्रधान लिपिक निकाला नहीं गया। शासकीय आदेश संख्या ६४९/आई० बी०, ६१/बी० दिनांक जनवरी २६, १९५१ ई०, के अन्तर्गत यह घोषित किया गया था कि पंचायत लिपिकों की जिलाधीश कार्यालय के कर्मचारियों में गणना नहीं की जावेगी। पंचायत विभाग के प्रधान लिपिक जिलाधीश कार्यालय के वैतनिक उम्मेदवार (पेड अपरिण्टिस थे)। पंचायत विभाग में रहने से उनको पैन्शन तथा अन्य आर्थिक हानि उठानी पड़ती। उन्होंने स्वयं प्रार्थना की कि वह कलेक्टरी वापस कर दिये जायें और वे कलेक्टरी वापस कर दिये गये।

श्री रामअनन्त पाण्डेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि उस प्रधान लिपिक पर ऐसी दरख्वास्त देने के लिये दबाव डाला गया ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी मेरे कार्यालय में कोई सूचना नहीं है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या कोई सरकारी ऐसा आदेश है कि जो लोग डेपुटेशन पर दूसरे डिपार्टमेंट में गये हैं वह अपने मूल डिपार्टमेंट में वापस कर लिये जायं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जो वापस जाना चाहते हैं उसमें रुकावट नहीं डाली जाती।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि जो वर्तमान प्रधान लिपिक है उनकी योग्यता क्या है, जो आज कल काम कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—वर्त्तमान प्रधान लिपिक इंटरमिजियट पास हैं और आयु नियुक्ति के समय करीब २४ वर्ष। अनुभव, एक वर्ष के लगभग सहायक लिपिक, ढाई वर्ष के लगभग जिलाधीश के कार्यालय बनारस में, आधा वर्ष शिक्षा संचालक कार्यालय में। नियुक्त की तिथि १९-६-५१।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस समय इन लिपिक महोदय का अप्वाइण्टमेंट हुआ था उस वक्त उनकी एजूकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—उस वक्त वह हाई स्कूल पास थे।

*३—श्री राम अनन्त पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायत-राज विभाग के जिलों के प्रधान लिपिक की नियुक्ति किस आधार और योग्यता पर की जाती है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिलों के कार्यालयों के लिये प्रधान लिपिक की नियुक्तियां यथासम्भव जिला पंचायत कार्यालय तथा पंचायत निरीक्षक कार्यालयों के लिपिकों में से उनके जेष्ठता, अनुभव तथा योग्यता के आधार पर होती है। विशेष परिस्थितियों में अथवा जिला-पंचायत कार्यालयों और पंचायत निरीक्षकों के लिपिकों में कोई योग्य अथवा निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति न मिलने पर जिलाधीश कार्यालय के लिपिकों में से निर्धारित योग्यता रखने वाले लिपिक की नियुक्ति शासन की स्वीकृति से होती है। नियुक्तियां प्रत्यक्ष भेंट और योग्यता देखने के पश्चात् की जाती है। प्रधान लिपिक के पद के लिये इण्टरमीजियेट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष की कोई परीक्षा शिक्षा संबंधी निर्धारित योग्यता है। तथा कोई स्कूल में हिन्दी विषय भी रहा हो। आयु कम से कम २२ वर्ष तथा अधिक से अधिक २५ वर्ष की होना चाहिये। अन्य विभागों के स्थायी लिपिकों के लिये आयु संबंधी कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

श्री राम अनन्त पाण्डेय—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचायत-राज-विभाग के प्रधान लिपिक इस समय जो रखे गये हैं वह इन योग्यताओं को पूरा करते हैं जो प्रश्न नम्बर ३ में दी गयी हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

आगरा शहर में जमीन के अन्दर नाले बनाने से कई स्थानों पर जमीन का धसक जाना

*४—**श्री बाबूलाल मीतल** (जिला आगरा)—क्या स्वशासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में जमीन के भीतर नाले निकालने की योजना (under-ground drainage system) पर सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुका है और कितना और खर्च होने को है, यह योजना कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री मोहनलाल गौतम—इस योजना पर अब तक १९ लाख रु० व्यय हो चुका है, ३७ लाख रु० और व्यय होगा। इस समय यह कार्य स्थगित है क्योंकि सिवेज फार्म के लिये १,८००एकड़ भूमि अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी। भूमि प्राप्त होने के लगभग २ वर्ष बाद कार्य समाप्त हो सकेगा।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जमीन अभी तक तै भी हो गई है या नहीं? कौन सी जमीन आप प्राप्त करना चाह रहे हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—इस संबंध में कार्यवाही हो रही है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कितने रोज में जमीन मिल जाने की आशा है?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय टाइम मुकर्रर नहीं कर सकता।

*५—**श्री बाबूलाल मीतल**—क्या यह सच है कि शहर में अनेक स्थानों पर (जैसे थाना हरीपर्वत का चौराहा, जामा मस्जिद व फोर्ट स्टेशन के सामने का चौराहा, आदि) जहां इसके टयूब डाले गये हैं, जमीनें धसक गयी हैं और जनता के लिये वह स्थान खतरनाक बन गये हैं?

श्री मोहनलाल गौतम—२० जून से ३० जून, १९५२, की वर्षा से कुछ स्थानों पर कुछ क्षति हुई है। थाना हरी पर्वत पर एक ३०० वर्ष पुराने नाले की लखौरी ईंटें धसक गई हैं जिसका वर्तमान योजना से कोई संबंध नहीं है। इसकी मरम्मत वर्षाऋतु के बाद होगी।

इस समय उस गढ्ढे के किनारे पर बाड़ा बांध दिया गया है ताकि उसमें कोई गिरने न पाये। जामा मस्जिद व फोर्ट स्टेशन के चौराहे पर लगपग ३० फुट लम्बी धरती कुछ धसक गई थी। इसकी मरम्मत नगरपालिका ने करा दी है।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जामा मस्जिद के पास जो जमीन धसक गई है उसका संबंध इस योजना से है या नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी मुझे सूचना चाहिये।

श्री बाबूलाल मीतल—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि २० जून से पहले यह जमीन धसक गई थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—तीन हिस्सों से इस जमीन का संबंध है, उनमें से कोई खास या तीनों के संबंध में माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं ?

अध्यक्ष—आप स्पष्ट करें कि कौन सी जमीन से आपका प्रश्न संबंधित है।

श्री बाबूलाल मीतल—जैसा माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बतलाया कि ३०० वर्ष पहले पुराने नाले की लखौरी ईंटें धसक गईं लेकिन यह मस्जिद वाली जमीन २० जून से पहले धसक गई थी, इसी से मेरे प्रश्न का संबंध है।

श्री मोहनलाल गौतम—हो सकता है उसमें से कुछ हिस्सा पहले धसक गया हो लेकिन इस वर्षा के बाद ही इसकी साफ सूरत नजर आई थी।

*६—**श्री बाबूलाल मीतल**—क्या यह सच है कि अनेक स्थानों पर (जैसे रामलीला के मैदान के पास व मुर्दाघाट की सड़क के किनारे) जहां इन नालों का पानी निकाला जा रहा है नाले टूट गये हैं और ईंटें तक बह गयी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां, ऐसी मामूली क्षति जोर की वर्षा में प्रायः हो जाती है।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो नुक्सान हुआ था इसकी क्या वेल्यूएशन है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये।

*७—**श्री हरदयालसिंह पिपल** (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ११७ पर]

*८—**श्री गौरीराम** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ठ ११८ पर]

*९—**श्री मदनमोहन उपाध्याय** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—[देखिये आगे पृष्ठ ११८ पर]

श्री सीताराम गोयल को चेयरमैन तथा म्युनिसिपल इञ्जीनियर कानपुर के विरुद्ध मुकदमा चलाने की आज्ञा प्रदान न करना

*१०—**श्री राजवंशी राय** (जिला देवरिया)—क्या यह सच है कि श्री सीताराम गोयल ने सरकार से ८-३-५१ व १६-६-५२ को श्री ब्रह्मानन्द मिश्र चेयरमैन व श्री एस० बी० गुप्ता, म्युनिसिपल इंजीनियर, कानपूर, के विरुद्ध धारा १६६, १६७ व २१८ भारतीय दंड विधान के अनुसार मुकदमा चलाने की धारा १९७ जाब्ता फौजदारी के अनुसार आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की है ? यदि हां, तो अब तक आज्ञा क्यों नहीं प्रदान की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम---८ मार्च, १९५१ को श्री गोयल ने केवल श्री ब्रह्मानन्द मिश्र, चेयरमैन, और १६ जून, १९५२ को चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड तथा श्री गुप्त, म्युनिसिपल इंजीनियर, दोनों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की आज्ञा प्रदान करने की प्रार्थना की थी। ८ मार्च, १९५१ को श्री गोयल की अपील सरकार के विचाराधीन थी। अतएव उस समय उन्हें आज्ञा देने की आवश्यकता नहीं समझी गयी और बाद में उनके द्वारा उपर्युक्त व्यक्तियों पर लगाये गये आरोपों की भली-भांति जांच करने पर उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया। अतः दूसरी बार के प्रार्थना पर भी उन्हें इसके लिये आज्ञा नहीं दी गयी।

फ़ीरोज़ाबाद में ईंट और चूने के भट्टों को कोयला देना

*११---**श्री विष्णुदयाल वर्मा** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फिरोजाबाद में कितने ईंट के भट्ठों को तथा चूने के भट्ठों को कोयला दिया जाता है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बनारसीदास)---इस समय फिरोजाबाद में १९ ईंट के भट्ठेवालों को कोयला मिल रहा है। चूने वाले भट्ठों की संख्या ६ है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा---क्या यह कोयला जिलाधिकारियों की सिफारिश से दिया जाता है ?

श्री बनारसीदास---जी हां।

श्री विष्णुदयाल वर्मा---क्या जिलाधिकारियों ने सिफारिश करते समय इन भट्ठों की जांच की थी ?

श्री बनारसी दास---जी हां, भट्ठों के काम के बारे में जांच की गई थी।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इन भट्ठों को बाजार की दर से कुछ ऊंचे भाव पर कोयला दिया जाता है ?

श्री बनारसी दास---जी नहीं।

कांधला जिला मुज़फ़्फ़रनगर में जनाना अस्पताल

*१२---**श्री वीरेन्द्र वर्मा** (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---क्या स्वास्थ्य मंत्री कांधला जिला मुज़फ्फरनगर में इस वर्ष जनाना अस्पताल खोलने का इरादा रखते हैं ?

श्री बनारसी दास---जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कांधला में जनाना अस्पताल खोलने के लिये आदेश जारी हो चुके हैं या नहीं और अगर नहीं हुये हैं तो कब जारी हो जायेंगे ?

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---जी हां, इसके लिये यह निर्णय कर दिया गया है। आदेश गये हैं या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं है लेकिन यह आदेश दे दिया गया है कि जो ५ डिस्पेंसरी इस वर्ष खोलनी हैं उनमें से एक डिस्पेंसरी कांधला में खोली जाय।

श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अस्पताल में कितना रुपया खर्च किया जायगा और कितना स्टाफ रखा जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जहां तक अस्पताल की इमारत का संबंध है अभी उसका इन्तजाम नहीं रखा गया है। यह आशा की जाती है कि वहां का जिला बोर्ड उसके लिये इमारत देगा और जितना रिकरिंग खर्चा और नान रिकरिंग खर्चा उस अस्पताल का होगा वह सब सरकार की ओर से खर्च किया जायगा।

टी० बी० के रोगियों के लिये बजट में रखी गई धनराशि का वितरण

*१३---**श्री वीरेन्द्र वर्मा**---क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष के बजट में जो उन्होंने ३०,००० रुपये टी० बी० के मरीजों के लिये रक्खा है उसका वितरण किस प्रकार किया जावेगा ? क्या यह रुपया बिना वर्गीकरण के सबके लिए है ?

श्री बनारसी दास—यह रुपया टी० बी० और दूसरे रोगों के उन रोगियों को दिया जावेगा जो निर्धन हैं। यह रुपया सब के लिये है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गरीब मरीजों को यहां से सहायता प्राप्त करने के लिये किसी सर्टिफिकेट के अलावा सिफारिश की भी आवश्यकता होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, उस व्यक्ति को जो अपने को गरीब कहता है अवश्य कोई ऐसा प्रमाण-पत्र देना होगा जिससे कि यहां का सचिवालय यह जान सके कि अमुक आदमी गरीब है और उस व्यक्ति को यह सहायता मिल सके।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या किसी एम० एल० ए० का सर्टिफिकेट इसके लिये पर्याप्त होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, एम० एल० ए० का सार्टिफिकेट पर्याप्त हो सकता है लेकिन कभी-कभी इस प्रकार के सवाल इस भवन में उपस्थित हो जाते हैं कि अमुक व्यक्ति को सरकार ने फलां आदमी की सिफारिश पर सहायता प्राप्त करा दी। तो सरकार इन चीजों की आलोचना से बचने के लिये यह कर देती है कि वह कभी-कभी सरकारी कर्मचारियों से भी प्रमाण-पत्र मांगने की आज्ञा देती है जिससे इस प्रकार की आलोचना सरकार को न सुनना पड़े।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—सरकारी नियमों के अनुसार यह सर्टिफिकेट किसका होना चाहिये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस सिलसिले में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये हैं लेकिन जैसा मैंने बताया, एम० एल० ए० का सर्टिफिकेट भीपर्याप्त माना जा सकता है। लेकिन उस आलोचना से बचने के लिये सरकार यह मुनासिब समझती है कि वह सरकारी कर्मचारियों से भी उस प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में बातें कर ले और जानकारी प्राप्त कर ले।

श्री बलवन्त सिंह—कम से कम किस रैंक का अधिकारी होना चाहिये जिसका सर्टिफिकेट पर्याप्त माना जायगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ज्यादातर जो प्रमाण-पत्र आदि स्वीकार किये जाते हैं तो वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के होते हैं या सिविल सर्जन के होते हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या अपोजीशन के एम० एल० एज० का सर्टीफिकेट भी लागू हो सकेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उनकी आलोचना से बचने के लिये यह तय किया गया है क्योंकि उनकी संख्या कम है और कांग्रेसी एम० एल० एज० की संख्या ज्यादा है।

आगरा जिला बोर्ड द्वारा चमड़े की रंगाई की लाइसेंस-फीस में वृद्धि

*१४—**श्री पुत्तूलाल** (जिला आगरा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि चमड़े की रंगाई करने वाले लोगों से, आज से दो वर्ष पहले, फी आड़ा एक रुपया लाइसेंस-फी आगरा जिला बोर्ड द्वारा लिया जाता था पर गत दो वर्षों से इस लाइसेंस-फी को १ रु० से बढ़ाकर ३० रु० फ़ी आड़ा कर दिया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री पुत्तूलाल—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह तीस गुनी फीस किस नियम के आधार पर कर दी गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह फीस जिला बोर्ड ने बढ़ाई और कमिश्नर की मंजूरी से गजट में छपी है।

श्री पुत्तूलाल—क्या सरकार के पास कोई आवेदन-पत्र चर्मकारों की ओर से लायसेंस फीस कम करने के लिये आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रकार की शिकायत आई परन्तु यह अधिकार लोकल बाडीज का है और यह कहा जाता है कि दूसरी लोकल बाडीज में भी इसी तरह का निर्ख है। इसलिये वह अधिक नहीं है। इसलिये इसमें हस्तक्षेप करना मुनासिब नहीं है।

सिकन्दराराउ चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव तथा चुंगी के एक सदस्य के हथियारों की जब्ती

*१५—**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार को ज्ञात है कि सिकन्दराराउ चुंगी के चेयरमैन के विरुद्ध ९ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर वाला अविश्वास का प्रस्ताव जिलाधीश द्वारा नियत १२ जुलाई, १९५२, की मीटिंग में पेश होने वाला था पर वह उस दिन पेश नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। अविश्वास का प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य उस बैठक में नही आये और सदस्यों की निर्धारित संख्या न होने के कारण मीटिंग न हो सकी।

*१६—**श्री नेकराम शर्मा**—क्या यह सत्य है कि सिकन्दराराउ चुंगी के किसी सदस्य के सब हथियार १० जुलाई, १९५२ को जब्त कर लिये गये थे और दो अन्य सदस्यों के नाम वारण्ट जारी हुए थे ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, किसी सदस्य के हथियार जब्त नहीं किये गये। एक सदस्य के हथियार जमा जरूर करा लिये गये थे। इसका कारण यह था कि उनके बारे में यह सूचना मिली थी कि उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिये अपनी कुछ सम्पत्ति बेच दी है और हथियार भी बेचने वाले हैं।

जहां तक दो सदस्यों के विरुद्ध वारण्ट जारी होने का प्रश्न है उनके विरुद्ध वारण्ट इसलिये जारी हुए थे कि वे ऐसे दल से सम्बन्धित थे जिसका एक अन्य दल से झगड़ा हुआ था और इन दोनों दलों के विरुद्ध पुलिस ने दफा १०७/११७ जाब्ता फ़ौजदारी के अन्तर्गत रिपोर्ट की थी।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि पाकिस्तान जाने की सूचना अधिकारियों को कब, कैसे और किस दिन प्राप्त हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सूचना तो पहले ही प्राप्त हो चुकी थी और वह इनटेंडिंग एवेकुई डिक्लेयर (इच्छुक निर्वासित प्रख्यापन) हो चुके थे।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जिस दिन १२ तारीख को अविश्वास का प्रस्ताव आने वाला था उस दिन सुबह ही पुलिस उन सदस्यों के घर में घुस गई और उससे औरतों की बेपर्दगी भी हुई ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह ठीक है कि उस दिन सुबह को पुलिस वहां गई लेकिन औरतों की बेपर्दगी के बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतलावेगी कि प्रश्न १६ के उत्तर में जो बतलाया गया कि सम्पत्ति बिक चुकी थी तो वह क्या सम्पत्ति थी जो बिक चुकी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री भगवान सहाय—क्या यह सही है कि सरदार अली खां और सेकिण्ड आफ़िसर अब्दुल वाजिद खां म्यूनिसिपल बोर्ड की स्टेशन वेगन में बिठला कर अलीगढ़ ले जाये गये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह सही है कि सरदार अली खां साहब अलीगढ़ ले जाये गये थे, लेकिन कितनी देर पहले, यह सही नहीं मालूम।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं इतना अर्ज कर दूं कि जहां तक लोकल बाडीज का सम्बन्ध है उनके बारे में जो सप्लीमेंटरी क्वैश्चन्स (अनुपूरक प्रश्न) होते हैं उन सबके बारे में मेरे पास सूचना नहीं रहती। यदि सदस्यगण अपने सवालात पहले से दे दें तो पूरी सूचना सदन के सामने मंगा कर पेश की जा सकती है, लेकिन बहुत सी इन्फ़ारमेशन (सूचना) जो सप्लीमेंटरीज़ (अनुपूरक प्रश्नों) में मांगी जाती है वह सारी इनफ़ारमेशन मेरे यहां मौजूद नहीं रहती।

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसका ध्यान रखें।

श्री झारखंडे राय (ज़िला आज़मगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलावेंगे कि बावजूद प्रस्ताव पास होने के एक सप्ताह पहले वह स्वयं चेयरमैन साहब के यहां दावत खाने गये थे?

श्री मोहनलाल गौतम—मैं दावत खाने नहीं गया था। मेरा कार्यक्रम पहली और दूसरी तारीख को जमींदारी अबालिशन के सम्बन्ध में अलीगढ़ जिले में और ४–५ तारीख को एटे में था और रास्ते में वहां की नगरपालिका ने मुझे एड्रेस दिया था और यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जहां इन्तजाम किया था वहां मैंने खाना खाया और वह चेयरमैन साहब का घर था।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह जानती है कि सरदार अली खां जिस तरीके से ले जाये गये उसमें उनको फ़िज़िल आउट करने में सरकारी कर्मचारियों का पूरा हाथ था? क्या वहां की जनता का यह खयाल ठीक है?

श्री मोहनलाल गौतम—जनता की क्या राय है इसके बारे में मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है इसलिये इस पर रायज़नी करना मुनासिब नहीं है।

टाउन एरिया कमेटियों को, स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के लिये सहायता देने का आदेश

*१७—**श्री रामअवध सिंह** (ज़िला गोरखपुर)—क्या यह सत्य है कि सरकार ने टाउन एरिया कमेटियों को इस विषय का कि यदि वे चाहें तो स्थानीय शिक्षा संस्थाओं को सहायता दे सकती हैं, कोई आदेश-पत्र भेजा है?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री रामअवध सिंह—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि बावजूद इसके कि टाउन एरिया कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि कुछ रुपया हायर सेकेंडरी स्कूल को दिया जाय, लेकिन वह नहीं दिया गया?

श्री मोहनलाल गौतम—इस प्रकार की जब प्रार्थना आती है तो उसमें केवल यही जरूरी नहीं होता कि वह प्रार्थना उन्होंने पास कर दी है, बल्कि उनके फाइनेंसेज़ और उनकी जिम्मेदारियों को देख कर भी काम होता है और हायर सेकेंडरी स्कूल की जिम्मेदारी टाउन एरिया की प्राइमरी कन्सर्न नहीं है।

श्री रामदास—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश किस तारीख में जारी किया गया?

श्री मोहनलाल गौतम—२० मार्च, १९५१, में।

बस्ती जिले के छः सात हजार की जन-संख्या वाले कस्बों में टाउन एरिया की स्थापना

*१८--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)--क्या बस्ती जिले के कस्बा उसका बाजार को जहां कि पहले टाउन एरिया थी और जो कुछ दिनों पहले जमींदारों के आपसी झगड़े के कारण तोड़ दी गयी है फिर से टाउन एरिया में लेने का सरकार का विचार है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

*१९--श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय--क्या सरकार उसका बाजार के अलावा बस्ती जिले के और क़स्बे जिनकी आबादी ६-७ हजार के लगभग है जैसें खलीलाबाद, बांसी, शोहरतगढ़, नौगढ़, बखिरा डुमरियागंज आदि में टाउन एरिया क़ायम करने का विचार कर रही है ? अगर कर रही है, तो कब से ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं।

श्री मथुराप्रसाद पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया किस आधार पर बनाया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम--आबादी और आमदनी आदि बहुत सी बातों पर विचार करके टाउन एरिया बनाया जाता है।

चुनार म्युनिसिपैलिटी में जल-कल की व्यवस्था

*२०--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चुनार म्युनिसपैलिटी में जहां पानी का बड़ा कष्ट है जल-कल की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम--चुनार नगरपालिका में जल-कल के लिये चीफ़ इंजीनियर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग विभाग, ने पिछले जून में २,५०,००० रु० का एक प्रथम अनुमान (forecast of cost) बना कर भेजा है। अब इस सम्बन्ध में आगे की कार्यवाही नगर पालिका को ही करनी है।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनतंत्र निर्माण व्यय भार नगरपालिका उठायेगी या सरकार भी ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसका भार आमतौर पर कर्जे से ही उठाया जाता है जो सरकार ही देती है।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि वह किस प्रकार आर्थिक सहायता देगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--पहिले म्यूनिसिपल बोर्ड सरकार के पास एक ऐस्टीमेट बना कर भेजता है। उस पर से सरकार यह देखती है कि उस म्यूनिसिपैलिटी को कितना रुपया कर्ज दिया जा सकता है तथा उसकी पेईंग केपेसिटी क्या है। इन बातों पर विचार करने के बाद कर्जा दिया जाता है।

आजमगढ़ जिले में नमक सम्बन्धी भ्रष्टाचार के मामलें की पुलिस द्वारा जांच तथा गिरफ्तारियां

*२१--श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में नमक से सम्बन्धित किसी भ्रष्टाचार के मामले की कोई जांच पुलिस द्वारा हो रही है ? यदि हां, तो अब तक कितने लोग इस सम्बन्ध में गिरफ्तार हुए हैं ?

श्री बनारसी दास—जी हां, अब तक इस सम्बन्ध में ८ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

*२२—**श्री पद्मनाथ सिंह**—क्या यह सच है कि आजमगढ़ जिले में नमक का वितरण किसी ऐसे अनाधिकारी व्यक्ति द्वारा दिये गये परमिट पर हुआ करता था जो अपने को जिला नमक संघ, आजमगढ़, के सेक्रेटरी कहते थे ? यदि हां, तो क्या इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही हो रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, १९५१ ई० में थोड़े समय तक जिला नमक संघ के मंत्री के आदेश पर थोक व्यापारियों ने फुटकर व्यापारियों को नमक बेंचा। धर्मदत्त गुप्त जो जिला नमक संघ आजमगढ़ के उस समय सेक्रेटरी थे उनका नमक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और यू० पी० साल्ट कंट्रोल आर्डर १९४७ के निर्देशों का उल्लंघन करने के अपराध में उनके विरुद्ध मुक़दमा अदालत में भेजा जा चुका है।

श्री पद्मनाथ सिंह— क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब तक उप मंत्री श्री बनारसीदास जी ने इस मामले की जांच करके स्थानीय सरकारी अधिकारियों को बाध्य नहीं किया तब तक श्री धर्मदत्त को गिरफ्तार नहीं किया गया ?

श्री बनारसीदास—जब मैं आजमगढ़ गया था तब सरकारी अधिकारियों ने जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी।

श्री पद्मनाथ सिंह—क्या धर्मदत्त जी भी उन्हीं ८ आदमियों में से हैं जिनके खिलाफ पहले से मुक़दमे चल रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—जी हां, उस समय श्री धर्मदत्त के विरुद्ध भी जांच चल रही थी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस तारीख और किस दिन धर्मदत्त जी को गिरफ्तार किया गया था ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये तो मुझे सूचना की जरूरत है।

श्री पद्मनाथ सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि नमक के वितरण का जो ऐरेंजमेंट (प्रबन्ध) नमक संघ के मंत्री श्री धर्मदत्त जी के नेतृत्व में हुआ था कि फुटकल व्यापारी थोक व्यापारियों से नमक खरीदें, क्या इसके लिये भी उन्हीं अधिकारी ने हुक्म दिया था ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं।

अभावग्रस्त जिलों को दिया गया अन्न और उनके अभावग्रस्त होने के कारण

*२३—**श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)—क्या अन्न मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि पिछले चार वर्षों में प्रदेश का कौन-कौन सा जिला अभावग्रस्त कितने अन्न के लिए रहा है ?

अन्न मंत्री के सभा सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—गत चार वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने जिले अभावग्रस्त रहे तथा जिस वर्ष जितने अन्न के लिए रहे प्रत्येक का विवरण संलग्न अनुसूची में प्रस्तुत है।

[देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४८ पर]

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय अन्न मंत्री यह बतलाने की मेहरबानी करेंगे कि वर्ष से उनका मतलब किस महीने से किस महीने तक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह जो आंकड़े दिये गये हैं वे जनवरी से दिसम्बर तक के हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या माननीय अन्न मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये जो अभावग्रस्त जिले हैं उनमें अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिये कोई स्कीम बनाई गई है और खासकर अल्मोड़े के लिये मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसका तो सिंचाई विभाग से सम्बन्ध है और उसका मेरे विभाग से सम्बन्ध नहीं है। यदि माननीय प्रश्नकर्ता नोटिस देंगे तो मैं पूरी सूचनायें एकट्ठा करके उनको सूचित कर सकता हूं।

श्री गेंदा सिंह—प्रश्न २३ के उत्तर में बताया गया है कि जितने जिले अभावग्रस्त रहे तथा जिस वर्ष जितने अन्न के लिए रहे प्रत्येक का विवरण संलग्न अनुसूची में प्रस्तुत है। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जो आंकड़े हमने दिये हैं, मैंने जैसा अभी उत्तर में बताया, वह आंकड़े गल्ले की उस मात्रा से संबंध रखते हैं जिस मात्रा को हमने आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम या राशनिंग के अन्तर्गत उन क्षेत्रों में भिजवाया है।

*२४—**श्री गेंदा सिंह**—उन जिलों को पिछले चार वर्षों में कितना अन्न दिया गया ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जितने अन्न के लिए अभावग्रस्त रहे उतना ही अन्न दिया गया था जिसके आंकड़े उक्त लिखित प्रश्नोत्तर २३ की अनुसूची में प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

श्री गेंदा सिंह—बनारस के लिये १५,४५,५९१ मन और बस्ती के लिये ४,१४,६९३ मन अनाज दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इतने ही अन्न के लिये ये दोनों जिले अभावग्रस्त रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जहां जितनी आवश्यकता है और जिस समय जितनी समझी गई उतना अन्न वहां भेजा गया और जितना अन्न हमने इन पूर्वी जिलों में भेजा है उसके आंकड़े हमने प्रस्तुत किये हैं। अभाव का प्रश्न तो बहुत लम्बा चौड़ा प्रश्न है क्योंकि जितना अन्न हमने भेजा है वह तीन छटांक और चार छटांक के अनुपात से हमने उन व्यक्तियों के लिये जिनको उसकी आवश्यकता थी भेजा है। एक आदमी का खर्च १०-१२ छटांक भी होता है तो यदि हम उस तरह से जोड़ें तो अधिक अन्न की आवश्यकता उन क्षेत्रों में हो सकती है परन्तु यह हो सकता है कि यह आंकड़े जो हमने दिये हैं वह आंकड़े उस छोटी मात्रा से सम्बन्ध रखते हों जो हम आस्टेरिटी प्राविजनिंग स्कीम के अन्तर्गत हम उन क्षेत्रों में जहां गल्ले का अभाव रहा है देते रहे हैं।

*२५—**श्री गेंदासिंह**—उन जिलों के अभाव-ग्रस्त होने का क्या कारण है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अनुसूची में अंकित जिलों में गोंडा तथा बहराइच के अतिरिक्त सभी जिले सदैव से ही अभावग्रस्त हैं क्योंकि उनका अन्न उत्पादन वहां की जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है और प्राकृतिक प्रकोप के कारण अर्थात अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि से और भी अभावग्रस्त हो गए हैं। शेष दो जिले गोंडा तथा बहराइच जो स्वाश्रयी थे वहां भी दो वर्षों की अनावृष्टि के कारण क्षति हुई जिससे वह भी अभावग्रस्त हो गए।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४८ पर)

नक़ली दवाइयों की बिक्री को रोकने के उपाय

*२६—**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या अन्न और स्वास्थ्य मंत्री को यह विदित है कि प्रदेश में नक़ली दवाइयां जो यहां के स्वास्थ्य के लिए एक खतरा

है बाहर से आ रही हैं या यहां बन रही हैं और बिक रही हैं ? क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास—जी हां, इस प्रथा को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाहियां की गईं—

(अ) इस प्रदेश के सम्पूर्ण केमिस्टों को आदेश दिया गया है कि वे केवल शुद्ध औषधियांप्रस्तुत कर्ताओं के यहां से ही या उनके प्रमाणित एजेंटों द्वारा क्रय किया करें।

(आ) इस प्रदेश के सम्पूर्ण जिला तथा नगरपालिकाओं के स्वास्थ्य पदाधिकारियों को परिपत्र द्वारा आदेश दिया गया है कि वे नकली औषधियों के विक्रय को बन्द करने के लिये उचित कार्यवाही करें।

(इ) प्रदेशीय मेडिकल एसोसिएशन के मंत्री से प्रार्थना की गई है कि वे समस्त प्राइवेट डाक्टरों को सूचित कर दें कि वे प्रसिद्ध औषधियों की शीशियों को प्रयोग करने के बाद तोड़ दें ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके तथा वह शुद्ध दवाइयां प्रस्तुतकर्ताओं या उनके प्रमाणित एजेंटों के द्वारा ही औषधियां क्रय करें।

(ई) इस प्रदेश की पुलिस को आदेश दिया गया है कि वे नकली औषधियों के निर्माताओं तथा विक्रेताओं का पता लगाने में स्वास्थ्य पदाधिकारियों की पूर्णरूप से सहायता करें और स्वतंत्ररूप से भी जहां आवश्यक हो उचित कार्यवाही करें।

(उ) स्थानीय सी० आई० डी० द्वारा नकली औषधियों के निर्माण होने वाले स्थानों का पता भी लगवाया गया और छानबीन भी कराई गई।

(ऊ) इस सम्बन्ध में ५ विक्रेताओं का चालान किया गया जिनको २५ रु० से लेकर १०० रु० तक आर्थिक दंड दिया गया। एक औषधि विक्रेता का लाइसेंस भी खंडित कर दिया गया और उसका औषधि-निर्माण करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र भी अस्वीकार किया गया।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलावेंगे कि इतनी कार्रवाई करने पर भी सारे प्रान्त में केवल ५ विक्रेताओं का ही चालान क्यों हो सका ?

श्री बनारसीदास—यह तो सूचना में ही दिया हुआ है और इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में आदेश जारी किये गये हैं और अभी उसके बारे में क्या नतीजा निकला यह कहना जरा कठिन है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैज़ाबाद)— क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन्हीं नकली दवाइयों के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों के अनुसार अधिकारियों ने प्रान्त में आयुर्वेद के इंजेक्शन के एम्प्यूल्स का लाखों रुपये का नुक़सान कर दिया है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, इसके सम्बन्ध में सरकार का ड्रग ऐक्ट के अनुसार ऐसा नियम है कि जो लोग इंजेक्शंस बनाना चाहते हैं उनको ड्रग रूल्स के मातहत लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन आयुर्वेदिक निर्माण-कर्ताओं ने ड्रग ऐक्ट के मातहत कोई लाइसेंस नहीं लिया। उनके लिये यह भी आवश्यक होता है कि वह अपनी दवाइयों के लिये प्रमाण-पत्र दें। इसके अभाव में उनके स्टाक्स को फ्रीज़ कर लिया गया।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक दवाइयों के लिये भी कोई प्रान्त में ड्रग ऐक्ट बना है ?

श्री बनारसीदास—इसके लिये कोई ड्रग ऐक्ट नहीं है। जो मौजूद है उसी के अन्दर वह भी आता है।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि ये जो एग्जामिनेशन होते हैं वह बाहर से विलायत से आई हुई और दूसरे प्राविंसेज से आई हुई दवाइयों के ही होते हैं या इस प्राविंस में जो बनती हैं उसका भी इम्तहान होता है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, विलायत की और इस प्रदेश में जो दवाइयां बनती हैं उन सब की जांच होती है। अभी थोड़े दिन के अन्दर ही वह शाखा जो केन्द्रीय सरकार की ओर से कलकत्ते में काम करती थी अब वह मेडिकल रिसर्च की शाखा यहीं काम करने लगी है और उस शाखा के अन्तर्गत सारी दवाइयां जो यहां बनती हैं या बाहर से आती हैं उन सबकी जांच होगी और जो उपयोगी समझी जायंगी उन्हीं दवाइयों को इस प्रदेश में बिकने की इजाजत प्राप्त होगी।

डाक्टर जवाहरलाल रोहतगी—क्या मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि अब तक कितनी विलायती दवाइयों का एग्जामिनेशन हुआ? कितनी बाहर की और कितनी यहां की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मैं सूचना मंगा कर दे सकता हूं।

सरोजिनी नायडू अस्पताल, आगरा, में औषधियों का परिमाण तथा पलंगों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता

*२७—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या अन्न मंत्री को यह विदित है कि आगरा शहर की आबादी सन् १९४१ से अब तक डयोढ़ी से भी अधिक बढ़ गयी है पर सरोजनी नायडू अस्पताल में उतने ही बेड हैं जितने सन् १९४१ में थे? क्या लखनऊ अस्पताल की तरह सरकार यहां भी शीघ्र ही कम से कम १५० नये बेड का प्रबन्ध करने पर विचार करेगी और आवश्यकता होगी तो उसके लिये पुराने टी० बी० वार्ड इमारत का उपयोग इसके लिए कर लेगी?

श्री बनारसी दास—जी हां, यह ठीक है कि आगरा शहर की आबादी सन् १९४१ से काफी बढ़ गई है परन्तु यह सही नहीं है कि सरोजनी नायडू अस्पताल में उतने ही पलंग हैं जितने कि सन् १९४१ में थे। सन् १९४१ में २९५ पलंग थे और अब ४२५ हैं। आगरा मेडिकल कालेज तथा सरोजिनी नायडू अस्पताल की उन्नति के सम्बन्ध में जिसमें कि कालेज के विद्यार्थियों तथा अस्पताल में पलंग बढ़ाने की योजना भी है २५ लाख रुपये की एक पंच-वर्षीय योजना भी सरकार के विचाराधीन है जिसके लिए इस साल के बजट में सरकार ने १,६८,००० रु० भी स्वीकृत कर दिया है। अनुमान है कि इस योजना के अन्तर्गत दो तीन साल में वहां पलंगों की संख्या ७०० हो जायगी।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि कभी कभी गांव से बीमार आते हैं, लेकिन उनका प्रवेश अस्पताल में न होने के कारण कई मृत्यु सड़क पर ही हो गयी है?

श्री बनारसी दास—इस प्रकार की तो कोई सूचना सरकार को नहीं है।

*२८—**श्री देवकीनन्दन विभव**—क्या अन्न मंत्री को मालूम है कि उक्त आगरा अस्पताल के सम्बन्ध में यह शिकायत है कि वहां जनता के लिए पर्याप्त औषधियां नहीं हैं?

श्री बनारसी दास—जी नहीं।

म्युनिसिपल बोर्ड बांदा को नल लगवाने की योजना

*२९—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सच है कि सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड बांदा को साढ़े ६ लाख रुपया कुओं द्वारा नल लगवाने की योजना के लिए कर्ज दिया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी नहीं, सरकार ने म्युनिसिपल बोर्ड बांदा को ३,७६,२०० रु० कर्ज और २,७१,१०० रु० का अनुदान दिया है।

*३०—श्री रामनारायण त्रिपाठी—यदि हां, तो क्या उपरोक्त योजना सरकार के किसी अधिकृत विशेषज्ञ द्वारा चालू की गयी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—उक्त योजना में अब तक क्या कार्यवाही हो चुकी है ?

श्री मोहनलाल गौतम—यह जल कल पूरा होकर म्यूनिसिपल बोर्ड के सुपुर्द हो गया है और वह उसको चला रहा है।

जिला देवरिया में रामनगर अदालती पंचायत का सरपंच

*३१—श्री राजवंशी राय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के सर्किल रामपुर कारखाना के रामनगर अदालती पंचायत का सरपंच इस समय कौन है और कब से है तथा उनके पहिले कौन सरपंच थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—रामनगर पंचायती अदालत के वर्तमान स्थानापन्न सरपंच श्री केदारनाथ हैं जो दिनांक ३-१०-५१ ई० से सरपंच पद पर कार्य कर रहे हैं। इसके पूर्व श्री राम प्रसाद सिंह सरपंच थे।

श्री राजवंशी राय—क्या पंडित केदारनाथ सरपंच पंचों के जरिये चुने गये हैं या सरकारी अधिकारियों ने उनको मुक़र्रर किया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जिला पंचायत आफिसर ने उनसे इनको चार्ज दिलवा दिया था।

श्री राजवंशी राय—साल भर हो गया है और चुनाव अभी तक क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जैसा कि मैंने उत्तर में कहा, इसमें कुछ अनियमितता हुई थी लेकिन उस पर काफी सख्ती से कार्यवाही हो चुकी है।

*३२—श्री राजवंशी राय—क्या यह सही है कि चुने हुए सरपंच रामप्रसाद सिंह के पास से इंस्पेक्टर, पंचायत राज, ने सारे काग़ज़ात बिना रसीद दिये हुए अनधिकृत तरीक़े से ले लिये थे ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां।

कतिपय आयुर्वेदिक कालेजों को बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन से असम्बद्ध करने के आदेश

*३३—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्या उसने आयुर्वेदिक कालेजों के पुनर्संगठन के लिए कोई विशेषज्ञ कमेटी नियुक्त की थी कि जिसने बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन को झांसी, पीलीभीत और हरिद्वार के आयुर्वेदिक कालेजों को छोड़ कर प्रान्त के अन्य आयुर्वेदिक कालेजों को डिसएफ़िलिएट करने की सिफ़ारिश की थी ?

श्री बनारसी दास—जी हां, सरकार द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के पुनस्संगठन के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की थी कि झांसी, पीलीभीत और हरिद्वार के आयुर्वेदिक कालेजों को छोड़ कर बोर्ड से सम्बद्ध प्रदेश के अन्य आयुर्वेदिक कालेजों को धीरे-धीरे बोर्ड की आयुर्वेदिक डिग्री परीक्षा के लिये बोर्ड से असम्बद्ध कर दिया जाय।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि वे कौन-कौन सी कमियां थीं जिनके आधार पर इनको असम्बद्ध करने का आदेश जारी किया गया ?

श्री बनारसीदास—उसके लिये विशेषज्ञ समिति ने शिक्षा का क्रम नियुक्त किया था। उसकी बिल्डिंग और इक्विपमेंट के लिये भी आदेश दिया गया था और पहले भी उनको समय दिया जा चुका था लेकिन उनकी पूर्ति नहीं की गई। इसलिये यह आदेश जारी किये गये।

श्री शिवकुमार शर्मा—क्या इन कमियों को पूरा करने के लिये सरकार कोई आर्थिक सहायता देगी ?

श्री बनारसीदास—माननीय सदस्य को मालूम होगा कि बजट के अन्दर वृद्धि कर दी गई है, और कोई विशेष सहायता नहीं दी गई है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)—क्या सरकार को मालूम है कि कान्यकुब्ज कालेज, लखनऊ, के पास पर्याप्त साधन हैं जिनसे वह अपना कालेज चला सकता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्या पर्याप्त है और क्या पर्याप्त नहीं है, इसके ऊपर तो कुछ निश्चित रूप से कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनकी राय में पर्याप्त हो सकता है और सरकार की में नहीं। मुझे ऐसा बताया गया है कि इस कालेज को थोड़ी सी ज़मीन और रुपया मिल गये हैं जिससे एक बड़ा कालेज, जिसकी शिक्षा का स्तर ऊंचा रहे, नहीं चलाया जा सकता। इस कारण कान्यकुब्ज कालेज को मान्यता प्रदान करने में सरकार असमर्थ है।

*३४.—**श्री शिवकुमार शर्मा**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि झांसी, पीलीभीत और हरिद्वार आयुर्वेदिक कालेजों को छोड़ कर अन्य आयुर्वेदिक कालेजों को डिस-एफ़ीलियेट करने के सम्बन्ध में सरकार कोई जी० ओ० भी निकाल चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं, झांसी, पीलीभीत और हरिद्वार के आयुर्वेदिक कालिजों को छोड़ कर प्रदेश के बोर्ड से सम्बद्ध अन्य आयुर्वेदिक कालिजों को पूर्णतया असम्बद्ध करने के लिये कोई सरकारी आज्ञा नहीं जारी की गई है। पर हां, विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने बोर्ड आफ इंडियन मेडिसन से यह कहा था कि उन कालिजों को वर्तमान शिक्षा सूत्र में नयी भरती न करने दिया जाय ताकि चार वर्ष के अन्दर अन्दर वे स्वतः बन्द हो जायं। इस संबंध में आदेश जी० ओ० नं० ९८१ बी० आई० दिनांक जून ४, १९५२, को जारी हुये थे।

*३५.—**श्री शिवकुमार शर्मा**—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने कोई और जी० ओ० निकाला है जिसके द्वारा उसने अपने पूर्व जी० ओ० की उपेक्षा करके प्रान्त के अन्य आयुर्वेदिक कालेजों को भी अब एफ़ीलियेट करने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो पुनः ऐसा किन कारणों से किया गया ?

श्री बनारसीदास—जी हां, ऊपर वर्णित जी० ओ० में दिये गये आदेशों को डी० ओ० एस० २५४६ बी० आई० ५।१५ आर० सी० ४९, दिनांक जुलाई १२,१९५२, द्वारा रद्द कर दिया गया है क्योंकि सरकार के पास कई संस्थाओं से ऐसे आवेदन पत्र आये कि उनको नयी भरती न करने के आदेश पर्याप्त समय रहते हुये नहीं मिले। इन संस्थाओं को यह चेतावनी दे दी गई है कि वे शीघ्र ही अपनी कमी को पूर्ण करें। दिसम्बर में बोर्ड उनका निरीक्षण करवायेगा और यदि उस समय तक उचित कार्यवाही न की गई तो अगले शिक्षा सत्र में किसी भी हालत में उन्हें भरती न करने दिया जावेगा।

*३६—हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित) [देखिये आगे पृष्ट ११८ पर]

*३७—श्री नंदकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—
[देखिए आगे पृष्ठ ११८-११९ पर]

*३८—कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर) (अनुपस्थित)—
[देखिए आगे पृष्ठ ११९ पर]

साइकिल रिक्शा चलाने पर रोक

*३९—**श्री बिशम्भर सिंह** (जिला मेरठ)—क्या सरकार को ज्ञात है कि साइकिल रिक्शा चलाने से रिक्शा चलाने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ?

श्री बनारसीदास—साइकिल रिक्शा चलाने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है; यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, उनके हृदय और फेफड़ों को कोई रोग न हो, और उस समय रिक्शा चलाये जिस समय उनके स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़ने की सम्भावना हो।

श्री बिशम्भर सिंह—क्या सरकार का यह विचार कि रिक्शा चलाने से चलाने वालों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता, किसी मेडिकल एक्सपर्ट की राय पर मबनी है ?

श्री बनारसीदास—जैसा अभी बतलाया गया है, इसके लिये निश्चित आयु नियत कर दी गई है और ऐसा अनुमान है कि उसके अन्दर यदि कोई रिक्शा चलावे तो बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

श्री बिशम्भर सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से कमसिन, बूढ़े और बीमार भी रिक्शा चला रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी रोकथाम के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री बनारसीदास—सरकार का इस प्रकार से नियम है कि कोई व्यक्ति जिसकी आयु १८ वर्ष से कम या ४५ वर्ष से अधिक हो रिक्शा नहीं चला सकता और ऐसे आदेश म्युनिसिपैलिटियों के एग्जीक्यूटिव आफ़ीसर्स को दे दिये गये हैं कि यदि इसके कोई बाहर है तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाय।

श्री बिशम्भर सिंह—क्या सरकार किसी को रिक्शा चलाने का लाइसेंस देने से पहले उसका कोई डाक्टरी मुआयना कराती है कि वह रिक्शा चलाने योग्य है ?

श्री बनारसीदास—नियम के अन्दर ऐसा विधान है कि वह कम से कम किसी ऐसिस्टेंट सर्जन का सर्टीफिकेट ले और यह एग्जीक्यूटिव आफ़ीसर्स का कर्तव्य है कि वह लाइसेंस देने से पहले अपने को इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट कर लें।

श्री मभागवान सहाय—क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि इस नियम का बहुत बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है ?

श्री बनारसीदास—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। जैसा मैंने अभी बताया, यह नगरपालिकाओं का क्षेत्र है और यदि ऐसा है तो उनको अधिकार है कि इस सम्बन्ध में मुनासिब कार्यवाही कर सकती हैं।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या सरकार एस० पी० सी० ए० की तरह कोई विभाग इन रिक्शा चलाने वालों की देखभाल के लिये नियुक्त करेगी ?

श्री बनारसीदास---जी नहीं, इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*४०---श्री बिशम्भर सिंह---यदि हां, तो क्या साइकिल रिक्शाओं के बन्द कराने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बनारसीदास---सरकार ने रिक्शा रखने और चलाने वालों पर नियंत्रण रखने के लिये नियम बना दिये हैं। यदि इन नियमों का उचित रूप से पालन किया जाय तो रिक्शा बन्द करने का प्रश्न नहीं उठता।

इटवा, जिला बस्ती, के अस्पताल में औषधियों की कमी तथा अस्पताल के लिये भवन निर्माण की आवश्यकता

*४१---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या अन्न मंत्री को यह ज्ञात है कि अस्पताल इटवा, जिला बस्ती, में २ वर्षों से स्पिरिट को छोड़ कर दूसरी कोई औषधि नहीं भेजी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास---अस्पताल इटवा, जिला बस्ती, में २ वर्षों के अन्दर स्पिरिट के अतिरिक्त और प्रयोजनीय औषधियां जिसका मूल्य दोनों वर्षों में १,७५७ रु० ८ आना होता है भेजी गई हैं।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अस्पताल में रोगियों की दैनिक उपस्थिति कितनी है ?

श्री बनारसीदास---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री रामलखन मिश्र---सन् ५२ और ५० के बीच सन् ५१ में किस दिनांक को औषधि की कितनी मात्रा भेजी गई ?

श्री बनारसीदास---इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

*४२---श्री रामलखन मिश्र---क्या इटवा अस्पताल 'कालाजार' पीड़ित समाज के मध्य भाग में है ? यदि हां, तो 'कालाजार' के रोक-थाम की कौन सी दवाइयां पिछले २ वर्षों में इस अस्पताल को दी गयीं ?

श्री बनारसीदास---इटवा अस्पताल कालाजार पीड़ित समाज के मध्यभाग में है तथा कालाजार योजना में सम्मिलित है। कालाजार के रोक-थाम के लिये निम्नलिखित दवाइयां दी गईं :

दिनांक	दवा का नाम	संख्या
१३-११-५०	यूरिया स्टेबेमिन	२५० ऐम्पुल्स
१८-६-५२	यूरिया स्टेबिमिन	२५० ऐम्पुल्स

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार बस्ती जिले में कालाजार के लिये कोई विशेष अस्पताल खोलने जा रही है ?

श्री बनारसीदास---इसके लिये विशेष यूनिट्स नियुक्त किये जा चुके हैं।

*४३--श्री रामलखन मिश्र--क्या इटवा अस्पताल के हेतु सरकार का कोई अपना भवन है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोई भवन निर्माण यहां कराने का विचार रखती है ?

श्री बनारसीदास--इटवा अस्पताल के हेतु सरकार का कोई अपना भवन नहीं है। अर्थ संकटकाल के कारण निकट भविष्य में सरकार यहां कोई भवन निर्माण कराने का विचार नहीं रखती है।

*४४--श्री जयेन्द्र सिंह विष्ट (जिला टेहरी-गढ़वाल) [८ सितम्बर, १९५२, के लिये स्थानान्तरित संख्या ५८ के अन्तर्गत किया गया।]

कृष्णा ग्लास वर्क्स, फ़ीरोज़ाबाद, के कोयले की ज़ब्ती

*४५--श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारियों ने ३०-९-५० को कृष्णा ग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद, का ६,१३० मन कोयला ज़ब्त किया? क्या उन पर कोई मुक़दमा चलाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बनारसीदास--हां, जिला अधिकारियों ने सर्व श्री कृष्णाग्लास वर्क्स, फीरोजाबाद, का ३-१०-५० को ६,१३० मन कोयला पकड़ा।

जी नहीं, उन पर कोई मुकद्दमा नहीं चलाया गया क्योंकि जांच के पश्चात् यह पाया गया कि इस फर्म के विरुद्ध मुक़दमा सफल होने के लिये प्रमाण पर्याप्त नहीं है ?

श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच किन अधिकारी के सिपुर्द की गई ?

श्री बनारसीदास--वहां के ए० आर० ओ० के द्वारा की गई।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या उक्त मामला आगरा के ज़िलाधीश के सुपुर्द किया गया था ?

श्री बनारसीदास--जी नहीं ?

भवाली सेनीटोरियम के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का वेतन तथा रहने के क्वार्टर

*४६--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि भवाली सेनीटोरियम में कितने निम्न क्षेणी के कर्मचारी कार्य करते हैं और उनको कितना वेतन, भत्ता मिलता है, और क्या उनको रहने के लिये क्वार्टर भी मिलते हैं ?

श्री बनारसीदास--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी है जो माननीय सदस्य की मेज़ पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५० पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार को मालूम है कि ये दसियों साल से काम करते हैं और अभी तक कनफ़र्म नहीं किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास--जी हां।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार इन निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को कोई डेली अलाउन्स या स्पेशल अलाउन्स देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है कि इनको कितना वेतन और भत्ता मिले।

जौनपुर ज़िले में सरकारी दवाखाने

*४७--श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर) क्या अन्न मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में सरकार द्वारा चलाये गये कितने दवाखाने कहां कहां चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जौनपुर जिले में जिला हेडक्वार्टर के मर्दाने और जनाने अस्पतालों के अतिरिक्त १३ सरकारी दवाखाने हैं। उनके नाम संलग्न तालिका में हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५२ पर)

*४८-५०--श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा) [१७ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये ।]

बिजनौर ज़िले के अफ़ज़लगढ़ परगने में मलेरिया का प्रकोप

*५१--श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह ज्ञात है कि बिजनौर जिले में मलेरिया का प्रकोप अफजलगढ़ परगने में होता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी हां।

*५२--श्री रतनलाल जैन--क्या स्वास्थ्य मंत्री अफ़ज़लगढ़ परगने के मलेरिया वाले भाग में मलेरिया निवारक यूनिट को भेजने का विचार कर रहे हैं। यदि हां, तो कब ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अफजलगढ़ परगना के मलेरिया वाले भाग में मलेरिया निवारक यूनिट स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है। इसे शीघ्र ही कार्यान्वित कर दिया जावेगा। इस योजना के अन्तर्गत इमारत तथा अन्य सामग्री के लिये भारत सरकार ने भी धन की व्यवस्था की है। कर्मचारियों की नियुक्ति के भी आदेश भेजे जा चुके हैं और इमारत तैयार होते ही यूनिट चालू हो जावेगी।

जौनपुर जिले में अदालती पंचायत विजयगिरि के स्थानापन्न सरपंच के कार्यालय में निर्णीत मुक़दमे

*५३--श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में अदालती पंचायत विजयगिरि के सरपंच ने अपने पद से कब त्याग पत्र दिया और उनकी जगह पर नया निर्वाचन कब हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--जौनपुर जिले में पंचायती अदालत विजयगिरि के सरपंच श्री कुंवर भारतसिंह ने अपने पद से २३-११-५१ को त्यागपत्र दिया और उनकी जगह पर नया निर्वाचन १६-५-५२ को हुआ जिसमें श्री राम खिलावन यादव सरपंच निर्वाचित हुये।

*५४--श्री नागेश्वर द्विवेदी--पुराने सरपंच के त्याग पत्र देने के बीच में कौन सरपंच काम करता रहा और उसके कार्याकाल में कितने मुकदमें दायर हुये और कितने फ़ैसल हुये ?

श्री मोहनलाल गौतम--पुराने सरपंच के त्याग पत्र दिये जाने तथा नये निर्वाचन की अवधि में २४-११-५१ से १६-२-५२ तक श्री जुखईराम पंच ने स्थानापन्न सरपंच के रूप में कार्य किया तथा १७-२-५२ से ५-८-५२ तक श्री रामनाथ मिश्र पंच ने स्थानापन्न सरपंच का कार्य किया। श्री जुखई राम तथा श्री राम नाथ मिश्र के कार्य काल में जो मुकदमें दायर हुये तथा जो निर्णय हुये उनकी तालिका संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५३ पर)

जौनपुर ज़िले में पंचायती अदालत सराय केवट के सरपंच की पदच्युति

*५५--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या यह सच है कि जौनपुर जिले की पंचायती अदालत सराय केवट के सरपंच के विरुद्ध जनता द्वारा कोई शिकायत आयी हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाहियां हुईं ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां । वे पद-च्युत कर दिये गये हैं ।

नर्सिंग आदि की व्यवस्था वाले बड़े बड़े अस्पतालों में आयुर्वेदिक चिकित्सा का प्रबन्ध

*५६--**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा**--क्या सरकार बतावेगी कि प्रदेश के बड़े बड़े अस्पतालों में जहां उत्तम प्रकार की नर्सिंग आदि की व्यवस्था है उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी कोई प्रबन्ध है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस प्रदेश में ऐसा कोई अस्पताल नहीं है ।

गुप्त रोगों की चिकित्सा के लिये स्थापित किये गये क्लिनिक

*५७--**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा**--क्या सरकार ने वेनेरल डिज़ीज़ेज़ के लिये किन्हीं ज़िला हेड क्वार्टर्स में क्लिनिक स्थापित करने की व्यवस्था की है ? यदि हां, तो क्या उनमें स्पेशलिस्ट चिकित्सक नियुक्त किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस समय कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद तथा नैनीताल के जिला अस्पतालों में ऐसे क्लिनिक स्थापित हैं ।

आगरा के अतिरिक्त और किसी अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त नहीं हैं ।

*५८--**श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा**--क्या सरकार का इरादा इन रोगों के इलाज के लिये प्राइवेट स्पेशलिस्ट चिकित्सकों को भी चिकित्सा करने के लिये आमन्त्रित करने का है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--इस संबंध में सरकारी नीति यह है कि प्राइवेट विशेषज्ञ चिकित्सकों के आवेदन पत्र देने पर उनकी अवैतनिक नियुक्ति के लिये विचार किया जाता है । अगर कोई आवेदन पत्र आवेगा तो उस पर विचार होगा ।

अनाथालयों और विधवाश्रमों पर सरकारी नियंत्रण

*५९--**श्री पातीराम** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार अनाथालयों और विधवाश्रमों को अपने नियंत्रण में लेने पर विचार रखती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां ।

* * * *

हरदोई ज़िले की संडीला तहसील में मारे गये तथा लूटे गये सरपंचों की संख्या

*१--**श्रीमती लक्ष्मी देवी** (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिला में तहसील संडीला में कितने पंचायत सरपंच मारे गये तथा कितने लूटे गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--हरदोई ज़िला में संडीला तहसील में कोई पंचायत सरपंच न मारा गया और न लूटा गया ।

* * * *

हाथरस नगरपालिका को आर्थिक सहायता

*७--**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि सरकार ने नगरपालिका, हाथरस को कई बार प्रार्थना पत्र देने के उपरान्त भी सन् १९४७ ई० से लगाकर आज तक कोई आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की है ?

श्री मोहनलाल गौतम--जी नहीं । अभी सन् १९४८ में ही नगरपालिका हाथरस को गन्दे पानी के निकास की योजना के संबंध में ३।। लाख रु० अनुदान के रूप में और सन् १९५० ई० में १ १/४ लाख रु० ऋण के रूप में दिये गये हैं ।

गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में अस्पताल का खोला जाना

*८—**श्री गौरीराम** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर जिले के तहसील फरेंदा में किन किन जगहों पर अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वर्तमान समय में सरकार का उक्त तहसील में कहीं भी अस्पताल खोलने का विचार नहीं है और न सरकार के पास कोई सिफारिश अथवा आवेदन पत्र ही इस विषय में अभी तक पहुंचे हैं। उक्त तहसील के ग्राम पनेरा में एलोपैथिक अस्पताल तथा ग्राम खोरिया में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की संभावना पर सिविल सर्जन तथा जिला ग्रामीण अस्पताल परामर्शदात्री सभा विचार कर रही है। उनकी सिफारिश सरकार के पास अभी तक नहीं पहुंची है।

सिवहारा (जिला बिजनौर) टाउन एरिया में टैक्स की बकाया

*९—**श्री मदन मोहन उपाध्याय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सिवहारा टाउन एरिया में लगभग २०,००० रुपये टैक्स का बकाया में पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल गौतम—वित्तीय वर्ष १९५१-५२ के अन्त में टाउन एरिया सिवहारा में असंग्रहित कर १८,२६२ रु० ४ आना था। इस समय (१६ अगस्त) १३,४५१ रु० बकाया है। इसका कारण यह है कि १९४९–५०, १९५०–५१ तथा १९५१–५२ में टाउन ऐरियाज़ ऐक्ट तथा उसके नियमों में जो संशोधन हुये उससे कर निर्धारण सूची बनाने तथा उसको अंतिम रूप प्राप्त होने में विलम्ब हुआ। सन् १९४९–५० के वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में इस योग में अप्राप्त कर ६८१ रु० १३ आना था। परन्तु टाउन ऐरियाज़ ऐक्ट के १९४८ में संशोधन होने के कारण कर संग्रह का कार्य कमेटी दिसम्बर, १९४९ में ही शुरू कर सकी। इस कारण १९४९–५० के अन्त में अप्राप्त कर बढ़ कर १०,९०४ रु० २ आना हो गया।

१९५०–५१ में सरकार ने कर निर्धारण तथा कर संग्रह के नियमों में संशोधन किये। संशोधित नियम अक्तूबर, १९५० में टाउन ऐरिया को प्राप्त हुये। इस कारण कर निर्धारण सूची बनाने तथा उसको अंतिम रूप प्राप्त होने के पश्चात् कमेटी के पास संग्रह के लिये समय कम रह गया और यद्यपि इस वर्ष में कमेटी ने १७,२८९ रु० की प्राप्ति की, १९५०–५१ के वित्तीय वर्ष के अन्त में ११,८८६ रु० बाकी रह गया।

१९५१–५२ की कर निर्धारण सूची कमेटी के कर्मचारियों के १९५१ के जनगणना में व्यस्त रहने के कारण समय से तैयार न हो सकी। इस वर्ष में ११,७३७ रु० ६ आना वसूल किया गया परन्तु फिर भी वर्ष के अन्त में अर्थात् ३१ मार्च को अप्राप्त कर १८,२६२ रु० ४ आना रहा। १५ अगस्त तक ४,८१० रु० ११ आना वसूल हो गया है और आशा है कि ३१ मार्च, १९५३ तक सब कर वसूल हो जावेगा।

* * * *

हाथरस के आंखों के अस्पताल को सरकारी सहायता

*३६—**श्री हरदयाल सिंह पिपल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हाथरस के हरी आई हास्पिटल को जो कई वर्षों से वहां की जनता के सहयोग द्वारा चलाया जा रहा है अब तक कितनी सहायता प्रदान की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—हरी आई हास्पिटल हाथरस में अपने काम के विषय में कभी कोई सूचना डाइरेक्टर चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी और न कोई आर्थिक सहायता ही ही मांगी।

हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड को सड़क निर्माण के लिये सरकारी ऋण

*३७—**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ** (अनुपस्थित)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस म्युनिसिपल बोर्ड को ३ लाख ६५ हजार की रकम सड़कें बनाने के

लिये प्रदेशीय सरकार की ओर से ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो उस रक़म में से कितना रुपया सड़क बनवाने पर व्यय हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम--जो हां, अपनी सड़कों पर बोर्ड ने सन् १९५० तक अपना भी धन मिला कर कुल ४,५६,५७५ रु० व्यय किया ?

सड़कों के निर्माण तथा रख-रखाव के लिये नगरपालिकाओं को दी गई सरकारी सहायता

*३८--**श्री कृष्ण शरण आर्य** (अनुपस्थित)--क्या स्वशासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले दो वित्तीय वर्षों में प्रदेशीय सरकार की ओर से कितनी कितनी आर्थिक सहायता प्रदेश की प्रत्येक नगरपालिका को सड़कों के निर्माण तथा रख रखाव के निमित्त दी गयी हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--पिछले दो वित्तीय वर्षों में जिन जिन म्युनिसिपल बोर्डों को जितनी जितनी आर्थिक सहायता सड़कों के निर्माण तथा रख रखाव के निमित्त दी गई है उनका विवरण संलग्न सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १५४ पर)

उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल द्वारा हड़ताल कराने के निश्चय के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष--मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव आया है जिसे श्री रामनारायण त्रिपाठी ने भेजा है । वह चूंकि काफी महत्व का है इसलिये मैं उसको पढ़ कर सुनाये देता हूं । "अध्यापकों के बकाया वेतन की अदायगी उनकी वेतन वृद्धि के मसले पर प्रदेशीय सरकार की उपेक्षा नीति के कारण उत्तर प्रदेश अध्यापक मंडल ने ९,१०, ११ सितम्बर, सन् १९५२ को सारे प्रदेश के प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के द्वारा हड़ताल का निश्चय किया है । इस हड़ताल के कारण प्रदेश की सारी शिक्षा मशीनरी के अस्त-व्यस्त हो जाने का खतरा है तथा सरकार द्वारा दमन का रास्ता अख्तियार करने पर परिस्थिति और भी भयावह हो सकती है । अतः विधान सभा इस संबंध में विवाद करने के लिये कार्य स्थगित करती है ।"

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, सारे प्रान्त के जिला बोर्डों के प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का प्रश्न ....

अध्यक्ष--इसकी अरजेंसी के बारे में आप बतलाइये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--जी हां । पिछले कई वर्षों से हमारी सरकार के सामने विचाराधीन है परन्तु जो कमेटी नये स्केल्स आफ पे के लिये बनी थी, उसके सुझाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ? अरजेंसी इस बात की है कि सारे प्रांत में हड़ताल की वजह से अव्यवस्था फैल सकती है और सरकार की नीति हमेशा ऐसी रही है कि उचित मांगों के लिये भी दमन का रास्ता अख्तियार किया जाता है । अगर अध्यापकों को गिरफ्तार किया गया या अन्य किस्म की कार्यवाही हुई तो एक बड़ा खतरा हो जाने का अन्देशा है । अगर इस पर वादविवाद के लिये इजाजत मिल जाय तो हो सकता है कि सरकार उक्त वादविवाद की रोशनी में कोई तत्कालिक कदम उठाये जिससे इस खतरे को रोका जा सके ।

अध्यक्ष--इसके लिये आप सदन से इजाजत मांगें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस कामरोको प्रस्ताव की इजाजत दे ।

अध्यक्ष---किसी को आपत्ति है ।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---जी हां मुझे आपत्ति है। एक तो प्रस्ताव जिन शब्दों में रखा गया है उस पर तो आपत्ति है ही लेकिन एक वैधानिक आपत्ति यह है कि जब तक सरकार को इसकी इत्तिला न हो कि हड़ताल होने जा रही है, मुमकिन है माननीय सदस्य को इस बात की इत्तिला हो कि हड़ताल होने वाली है, अखबारों को छोड़कर कोई इत्तिला सरकार के पास ऐसी नहीं आई है कि अध्यापक हड़ताल करने वाले हैं लेकिन जब हड़ताल हो जाय तब तो मुमकिन है कि यह एक ऐसा विषय बन जाय जो अर्जेंसी (आयात) की मात्रा तक पहुंच सके, लेकिन इस संबंध में अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान रूल ७०, सब क्लाज (३) की ओर दिलाना चाहता हूं "दी मोशन शैल बी रेस्ट्रेक्टेड टु स्पेसिफिक मैटर आफ रिसेंट अक्करेंस"। (प्रस्ताव अभिनव घटना के किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बद्ध रहेगा) इसका अर्थ यह होता है जब तक हड़ताल न हो जाय तब तक उस पर कोई एडजर्नमेंट मोशन (कार्य-स्थगन प्रस्ताव) नहीं आ सकता क्योंकि वह रिसेंट अक्करेंस (अभिनव घटना) हुआ नहीं। अक्करेंस (घटना) हो जाने के बाद ही इस बात का प्रश्न उठता है। इसलिये यह वैधानिक आपत्ति मुझे इस प्रस्ताव के स्वीकार करने में है।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात हमारे मित्र त्रिपाठी जी ने कही है उससे उनके दिल में यह आशंका हुई कि हड़ताल होगी और सरकार गिरफ्तारी करेगी, एक अजीब परिस्थिति पैदा हो जायगी। ऐसी बात हमेशा नहीं हुआ करती। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि देवरिया में बीज गोदामों पर सत्याग्रह होने वाला था और उसमें बड़े बड़े लीडरों के नाम दिये गये थे कि वह भी शरीक होंगे लेकिन आखिर में वह नहीं हुआ। इस वजह से जब तक वह चीज हो न जाय तब तक वह प्रश्न उठता नहीं है। रिसेन्ट अक्करिंग (अभिनव घटना) की बात होना जरूरी है नहीं तो फिर वही देवरिया की बात को दोहराया जायगा और यहां की बहस मुबाहसा बेकार हो जायगी। इसलिये यह जरूरी नहीं है कि इस प्रस्ताव को मंजूर किया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री ने यह एतराज उठाया है कि यह रिसेंट अक्करिंग की बात नहीं है। माननीय त्रिपाठी जी ने कहीं पर भी अपने प्रस्ताव में यह बात नहीं कही है कि यह हो गयी। उन्होंने यही कहा है कि हड़ताल का नोटिस दिया गया है और उससे इस प्रकार की भयंकर स्थिति होने वाली है ।

अध्यक्ष ---इस प्रकार की वैधानिक आपत्ति तो उठाई नहीं जा सकती। मैंने तो सिर्फ यह प्रश्न उठाया था कि क्या किसी को अनुमति देने में आपत्ति है। उसमें एक वैधानिक कारण उन्होंने दिया कि अनुमति देने में उनको यह वैधानिक आपत्ति है। मैंने त्रिपाठी जी को इस बात की इजाजत दी कि वह अनुमति के लिये अपना प्रस्ताव रखें तो उन्होंने पेश कर दिया। अब इस स्टेज पर वह प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि माननीय शिक्षा मंत्री को इसमें आपत्ति है कि ऐसी अवस्था में उनको इसकी अनुमति न दी जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हुकुम सिंह जी की एक दलील का उत्तर देना चाहता हूं जो दलील कि उन्होंने इस कामरोको प्रस्ताव के लिये अनुमति न देने के पक्ष में दी है। अगर वह मेरी दलील को सुन लेंगे तो वह हमारे कामरोको प्रस्ताव के पक्ष में हो जायेंगे। यदि वह उचित ध्यान देंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देवरिया में सत्याग्रह इसलिये रुका कि सरकार ने भी उसके लिये कुछ मेहरबानी की। जब सत्याग्रह करने का निश्चय किया गया तो सरकार ने ऐसे उपाय किये कि जिससे सत्याग्रह रुके और उसके लिये सरकार ने एक कदम उठाया चाहे वह इस प्रदेश की रही हो या केन्द्र की रही

हो लेकिन एक कदम उन्होंने उठाया। उसने इस बात की जरूरत समझी कि सत्याग्रह रुकना चाहिये चाहे वह बन्दूक के बल पर या समझौते के बल पर। समझौता की बात सफल हुई। इसलिये वह सत्याग्रह रुका।

अध्यक्ष—चूंकि अनुमति के देने में आपत्ति है इसलिये मैं सदन के सामने इसको रखना चाहता हूं। जो माननीय सदस्य अनुमति देने के पक्ष में हैं वह अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा करें।

(२४ सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हुये।)

अध्यक्ष—इस प्रस्ताव के पक्ष में २४ की संख्या है और प्रस्ताव के लिये ३६ की संख्या होना चाहिये। इसलिये इससे यह स्पष्ट है कि सदन की अनुमति नहीं है।

हरकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट परामर्शदात्री समिति के रिक्त स्थान पर श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित के निर्वाचन की घोषणा

अध्यक्ष—मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि हरकोर्ट बटलर टैक्नालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर की परामर्शदात्री समिति के लिये एक रिक्त स्थान की पूर्ति होनी थी। उसमें श्री ब्रहमदत्त दीक्षित का नाम रहता है। इसलिये श्री ब्रम्हदत्त दीक्षित इसके लिये निर्वाचित हुये।

उत्तर प्रदेश शुगर फ़ैक्ट्रीज़ कंट्रोल (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई०, पर राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश शुगर फैक्टरीज़ कंट्रोल संशोधन विधेयक १९५२ ई० पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० मई, १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २ जून, सन् १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति २९ जून, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, राष्ट्रपति की अनुमति की घोषणा

अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५२ ई० पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी २७ मई, सन् १९५२ ई० की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३१ मई सन्, १९५२ ई० की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति की अनुमति ३ जुलाई, सन् १९५२ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश का १७ वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२, पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की नियत अवधि ३ सितम्बर, १९५२ से १० सितम्बर, १९५२ तक बढ़ा दी जाय।

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—आदरणीय स्पीकर महोदय, मैंने उसी दिन अपनी यह शंका रखी थी कि यह जो प्रवर समिति में बिल को ले जाने की कोशिश सरकारी बेंचेज के द्वारा हो रही है वह नहीं होनी चाहिये थी और मेरी वह शंका आज बिलकुल ठीक उतरी। मैं राजस्व मंत्री जी के इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन

[श्री राज नारायण]

जो एक हफ्ते का समय दे चुका है वह काफी है और इस समय के भीतर ही यह विधेयक सदन के सामने आना चाहिये था और उस पर यहां विचार होना चाहिये था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था विधेयक एक ऐसा विधेयक है जो कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट की कमी को पूरा करता है और इस बिल को सदन से पारित कर के ऐक्ट का स्वरूप देने में जितना विलम्ब हो रहा है उतना ही किसानों को नुकसान हो रहा है और सरकार की जानकारी के लिये मैं बतलाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले बनारस में कसवार राजा के बारे में कहा था कि वहां भी जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट लागू कर दिया जायगा लेकिन ऐक्ट के चौथे नियम के अनुसार अभी तक घोषणा नहीं हुई है और अभी वहां से पत्र आया है कि वहां बेदखलियां जारी हैं और बराबर तारीखें चार पांच पड़ रही हैं और किसानों का धन खर्च हो रहा है। जब कि सरकार एक काम को करना चाहती है तो इसका क्या कारण है कि वह उसे धीरे धीरे और डर डर के करती है और डर के कदम उठाती है। जब कि यह विधेयक एक बार प्रवर समिति के लिये प्रस्तुत हुआ था उस दिन सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इसमें ७ दिन से अधिक देर नहीं लगाई जायगी, मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपने उस आश्वासन को अब वापिस ले रहे हैं। उनको आश्वासन वापिस नहीं लेना चाहिये। उन्हें ३ तारीख को आज इस बिल को प्रस्तुत करना चाहिये था और मुझे तो डर है कि १० तारीख को भी जिस दिन वह अब इस बिल को पेश करने को कहते हैं शायद उस दिन भी कोई ऐसी घटना हो कि उस वक्त कुछ दिन के लिये यह स्थगित हो जाय। इसलिये इन चन्द शब्दों में अपनी पुरानी शंका को दोहराते हुये मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की यह नीति ही नहीं है कि वह किसानों के हित में कदम उठावे। एक बिल इस आशय का आया और वह क्यों आया उसके कारण भी मंत्री जी ने छपवा कर बटवा दिये। सबको मालूम हुआ, अखबारों में भी चर्चा हुई कि सरकार किसानों की बेदखली को रोकना चाहती है। सरकार की मंशा भी व्यक्त हो गई ढाढ़स बंधा, लेकिन सरकार को यह सोचना चाहिये कि अगर देर की जायगी तो सैकड़ों और हजारों बेदखली के मामले दायर कर दिये जायेंगे और कितने ही उजड़ जायेंगे तब बिल आया तो उस से क्या लाभ होगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दृढ़ता, साहस और संयम के साथ अब सरकार की और सम्मानित सदस्यों की आदत छूटनी चाहिये और हम एक निश्चय करें, और हमें जो भी निश्चय करना है वह सोच समझ कर करना है। कोई बालकों का खेल नहीं है। हम विधेयक प्रस्तुत करते हैं, विधान निर्माता हैं। जब हम विधान निर्माता हैं तो कुछ तो परिपक्वता होनी ही चाहिये, वस्तु स्थिति का विवेचन होना ही चाहिये। जब हम कहते हैं कि एक एक दिन में कोई काम करने के लिये हमारे पास सामान मौजूद है तो फिर क्या कारण है कि बाद को वह काम एक हफ्ते के लिये टाला जाय। फिर ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि २ महीने, चार महीने या ६ महीने के लिये टाल दिया जाय। इसमें कोई ग्रेस या खूबी नहीं है। इसलिये उस दिन जो प्रस्ताव पेश किया गया था और जिस प्रस्ताव द्वारा वह सेलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत किया गया था तथा उस दिन जो वायदा किया गया है सरकार को उसी अपने वायदे को पूरा करना चाहिये।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर प्रवर समिति बनाने का विरोध माननीय विरोधी दल के नेता ने किया था परन्तु मैं समझता था कि उस समय का विरोध अब इस समय विरोध नहीं रहेगा क्योंकि उस समिति में उनके दल के ३ माननीय सदस्य भी थे जिन्होंने उस प्रवर समिति में भाग लिया था और मैं आशा करता हूं कि उन माननीय सदस्यों ने नेता विरोधी दल को अपनी राय दी होगी। यदि माननीय नेता विरोधी दल या उनकी पारटी के कोई सदस्य प्रवर समिति में न होते तब तो मैं यह समझता कि इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, कितने मसले हल करना है इसका पता उनको नहीं है। परन्तु उस समिति में उनके दल के ३ सदस्य थे। प्रवर समिति की एक बैठक हुई और वह रात के करीब १० बजे तक बैठी और उस समय सब ने यह उचित समझा कि अभी इसकी तीन चार बैठकें और होनी चाहिये जिसके बाद ही प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे सकेगी। मैं आशा करता था कि माननीय नेता विरोधी दल अपने उन माननीय सदस्यों से ही मशविरा लेकर कोई विरोध

प्रस्तुत करेंगे क्योंकि यह एक अहम मसला है जिसके बारे में ऐसे तो सब यह चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द पास होना चाहिये। यह तो उस विधेयक में साफ ही है कि १३५९ फसली में जिसका कब्जा होगा उसके हक में फैसला होगा। इसलिये मान लीजिये कि आज, कल या ६ महीने तक कोई ऐसी परिस्थिति कायम रही और काश्तकार या जमींदार अपने शिकमी काश्तकारों को बेदखल कराते रहे तो भी कोई अहित उनका होने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमें जितना समय प्रवर समिति मांगती है उतना उसे देना चाहिये। मुझे यह नहीं मालूम कि सरकार ने कोई आश्वासन दिया था या नहीं लेकिन मैं यह समझता हूं कि सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुज़फ्फ़रनगर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जिस समय विरोधीदल की ओर से इस प्रस्ताव का विरोध हुआ, बहुत ही दुख हुआ। जिस प्रवर समिति में यह विधेयक भेजा गया था उसमें हमारे सोशलिस्ट भाई भी थे और सभी लोगों की तरफ से जब रात को बहुत देर हो गई ५ बजे से रात के ९ बज गये तो ९।। बजे के करीब यह प्रस्ताव पेश किया गया कि इसके लिये कुछ और समय ले लिया जाय। उसके बाद तीन रोज़ की छुट्टी थी। सोचा गया कि छुट्टियों के दिन भी ख़राब न किये जायं। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे अवसर पर जब कि सभी दलों के लोगों ने जो उस समय प्रवर समिति में मौजूद थे यह जाहिर किया था कि इसकी मियाद को और बढ़ा दिया जाय तब यहां इस तरह पर विरोध करना मैं समझता हूं अनुचित है। जब हम सब लोगों की यह इच्छा थी तो उसके लिये हमें एकमत ही रहना चाहिये था।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज विरोधी दल के नेता द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। अगर मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूं तो मैं तो यह कहूंगा कि जो ऐक्ट आया है उसे विरोधी दल के नेता ने नहीं समझा है। आप कहते हैं कि बनारस और दूसरे जिलों में बेदख़ली के मुक़दमे हो रहे हैं और उससे काश्तकारों को परेशानियां हो रही हैं लेकिन सही बात तो यह है कि जिस विधेयक के बारे में सेलेक्ट कमेटी बनी हुई है उसमें बेदख़ली की बात है ही नहीं, उसमें तो केवल १३५९ फसली में जो काश्तकार किसी भूमि पर काबिज रहे हैं ख़ास तौर पर सीर की ज़मीन पर और खुदकाश्त की ज़मीन के ऊपर उसका इन्दराज हो जाय। तो कोई जिक्र इसमें १८० के मुक़दमे वग़ैरह का नहीं है जिसके लिये इतना पुरजोश और गरमागरम भाषण किया जाता है। जहां तक सेलेक्ट कमेटी की बात है मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी समिति में माननीय गेंदा सिंह और अन्य दूसरे जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, उनकी भी यही राय थी कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के ऊपर जल्दी जल्दी करने से कोई लाभ नहीं होगा और इसी वजह से प्रवर समिति की मीटिंग स्थगित हो गई। इतना ही नहीं बल्कि सभी लोगों ने एक स्वर से यह बात कही कि अगली मीटिंग में इसको रखना चाहिये। जब यह बात हुई कि पहली तारीख़ को मीटिंग हो जाय तो सभी लोगों ने कहा कि पहली तारीख़ ठीक नहीं है लोग शायद अपने घरों को जायं और इसलिये तीन तारीख़ को भी ठीक नहीं समझा गया और इसी वजह से वह ४ तारीख़ को रखी गई और आज उसका विरोध हो रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता ने शायद अपनी पार्टी के कमेटी के सदस्यों से बात नहीं की, नहीं तो वह विरोध न करते।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। सेलेक्ट कमेटी में जो कुछ हुआ उसके बारे में माननीय सदस्य निवेदन कर रहे हैं। यह नियम १०० की उपनियम (८) में जो बात है उसके विरुद्ध है। वह उपनियम इस प्रकार है:—

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

"(8) the discussions of a select committee shall not be disclosed by any member not shall any reference to it be made in the assembly."

[(८) कोई भी सदस्य प्रवर समिति की किसी चर्चा को प्रकाशित नहीं करेगा और न सभा में ही ऐसी चर्चा का कोई निर्देशन किया जा सकेगा ।]

अध्यक्ष--क्या माननीय सदस्य सेलेक्ट कमेटी में हैं ?

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बारबंकी)--जी हां । लेकिन मैं उस कमेटी के निर्णयों को नहीं बता रहा हूं । यह तो उसके विधान के बाहर की बात है यह उसके फैसले की बात नहीं है बल्कि आपसी बात जो थी उसके बारे में निवेदन कर रहा था । सभी लोगों की राय थी कि ऐसे मामले में थोड़ा समय और लिया जाय । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विरोधी दल के नेता इस पर राजी हो जायं और अपने विरोध को न करें ।

श्री वृजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे विरोधी दल के नेता का तर्क सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उनका यह कहना है कि इसमें बहुत शीघ्रता करनी चाहिये और इस विधेयक को जल्द से जल्द पास कर देना चाहिये । हम सब इसको मानते हैं और सारा हाउस यह चाहता है कि यह विधेयक जल्द से जल्द पास हो और कानून के रूप में परिणित हो जाय परन्तु प्रश्न यह है कि किसी कानून के बनाने में इतनी जल्दी करना उचित भी नहीं है । हमारे विरोधी दल के नेता भी इसको मानते हैं कि कोई ऐसा कानून जल्दी में न बन जाय जिसमें नुक्स रह जाय । जिस दिन यह विधेयक पेश किया गया था उस दिन भी इस बात पर बहस की गई थी उस दिन भी विरोधी दल के नेता ने विरोध किया था और यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया था । अभी बतलाया गया कि प्रवर समिति में हम लोगों ने यह बात समझी कि इस पर अभी विचार किया जाय और उसी के लिये इसको स्थगित किया गया । अब आज यह कहना कि इसमें शीघ्रता की जाय और मोहलत न दी जाय अनुचित है । इतनी शीघ्रता से कोई कानून न बनना चाहिये कि उसमें बारबार संशोधन की आवश्यकता हो । इसलिये हम समझते हैं कि माननीय विरोधी दल के नेता अपने विरोध को वापिस ले लेंगे और प्रवर समिति को पूरा समय देंगे ताकि वह अच्छी तरह से सोच समझकर इस कानून को भेजें और उस पर फिर किसी को विरोध न हो ।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है कि १० तारीख तक इसके लिए मियाद बढ़ा दी जाय इस सम्बन्ध में एक बड़ी ग़लतफहमी है । थोड़ा सा मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं कोई सेलेक्ट कमेटी की बातों को डिस्क्लोज करने के ख्याल से नहीं बल्कि स्पष्ट करने के ख़याल से कुछ कहना मुनासिब समझता हूं । यह बात सही है कि उस दिन जो बातचीत हुई सेलेक्ट कमेटी में, उसके अनुसार यह जरूरत समझी गयी कि इस पर फौरन आज कोई फैसला नहीं ले लेना चाहिए । हमको कुछ मौका और लेकर इस पर अच्छी तरह से विचार करके एक ऐसी रिपोर्ट देनी है जिसमें सदन को अपना निर्णय करने में दिक्कत न हो और यह भी सही है कि हमने अपने नेता राजनारायण जी को इस बात की सूचना नहीं दी थी । अगर हमने सूचना दी होती तो सम्भव है कि राजनारायण जी इस सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शित न करते । मुझे इस बात का अफसोस है कि हमने इस बात की सूचना उनको नहीं दी और मैं उनसे इस बात की प्रार्थना करूंगा कि वह अपना विरोध वापस ले लें ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता मौके बे मौके कोई उचित बात भी हो लेकिन अपनी बात कहने के लिये इस भवन का

समय ले लेते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पर जब कोई दबाव डाला जाता है तब इस तरह का कोई कानून सरकार लाती है। फिर उसमें इस तरह से विलम्ब करती है। वास्तव में सरकार के हृदय में उस विधेयक को लाने की कोई इच्छा है ही नहीं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह सब बातें जब विधेयक उपस्थित हुआ था तो काफी कह चुके। जो प्रश्न इस समय भवन के सामने उपस्थित किया गया है वह सिर्फ यह है कि कुछ समय और दिया जाय। इस भवन के माननीय सदस्य श्री गेंदा सिंह जी भी उस सेलेक्ट कमेटी में थे। २९ तारीख को सेलेक्ट कमेटी की बैठक हुई। उसके बाद ३०, ३१ और पहली को इस भवन को छुट्टी थी। हालांकि हम लोगों की यह इच्छा थी कि जल्दी से मीटिंग हो जाय और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो जाय। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों ने स्वयं बताया वहां इस पर विचार विनिमय रात तक हुआ। लेकिन पूरा नहीं हो सका। तो सबने ख्वाहिश जाहिर की कि इस पर और विचार विनिमय की आवश्यकता है और किसी ने विरोध नहीं किया कि समय न दिया जाय। गेंदा सिंह जी ने कोई ऐसी बात भी नहीं कही कि तीन दिन को जो छुट्टियां पड़ रही थीं उनमें बैठक की जाय।

यह एक अवश्यक विधेयक है। इसको सेलेक्ट कमेटी के पास जाने की जरूरत थी या नहीं यह तो स्वयं श्री राजनारायण सिंह जी श्री गेंदा सिंह जी से पूछ सकते हैं जिन्होंने सेलेक्ट कमेटी में भाग लिया और काफी दिलचस्पी से भाग लिया और जानते हैं कि सेलेक्ट कमेटी में जाने की कितनी आवश्यकता थी। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है कि अपनी बात को मौके बे मौके कहना और सीधे से प्रस्ताव का विरोध करना कहां तक मुनासिब है। कसवार राज्य की बात भी कही गयी। वह एक अलग सा प्रश्न है। वह सरकार के विचाराधीन है। भवन के सामने सीधा सा प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि भवन स्वीकार करेगा।

अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था (अनुपूरक) विधेयक, १९५२ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत करने की नियत अवधि ३ सितम्बर, १९५२ से १० सितम्बर, १९५२ तक बढ़ा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)——जनाब स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

सरकार के पास अपने बनाये हुए मकान हैं, औरों के मकान किराये पर लिये हुए हैं और कानून के मुताबिक रिक्वीज़ीशन किये हुए हैं और इन सब मकानों में लोग रहते हैं, किराया देते हैं। बाज़-बाज़ में किसी में सरकारी दफ्तर भी हैं और इस वक्त गालिबन सरकार के किरायेदारों की तादाद कोई २५/३० हज़ार होगी। मुमकिन है कुछ इससे भी ज्यादा हो, लेकिन इतनी तो है। तो किराया वसूली होने में दिक्कत भी होती है। बहुत से आदमियों का मिलता नहीं और बेदखलियों की जरूरत होती है तो बेदखली करने में भी दिक्कत होती है। जो इस वक्त कानून है, उसकी रू से अगर किसी के खिलाफ किराये की वसूलयाबी की कार्रवाई की जाय या बेदखली की कार्रवाई की जाय अदालत में तो उसमें इसके बारे में मौका रहता है और अपील दर अपील होती है। चार पांच साल गुजर जायं, किसी में कोई ला का प्वाइंट हुआ तो लड़ता हुआ हाईकोर्ट तक चला गया, पांच छः साल गुजर गये। किराया भी वसूल नहीं हुआ, बेदखली भी नहीं हुई। सरकारी इमारतें हैं। उनके वितरण, अकुपेशन और तकसीम की जरूरत रहती है। तो इससे गवर्नमेंट को दिक्कत होती है। बेदखली की जरूरत इसलिये भी हो सकती है कि एक शख्स नादेहन्द है, किराया नहीं देता, उसको वहां से हटा दिया जाय,

*२ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

तो इन सब दिक्कतों को देखते हुये यह बात सोची गयी कि एक ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें किसी के उन हुकूक का जो उसे कानूनन हासिल हों कोई सदमा न पहुंचे और किसी का कोई हक छीने नहीं, लेकिन जहां तक कि किराये की वसूली और बेदखली का ताल्लुक है उन मकानों की, जगहों की बाबत कि जो सरकार ने किसी को दी है, कार्रवाई जल्द हो सके। इसलिये यह कानून बनाया गया और इस कानून में यह बात रखी गयी कि एक शख्स को जिसको कि गवर्नमेंट इस कानून की रू से काम्पिटेंट अथारिटी (अधिकृत अधिकारी) करार दे उसको वह अख्तियारात में जो इसमें दिये गये हैं दिये जायं ताकि वह उनको इस्तेमाल करे मसलन यह कि एक किरायेदार पर किराया चढ़ता है तो काम्पिटेंट अथारिटी उसको एक नोटिस देगी कि इतना किराया तुम्हारे ऊपर चाहिये है, इस किराये को फलां तारीख तक दाखिल करो। तो वह शख्स जिसको नोटिस दिया गया है या तो यह कह सकता है कि यह किराया मुझ पर वाजिब नहीं और अगर वाजिब है तो फिर उसको अदा करना चाहिये। अगर वह यह कहता है कि यह किराया मुझ पर वाजिब नहीं है तो कानून कहता है कि किराये को अन्डर प्रोटेस्ट जमा कर दिया जाय और इस बात के खिलाफ चाराजोई करली जाय कि हम पर किराया वाजिब नहीं है। अगर चाराजोई का नतीजा यह निकले कि किराया बाकी नहीं निकला तो उस शख्स को पाने का हक है। अगर ऐसी उज्रदारी नहीं हुई और यह नहीं कहा कि मुझ पर किराया वाजिब नहीं है तो फिर वह किराया बग़ैर किसी और बात के उस तरीके से वसूल कर सकेगी वह काम्पीटेंट अथारिटी जिस तरीके से कि लैंड रिफार्म्स ऐक्ट में लिखे हुये कायदों के मुताबिक मालगुजारी वसूल होती है और किराया वसूल हो जायगा और जिसने किराया दाखिल नहीं किया वह आयन्दा के लिये अनअथाराइज्ड आकुपायर (अनधिकृत अधिवासी) हो जायगा यानी जो बिला किसी इस्तहकाक हासिल किये हुये काबिज हो जाता है।

जहां तक बेदखली का ताल्लुक है इसमें यह है कि अगर किसी शख्स ने ऐसी लायबिलिटी इन्कार की है, जो किरायेदार है, वह बेदखल हो तो उसको काम्पीटेंट अथारिटी नोटिस देगी कि तुम इस मकान को खाली करो। अब उसको यह हक होगा कि वह एतराज करना चाहे तो एतराज करे। उसने एतराज किया तो काम्पीटेंट अथारिटी उस एतराज को सुनेगी और तहकीकात करेगी और इसके बाद फैसला देगी। अगर उसने यह फैसला दिया कि उसका एतराज सही है तो बेदखली नहीं होगी और अगर उसने यह कहा कि एतराज सही नहीं है और उसको बेदखल होना चाहिये तो उसको यह हक होगा कि वह इस हुक्म की तारीख से छः महीने के अन्दर डिस्ट्रिक्ट जज के पास मामला ले जाय और अपील करे इस बात की कि काम्पीटेंट अथारिटी ने जो फैसला दिया है वह सही नहीं तो डिस्ट्रिक्ट जज उस पर अपना फैसला देगा और जो वह फैसला देगा वह फाइनल (अन्तिम) होगा। उसके बाद न कोई अपील होगी और न कोई कार्यवाही ही होगी। अगर उसके माफिक फैसला होगा तो गवर्नमेंट फिर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती है और अगर उसके खिलाफ होगा तो वह भी कुछ नहीं कर सकता है।

एक बात और है वह यह है कि वह कह सकता है कि जिस मकान का किराया है वह दरअसल में सरकार का मकान है ही नहीं। एक शख्स यह भी कह सकता है अगर यह सवाल उठे और कम्पीटेंट अथारिटी जिस मकान से उसे बेदखल करना चाहती है या किराया मांगती है तो वह यह कह सकता है कि यह मकान सरकार का नहीं है तो काम्पीटेंट अथारिटी को यही हक होगा कि वह यह कहे और इसके मुताल्लिक कार्यवाही करे और मुकद्दमा दायर करे अदालत में और अदालत जो फैसला देगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। वह तभी होगा जब कि टाईटिल का क्वैश्चन उठेगा और यह सवाल अदालत के ऊपर छोड़ दिया गया है। बाकी कार्रवाई इस बात की है कि किराया आसानी से वसूल हो जाय और मामूली हालत में जब कि सीरियस एतराज न हों। ऐसी सूरत में आसानी से बेदखली हो सके।

इसके अलावा और जो दफायें हैं वह उन अहकाम की हिफाजत के लिये हैं जो जारी होंगे या उन आफिसरों की हिफाजत के लिये हैं जो इसके मातहत काम करेंगे या इस कानून के मातहत

गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का हक है। इतना ही यह बिल है। इसका खुलासा मैंने ऐवान के सामने रख दिया है जिससे मेम्बर साहबान अंदाज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह क्या है और इसका मक़सद कितना है। मक़सद सिर्फ इतना ही है कि जो आज इतने किरायेदार हैं और आयन्दा और भी ज्यादा हो जाने वाले हैं क्योंकि हर साल शरणार्थियों के लिये इमारत बनती जाती हैं। उन पर किराया बाकी रहता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत पैदा होती है। जैसे मेरठ के जिले में बेगमाबाद है वहां एक बड़ी भारी कालोनी बन गई है। शरणार्थी वहां रहते हैं और जगह शहरों में शरणार्थियों की आबादी है। तो यह मतलब नही है कि शरणार्थी हों, सरकारी मुलाजिम हों जिनके पास सरकारी मकान किराये पर हों, उनके मुताल्लिक इस किस्म की कार्यवाही की जा सके, इसके लिये यह कानून बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात की माकूलियत पर मेम्बरान ऐवान जो हैं वे बहुत संजीदगी के साथ गौर करेंगे और इस फैसले पर पहुंचेंगे कि इस कानून को हमें पास करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक को सदन के सामने उपस्थित किया है उसके उद्देश्यों को बतलाते हुये माननीय मंत्री जी ने अन्त में हमारा थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया कि किन कारणों की वजह से सरकार को आवश्यकता हुई कि वह इस विधेयक को हमारे सामने लावे। उन्होंने बेगमाबाद का जिक्र किया और वहां पर शरणार्थियों की जो कालोनीज बसाई गई हैं अगर वे किराया नहीं देते हैं तो उनको बेदखल करने के लिये यह..... ।

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं कहा है, ग़लत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आपने शरणार्थियों का नाम लिया। बेगमाबाद का नाम लिया। उनको आप बेदखल नहीं करेंगे, औरों को करेंगे। खैर आपने शरणार्थियों का नाम लिया और यह बात यों साफ हो जाती है कि एक विधेयक जो पहले पुरःस्थापित हो चुका है इस सदन में जिस माननीय मंत्री ने वापस लेकर इस विधेयक को पेश किया, उसके उद्देश्य और कारणों से यही बात थी जिसे आज आप मना कर रहे हैं। उसमें साफ-साफ लिखा हुआ था लेकिन कहीं शरणार्थी खिलाफ न हो जायं इस वजह से वह पुरःस्थापित किया हुआ विधेयक वापस ले लिया गया। मैं आपकी आज्ञा से बतलाना चाहता हूं कि जो आज का पुरः स्थापित किया हुआ विधेयक है और जो पहले किया गया था दोनों विधेयकों को मैंने पढ़ा। मैंने यह पाया कि वे दोनों शब्द व शब्द एक ही हैं, यह आज वाला विधेयक सारा का सारा वैसा ही रख दिया गया है जैसा कि वापस लिया गया है। सिर्फ फर्क थोड़ा सा उद्देश्य और कारणों में है। आखिर की चार लाइन्स निकाल दी गई हैं। पहले में जो आज का विधेयक है उसको आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उसके उद्देश्य और कारण इस प्रकार हैं "वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार न्यायालयों में वाद प्रस्तुत करने पर अधिक समय लग जाता है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने का एक यह उद्देश्य है कि संक्षिप्त कार्यवाही से ऐसे व्यक्तियों से जो ऐसी इमारतों में रहते हों, जो राज्य सरकार की हों या जिन्हें राज्य सरकार ने किराये पर लिया हो या अधिगृहीत (requisition) किया हो, किराये का बकाया राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सके। इस विधेयक का दूसरा उद्देश्य यह है कि उक्त प्रकार के निवास स्थान से ऐसे व्यक्तियों को जो अनाधिकार रहते हैं या उसे न देते हों, निकाल दिया जाय" जो विधेयक वापस किया गया है उसके अन्त में ये चार लाइन्स और लिखी गई थीं जिनको भी मैं पढ़े देता हूं "यद्यपि उक्त प्रकार के निवास-स्थानों के सम्बन्ध में सामान्यतया विधेयक का उपयोग होगा तथापि उसके प्रस्तुत करने का उद्देश्य लक्ष्य यह है कि उसे ऐसे गृह और दूकान आदि के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जाय जिन्हें सरकार ने विस्थापितों के लिये बनाया है। कई नगरों में विस्थापितों की अधिकतर संख्या ने

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

किराया देना बन्द कर दिया है और उनमें से कुछ लोगों ने "पगड़ी" लेकर निवास स्थानों को किराये पर उठा दिया है और कुछ अवैध (illegal) रीति से उक्त निवास स्थानों में रह रहे हैं।" इतना स्पष्टीकरण माननीय निर्माण मंत्री जी ने जो पहले वाले विधेयक को पेश किया गया था उसमें किया था उसको आज डिलीट कर दिया गया है। फिर भी दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि माननीय निर्माण मंत्री जी ने जो बेगमाबाद नाम लिया उसका तात्पर्य...

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---बेगमाबाद के मकान गवर्नमेंट के नहीं हैं, न उनसे कोई किराया वसूल होता है। बेगमाबाद नाम क्यों लिया था यह उसी वक्त समझना था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---खैर माननीय मंत्री जी को इसके लिये इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह विधेयक किसके लिये है। सरकारी अफसर जमाने से रहते आ रहे हैं फिर आज तक यह विधेयक क्यों नहीं लाया गया। असेम्बली को आये ६ साल हो गये और नया इलेक्शन भी हो गया। सरकारी अफसर अगर किराया देने में आनाकानी कर रहे थे, अगर बिना आज्ञा दिये बैठ जाते थे और उनको बेदखल करने की आवश्यकता थी तो आज तक यह विधेयक माननीय निर्माण मंत्री जी क्यों नहीं लाये थ

तो फिर ऐसे कौन से आदमी हैं जो सरकारी मकानों में रहते हैं। अगर आपका मतलब दारुलसफा से हो तो वह भी नहीं हो सकता तो फिर कौन से मकान हैं जो सरकार ने बनाये हों और उसमें लोग रहते हों। मैं समझता हूं इसका इशारा अगर बेगमाबाद की तरफ नहीं है तो किस तरफ है। अगर वहां पर नहीं मकान बनाये गये हैं तो फिर दूसरी जगह के लिये हो सकता है। अगर माननीय मंत्री जी इसक लिए साफ साफ कह दें तो इसमें कौन सी बुराई है कि शरणार्थी लोगों के लिये जो मकान बनाये गये हैं वे लोग किराया नहीं देते हैं या दूसरों को दे देते हैं तो इसमें डरने की क्या बात है। इसमें कोई हिम्मत की जरूरत नहीं है हालांकि हाफिज साहब के अन्दर बहुत हिम्मत है इसको हम जानते हैं---

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---तो क्या वह हिम्मत झूठ बोलने के लिये है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इसके लिये माननीय मंत्री जी तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। यह इससे मालूम होता है कि यू० पी० रेंट कंट्रोल ऐन्ड एविक्शन ऐक्ट अब जनवरी, सन् १९५१ में लाया गया था तो उसमें यह लिखा हुआ है कि---

"Provided further that nothing in this Act shall apply to—
(*i*) any premises belonging to the State or Central Government, or
(*ii*) any tenancy or other like relationship created by a grant from the Government in respect of premises taken on lease or requisitioned by the Government."

तो जनवरी, सन् १९५१ ई० से माननीय मंत्री जी इस बात की तैयारी कर रहे थे कि जो लोग सरकारी मकानों में रहते हैं अगर किसी तरह से वे लोग सरकारी मकानों में रहते हैं अगर किसी तरह से वे लोग अदायगी नहीं करते हैं तो उनको बेदखल किया जाय। सरकार ने इसकी तैयारी बहुत पहले से की है। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब सरकार सारे प्रांत के लिये मिल मालिकों के लिये, किरायेदारों के लिये, टेनेन्ट और सब टेनेन्ट के लिये रेंट कंट्रोल ऐक्ट बना रही है कि वह खामख्वाह बेदखल न हों और उनको इसकी सहूलियत दी जाय और उनकी सहूलियत के लिये रेंट कंट्रोल ऐक्ट को कायम रखा है वहां पर सरकार अपने अफसरों को इस नये ऐक्ट के जरिये से इतनी ताकत देना चाहती है कि वह बिना नोटिस और बिना कारण के किसी के अलाटमेंट आर्डर को कैंसिल कर सकता है। जब आप किरायेदारों के अधिकारों का दावा करते हैं कि उनको इन सब बातों का अधिकार मिलना

चाहिये और अपने उस अधिकार को रेंट कंट्रोल ऐक्ट के जरिये से दिया भी है तो अब आप खुद इस विधेयक को ला रहे हैं जिसकी धारा ३ और २ ऐसी है कि जिसको अधिकारी लोग बहुत अनुचित प्रयोग करेंगे। जब किसी की तबियत में आया तो किसी के एलाटमेंट आर्डर को कैंसिल कर सकते हैं जब आप टेनेन्ट और सबटेनेन्ट को इस बात का अधिकर देते हैं कि उनको बेदखल न किया जाय तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि यह कहां तक उचित है कि जो ऐक्ट आप बना रहे हैं उसमें धारा ३ के अन्तर्गत ऐसे अधिकार किसी अफसर को दिये जायं। कांपिटेन्ट अथारिटी आप किसी को भी बना सकते हैं। और वह आप इसके धारा ३ के अन्दर मंजूर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात को यह सदन किसी तरह से मंजूर करने के लिये तैयार नहीं होगा। यह विधेयक जो आपने आज इस हाउस के सामने पेश किया है यह इस सदन की इच्छा के बिलकुल प्रतिकूल है। किसी प्रकार की भी ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिये कि जिससे कोई अफसर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एस० डी० ओ० अपने हाथ में इस अधिकार को लेकर किसी के एलाटमेन्ट को कैंसिल कर दे। आप दारुलसफा का अधिकार इस्टेट अफसर के हाथ में दे सकते हैं और उसको ही कांपिटेंट अथारिटी बना सकते हैं तो फिर वह किसी भी रूम को किसी भी एम० एल० ए० से खाली करा सकता है और बेदखल कर सकता है। यह अधिकार आप स्टेट आफिसर को दे सकते हैं और इस तरह से काफी कठिनाई पैदा हो सकती है तो क्या आप स्टेट आफिसर को इस तरह का अधिकार देने के लिये तैयार हैं?

बेदखली की बात दूसरी है कि जब सवाल आया कि किराया नहीं दिया, लेकिन जब किराया देने का सवाल ही नहीं उठा, सब शर्तें मान रहे हैं, जरा निजी नाराजगी हुई तो कोई भी समर्थ अधिकारी निकाल सकता है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर दोबारा गौर करें कि इसमें कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो पिछले मान्य सिद्धांतों के विरुद्ध जाते हैं। इसके अलावा इसमें मौका दिया गया है और किरायेदारों को जो ३० दिन या १५ दिन की मोहलत दी गई है वह बहुत कम है। रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट में आपने बहुत समय किरायेदार को दिया है और आपने यह ऐक्ट बनाया ही इसलिये है जिससे किरायेदारों को ज्यादा समय मिले और आप नहीं चाहते हैं कि लोग मनमाना किराया वसूल करें। लेकिन आप इस विधेयक के द्वारा १५ और ३० दिन में फैसला दे देते हैं केवल एक उपधारा आप ने अपील की रखी है और कहीं भी अपील की गुंजाइश नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का फैसला ही अंतिम और मान्य होगा और कहीं भी यह गुंजाइश नहीं है कि अगर कोई आफत का मारा कोई शरणार्थी, मैं शरणार्थी कहूंगा क्योंकि वही क्वार्टर्स में रहते हैं और उन्हीं के लिये खास तौर से यह बनाया जा रहा है, यह कोई अफसरों के लिये नहीं है कि जो अफसर सालों तक सरकारी क्वार्टर्स में रहते हैं और किराया भी नहीं देते और बिजली और पानी का खर्च तक नहीं देते और वह भी सरकारी बजट में रख दिया जाता है। नैनीताल में रोडवेज के जनरल मैनेजर कई साल तक सरकारी इमारत में रहे और उन्होंने ३ साल में कुल ३ रुपया कुछ आना किराये के दिये। यह आप शरणार्थियों के लिये बना रहे हैं। वह बेचारे एक ओर तो पाकिस्तान से आये हैं। आप उनका पुनर्वासन करेंगे और दूसरी ओर आप उनको एविक्ट करेंगे। अगर यह विधेयक स्वीकार हो गया तो जो कठिनाई लखनऊ में गन फैक्टरी क्वार्टर्स में हुई कि उनका पानी भी बन्द हो गया। मुझे डर है कि कहीं सारे प्रांत में वही चीज न दोहराई जाय और हमारे शरणार्थी भाई जो पाकिस्तान से अपने घर छोड़ कर आये हैं उनको विस्थापित होने के बाद फिर उनका पुनर्वासन न करना पड़े। मंत्री जी इस पर दोबारा गौर करें कि जिनको वह कम्पीटेंटे अथारिटी समझ रहे हैं कहीं वह इसका दुरुपयोग न करें और जो कुछ सरकार ने प्रांत में शरणार्थियों के लिये किया है उस सबको वह कहीं चौपट न कर डालें।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अपनी कालोनाइजेशन स्कीम में कितने ही मकान इस सरकार ने और भारत सरकार ने बनाये हैं जिनमें शरणार्थी बसाये गये हैं। शिमला और मिस्वोरी वहां के नाम हैं जो पंजाबी नाम हैं। २ साल तक वहां मैला और खाद भी नहीं है अगर उनके यहां जरा भी पैदावार नहीं हुई तो वह किराया कहां से देंगे। ऐसा हो सकता है कि अनाज कम हुआ हो और शरणार्थी परिवार के लोगों को मजदूरी न मिले तो वह बेचारे कहां से किराया देंगे। जिनकी दयनीय दशा है उनको आप इस कानून से एविक्ट कर देंगे। किसी के पास अगर ५५० रुपये की बकाया है तो आप कहते हैं कि वह ३० दिन की मियाद के अन्दर ५५० रुपया जमा कर दे और उसके बाद दावा करे कि मेरेपास कोई बकाया नहीं है। ऐसी हालत में उसका जितना खर्च होगा और वह कहां से पैसा लायेगा। बाद में वह रिफंड कर सकता है।

कितनी परेशानी आप उस परिवार के लिये पैदा कर देंगे। तो मैं किछा की बात कह रहा था कि वहां के शरणार्थियों को आप इविक्ट करके कहां भेजेंगे? आप दूकानों का ही मामला ले लीजिये। मान लीजिये आपने लखनऊ में चारबाग में ही दूकानें बनवाईं और कोई ६ महीने तक किराया न दे पाया। नई दूकानें हैं अभी लोग वहां जाकर के खरीदने के आदी नहीं हैं। या किसी ने ६ मास के लिये किसी को एक कमरे में बसा लिया तो क्या आप उन्हें सबटेनेंट करार देने जा रहे हैं या निकालने जा रहे हैं? यदि कोई दूकानदार पूरा किराया न दे सका तो वह १५ दिन के अन्दर इविक्ट हो जायगा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास अपील जायगी और उसके ऊपर कोई अपील नहीं है। तो आप देखिये कि उसे कितनी परेशानी होगी। मुझे तो विश्वास है कि यदि माननीय हुकुम सिंह जी होते तो वह अवश्य मेरी बात से सहमत होते और कहते कि हां नारायणदत्त जी ने ठीक कहा है, इससे मेरे रिलीफ डिपार्टमेंट को बहुत दिक्कत होगी। जहां तक वित्त मंत्री जी का सवाल है उनके लिये तो यह विधेयक ठीक हो सकता है। वह अपने ढंग से इसे ठीक देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह पुनर्वास की योजना के लिये घातक सिद्ध होगा। जो हमारी सरकार ने अभी तक कुछ थोड़ा सा कार्य इस तरफ शणार्थियों के लिये किया है, यदि इस बिल की धाराओं को नहीं हटाया जाता या संशोधन नहीं किया जाता तो वह काम बहुत हद तक मटियामेट हो जायगा। एक नयी समस्या खड़ी हो जायगी और तब हमारी सरकार सदन के सदस्यों से कहेगी कि उसमें यह गलती हुई, हमें यह संशोधन करना है और हमको वह संशोधन करना है, इसलिये मैं ज्यादा समय न लेते हुये माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर फिर से विचार करें। जिस रूप में यह आया है उस रूप में मैं इसका पूरा विरोध करता हूं और सदन के सब सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि मेरी बात का समर्थन करते हुये माननीय मंत्री जी से वही कहेंगे जो मैंने निवेदन किया है।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नारायण दत्त जी ने जो सुन्दरता के साथ अपनी बहस इस सदन के सामने पेश की है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। परन्तु जब मैं उनके तथ्य को देखता हूं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है। उनकी सबसे पहली दलील यह है कि आज कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति है जिससे सरकार अपने किरायेदारों के लिये कानून की अलग व्यवस्था करना चाहती है जबकि गुजिश्ता जमाने में, चाहे सरकार हो या कामन व्यक्ति हो, सबको कामन ला कोर्ट में जाकर बतौर व्यक्ति के खड़ा होना पड़ता था और अपने मसलों का फैसला कामन ला कोर्ट से लेना होता था। इसमें कोई शक नहीं कि एपरन्टली यह तर्क ठीक दिखाई पड़ता है और इसी प्लाजिबिलीटी के लिये मैंने उन्हें बधाई दी, परन्तु मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि गुजिश्ता जमाने की परिस्थितियां तो बहुत दूर गुजर चुकी हैं और आज हमारे राज्य के अन्दर परिस्थितियां बहुत असाधारण हो चली हैं। हां, आज यह स्वतंत्र नागरिकों का राज्य है यद्यपि पहले यहां के लोग गुलाम थे। वे अंग्रेजों के डंडे से चाहे किराया हो या कोई और चीज हो उसके देने में देर नहीं लगाते थे। परन्तु आज स्वतंत्रता का सूर्य उदय होने से उनके

दिल व दिमाग के अन्दर एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ है। वे जानते हैं कि इस सरकार का यह पहला कर्त्तव्य है कि उनके रहने की व्यवस्था करें।

परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि गुजिश्ता जमाने में हुकूमत बरतानिया इस मुल्क में हुकूमत संपादित करती चली जाती थी और राष्ट्र के अन्दर जो इनीशियेटिव और निर्माण की शक्ति थी उसको विनष्ट करती जाती थी। उसके दो कार्य चलते थे एक तो अपनी हुकुमत का निर्माण और दूसरे इस देश की शक्ति का ह्रास। परन्तु आज जो हमारी सरकार है वह राज्य के जितने भी ४,६ करोड़ नागरिक हैं उन सबके खाने पीने की व्यवस्था करना और निर्माण कार्यों को जबर्दस्त रूप में जारी करना अपना कर्तव्य समझती है। अगर आज छोटे-छोटे मामलों में सरकार एक एक आदमी के लिये अदालत में खड़ी होती रहे और अपना समय जाया करती रहे तो वह कैसे अपने निर्माण कार्यों को कर सकती है। जो अदालती मामलों से संबंध रखते हैं वे जानते हैं कि अदालती मामलों में कानून की मशीनियरी कितनी कंप्लीकेटेड चलती है। ४-४, ६-६ और १५-१५ साल मुकदमों को चलते हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सरकार के हाथ में इसी प्रकार की हथकड़ियां पड़ी रहें, वह इस दलदल में ही फंसी रहे और देश के निर्माण कार्यों के लिये उसको समय न मिले। जब हमारे सामने इतने बड़े बड़े निर्माण कार्य हैं, जब हमारे राज्य की हमें चौमुखी उन्नति और विश्वास करना है तो क्या चन्द व्यक्तियों के लिये हम सरकार के हाथ बांध दें और कह दें कि वह कुछ व्यक्तियों से अदालत में मुकदमें लड़ती रहे। इन परिस्थितियों को देखते हुये मैं यह कहता हूं कि यह जो विधेयक उपस्थित किया गया है वह बहुत ही अच्छा है, यह सरकार के हाथों को निर्माण कार्य के लिये खुला रखेगा। अगर उनकी वृद्धि ठीक तरह से संचालित होगी, अगर उनका दिमाग शांत होगा तभी वे बड़े-बड़े कामों को संचालित कर सकेंगे वर्ना नहीं। इसलिये नारायणदत्त जी ने जो खूबसूरती और प्लाजीबिलिटी के साथ दलील दी उसकी तो मैं पहले ही बधाई दे चुका हूं। इसके साथ ही साथ मैं उनको यह भी बताला देना चाहता हूं कि अगर वे इन बातों पर विचार करके अपनी तजवीज को वापिस ले लेंगे तो मैं फिर उनको बधाई दूंगा। विधेयक में जो ध्येय बताया गया है वह सच्चा और स्पष्ट है। क्या आप चाहते हैं कि एक तरफ तो हम सरकार की आमदनी के जरिये बढ़ाते जायं, ढूंढते जायं और दूसरी तरफ जो उसकी आमदनी के जराये हैं उनको चौपट करते जायं। नये तो ढूंढने में बहुत कम ही मिलते हैं लेकिन पुरानों को क्या हमें चौपट करते जाना चाहिये। अरे भैया, दांतों से छूटी हुई कोई चीज क्या होठों से पकड़ी जा सकती है। इसलिये विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य गंभीरता के साथ इस पर विचार करें, उन्हें बच्चों की तरह दलीलें नहीं देना चाहिये। आज इस राज्य के कार्य का भार हमारे कंधों पर है।

अध्यक्ष--माननीय सदस्य माईक्रोफोन को दबाये हुये हैं इसलिये आवाज नहीं आ रही है।

श्री चन्द्र सिंह रावत--मैंने अब इसे आजाद कर दिया है और अब मैं आजादी से बोलूंगा।

मेरा कहना यह है कि चन्द आदमियों के लिये अपने विकास कार्यों को विनाश में नहीं बदला जा सकता। बस इतना ही कहकर मैं अपने माननीय सदस्य श्री नारायणदत्त तिवारी से दरख्वास्त करूंगा कि इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये वे इस पर विचार करें और उन्होंने इतनी कम उम्र के होते हुये भी इस प्रश्न को जिस हौसले और विश्वास के साथ सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसी समझदारी और बुद्धिमानी से अगर वे उसको वापस ले लेंगे तो उसको फिर मैं उनको एक बार धन्यवाद देने के लिये तैयार हूं।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय चन्द्रसिंह जी का भाषण सुन रहा था लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि वह कह क्या रहे हैं।

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

इसलिये कि कहीं तो माननीय नारायण दत्त जी की तारीफ कर रहे थे, और यह भी पता नहीं चला, कि वह इस बिल का विरोध कर रहे हैं या समर्थन। खैर, जहां तक कि बिल का उद्देश्य है उसके बारे में मैं माननीय नारायण दत्त जी ने काफी कहा है, और मैं समझता हूं कि जहां तक इसके सिद्धांत का संबंध है कोई भी हुकूमत हो चाहे वह हमारी हो, किसी भी दल या किसी भी पार्टी की हो यह आवश्यक है कि सरकारी मकानों में जो लोग रहते हैं, उनसे किराया लिया जाय, ठीक टाइम पर वसूल किया जाय और अगर गलत आदमी उन मकानों में हैं, तो उसे बाहर निकाला जाय। यह अधिकार तो अवश्य जो भी हुकूमत हो उसको मिलना चाहिये और साधारण जनता से ज्यादा अधिकार होने चाहिये। पर हम देखते हैं कि इस बिल में जो अधिकार हमारे आफिसर्स को दिये जा रहे हैं, वह बहुत ज्यादा हैं, और मुझे तो सबसे पहले डर लगा इसलिये कि मैं कौंसिलर्स रेजिडेंस के एक कार्नर रूम में रहता हूं। उसके ऊपर सबकी नजर है। मुझे इस बात का डर लगता है कि कहीं मुझसे न कहा जाय कि इस कमरे से बाहर चले जाओ और किसी दूसरे को यह दिया जायगा तो बड़ी मुसीबत होगी। मैं मिसालन् बात कहता हूं। इस तरह से अधिकारों का जो दुरुपयोग होगा उसका हम लोगों को विरोध है और इसीलिये हमारे बहुत से संशोधन इस बिल पर आ रहे हैं और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी उनकी उपयोगिता को समझकर और ठीक समझेंगे तो मानेंगे।

जो उद्देश्य इस बिल का है, उससे हम लोग सहमत हैं, और कुछ थोड़ी सी बातें हैं, जिन पर विरोध है। जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने कहा कि रुपये की वसूली के बारे में जो धारा है, वह ठीक नहीं है। मैंने देखा है कि बड़ी बड़ी सरकारी बिल्डिंग्ज बनी हुई हैं, उनमें जो कमरे बने हुये हैं उनके किराये कहीं ठीक हैं, और कहीं बहुत ज्यादा हैं और यही नहीं उनसे साल भर का किराया मांगा जाता है। एक तो १० रुपये या २० रुपये किराये की जगह ५० रुपये किराया रखा गया है, और वह भी साल भर का किराया उनसे मांगा जाय जो बड़ा लम्बा चौड़ा होगा ठीक नहीं है। यही नहीं, यह है कि बिना पूंछे सरकार का नोटिस मिलते ही साल भर का किराया पहले जमा कर दो और फिर अगर कोई शिकायत हो तो दीवानी अदालत में जाकर दावा दायर करो। मैं समझता हूं कि यह बात गलत है। इसके लिये अगर सरकार चाहे तो जैसे डिस्ट्रिक्ट जजेज की कहीं कहीं व्यवस्था बनाई गई है कि उनके सामने किरायेदारों के ऐसे मुकदमें जायं उसी में इसको भी रख दें, कि जज साहब इसको फैसला कर दें, कि कितना किराया इसको जमा करना चाहिये। लेकिन जो इंटरिम किराया जमा करने वाली बात है उसमें बहुत धांधली होगी और किरायेदारों को एक परेशानी में डाल दिया जायगा मैं उम्मीद करता हूं माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि यदि पहले के किरायेदारों ने भी ऐसे नियमों का उल्लंघन किया है तो उसको किराये के बहाने से या किसी बहाने से सरकारी मकानों से निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि यह अनुचित है। और यही नहीं है कि तारीख के मुकर्रर किये जाने के पहले अगर किसी किरायेदार ने भी गड़बड़ी की है तो उसमें किसी नियमों का अगर उसने उल्लंघन किया है तो वह भी इसमें लागू होना चाहिये। यह अनुचित है कि उसके पुराने पापों की सजा अब दी जाय। इसमें सातवें में यह है।

"That the person authorised as lessee or allottee to occupy any Government premises has, whether before or after the commencement of this act."

[किसी सरकारी भू-गृहादि में रहने के लिये ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसको प्रदेशन किया गया हो या पट्टा दिया गया हो, अधिकृत व्यक्ति ने इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले या बाद. . . .]

तो यह 'बिफोर' जो शब्द है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह तो सबलेटिंग के बारे में है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—और भी है।

"Other wise acted in contravention of any of the terms express or implied under which he is authorised to occupy such foremises."

[किसी ऐसे व्यक्त या अव्यक्त अनुबंध के जिसके अधीन उसे उक्त भू-गृहादि में रहने का अधिकार है; कोई विपरीत कार्य किया है]

इसलिये अगर कोई कंडीशन ऐसी रख दें, तो अगर दो साल पहले किसी आदमी को रख दिया है और अब कहो कि उसको निकाल देते हैं। जब से यह कानून लागू हो, अगर उसके बाद इन चीजों को रखा जाय तो ठीक होगा। जहां तक जज साहब की बात है, मैं समझता हूं कि वह ठीक है। कम से कम लोगों को कुछ मौका मिलेगा कि अगर वह मकान से निकाला जाता है तो उसको जज के पास अर्जी देने का मौका मिल सके, यह प्राविजन ठीक है। लेकिन बिल में यह भी प्राविजन होना चाहिये कि किराया पहले से ही न जमा करवाया जाय। जितना वाजिब किराया है, उसके जमा करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि किराया वसूल हो। जिनके पास सालों का किराया बाकी है, जैसे माननीय नारायणदत्त जी ने कहा है कि बहुत से रिफ्यूजी भाइयों ने सालों से किराया नहीं दिया है। लेकिन उसका झगड़ा यह है कि उनका बहुत ज्यादा किराया रखा गया है। वे उसको देने के लिये तैयार नहीं हैं। अगर उनका किराया कम कर दिया जाय या किराये के फैसले के लिये अगर कोई ऐसी मशीनरी हो जिससे फैसला करवाया जा सके तो मैं समझता हूं कि सरकार का किराया वसूल होने में कोई दिक्कत न होगी।

सरकार की जो नीति है कि किराया वसूल किया जाय हम इसमें उसके साथ हैं। पर इसमें संशोधन की आवश्यकता आवश्य है और मैं आशा करता हूं कि जब हमारे संशोधन आयेंगे उन्हें स्वीकार कर लेंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बेचन राम गुप्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)—जनाब वाला, मैंने अपने दोस्त नारायणदत्त तिवारी जी की तकरीर सुनी। उन्होंने दो बातों पर बहुत जोर दिया। एक यह कि यह बिल सिर्फ शरणार्थियों के ऊपर है और और दूसरी यह कि बगैर दफा ३ को तरफ इशारा करते हुये यह कहा कि अनअथाराइज्ड परसन मानकर फौरन जो कोई शख्स मकान में रहता है निकाल दिया जायगा।

पहली बात तो मुझको यह कहनी है कि बिलकुल शरणार्थियों के लिये नहीं बनाया गया, बल्कि हर शख्स जो गवर्नमेंट के मकान में रहता है ख्वाह वह शरणार्थी हो, गवर्नमेंट सरवेंट हो और लोग हों जिनको गवर्नमेंट ने किराये पर मकान दिया है, उनके लिये यह बिल बनाया गया है। यह इमकान हो सकता है कि शरणार्थियों के ऊपर किराया बहुत ज्यादा हो इस वास्ते यह ख्याल किया जाता हो। देखना यह है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त १५–१६ हजार मकान तैयार करवाये हैं और लाखों रुपये बाकी हैं। अब सवाल यह रह जाता है कि आया ऐवान इजाजत दे, गवर्नमेंट को अख्तियारात दे कि वह इतना रुपया वसूल करे या न करे। अगर यह रुपया वसूल नहीं होता है तो पब्लिक मनी किस कदर वेस्ट होता है। दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि उन्होंने दफा ३ की तरफ कहा कि गवर्नमेंट कानून के मातहत जब चाहे अलाटमेंट कैंसिल कर सकती है, लेकिन उन्होंने दफा ६ की तरफ तवज्जह नहीं की। अगर वह दफा ६ पढ़ते तो उनको यह गलतफहमी नहीं होती। मैं आपकी इजाजत से दफा ६ पढ़ना चाहता हूं। "If the .....

एक सदस्य—अध्यक्ष महोदय, हिन्दी में पढ़ा जाय ताकि हम समझ सकें।

श्री ऐजाज रसूल—हुजूरवाला, मेरे पास हिन्दी की कापी नहीं है। मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं।

अधिष्ठाता—अच्छी बात है, पढ़ दीजिये।

श्री ऐजाज रसूल—

"If the arrear of rent for which notice of demand has been served is not paid to the competent authority within 15 days from the date of service or such extended period as the competent authority may allow, such arrears with all costs of recovery shall be recoverable as arrears of land revenue and the person liable to pay the same shall, for purposes of section 7, be deemed to be in unauthorised occupation of the Government premises concerned."

[यदि तामील के दिनांक से (पंद्रह) तीस दिन के भीतर या ऐसे बढ़ायी गयी अवधि के भीतर जिसको समर्थ अधिकारी स्वीकृत करे, किराये की बकाया, जिसके संबंध में मांग का नोटिस तामील किया गया हो, समर्थ अधिकारी को न दी जाय, तो उक्त बकाया वसूली के समस्त व्यय के साथ इस प्रकार वसूल की जा सकेगी जिस प्रकार राजस्व की बकाया वसूल की जाती है और उक्त धनराशि को देने के लिये उत्तरदायी व्यक्ति के संबंध में धारा ७ के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायगा कि वह तत्संबंधी सरकारी भू-गृहादि में बिना अधिकार रहता है।]

यानी यह बात नहीं कि जिस वक्त चाहे हर शख्स को "अनअथाराइज्ड परसन" कह कर खाली करवा लिया जाय, बल्कि दफा ६ के मुताबिक गवर्नमेंट उस पर नोटिस सर्व करेगी और अगर रुपया अदा नहीं करता है तो उसको 'अन अथाराइज्ड परसन-करार देकर के निकाल सकती है। हां, इतना मैं गवर्नमेंट से जरूर कहूंगा कि दफात जो हैं वह जरा सख्त हैं, कुछ मुलायमियत होनी चाहिये और कुछ वक्त भी देना चाहिये कि १५ दिन के अन्दर अगर साल भर का लगान देना है तो मुश्किल होगी तो तारीख बढ़ा दी जाय और कुछ वक्फा अगर मिल जाय तो बेहतर हो। तो जो कुछ सहूलियत हो सकती हैं करनी चाहिये। लेकिन जहां तक इसका वास्ता है कि गवर्नमेंट का रुपया वसूल होना चाहिये, तो वह तो वसूल होना ही चाहिये। क्योंकि १५–१६ लाख रुपया लगान का बाकी है। अगर इस किस्म के अख्तियारात गवर्नमेंट को नहीं देते हैं तो वह रुपया बकाया में पड़ जायगा और वसूलयाबी में मुश्किलात दरपेश आयेंगी। इस काम में हम जितनी भी गवर्नमेंट की मदद कर सकें उसमें दरेग नहीं करना चाहिये।

इसके आलावा और भी बहुत सी दफात हैं जिनकी बाबत तिवारी जी ने जोर दिया, मैं उन मसलों की बाबत ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। सिर्फ यह कहूंगा कि शरणार्थियों के लिये जो यह कहा गया कि यह कानून उन्हीं के लिये बनाया गया है और वह कहा जायं, तो यह भी तो कहना चाहिये कि हम एक हद तक उनकी मदद करते हैं और करते रहना चाहिये लेकिन अगर वह कोई लगान अदा न करें और उनसे कोई पैसा वसूल न किया जाय यह गलत है। देखिये, गवर्नमेंट आफ इंडिया और यू० पी० गवर्नमेंट ने लाखों रुपया उनको दिया, ठहराया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक तबके को बिलकुल अख्तियार दे दिया जाय कि जो चाहे दे और जहां रह रहा है वहीं बिला किराये दिये रहे तो उसका नतीजा यह होगा कि और लोग भी उसका सबक अख्तियार करेंगे और किराया देना बन्द कर देंगे। लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था, यह बिल

महज शरणार्थियों के लिये है बल्कि हर शख्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में रहता है उसके लिये है। मझे उम्मीद है कि भवन इस मसले पर संजीदगी से गौर करेगा और गवर्नमेंट को अख्तियारात देगा जिससे गवर्नमेंट का रुपया आसानी से वसूल हो सके ।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब चेयरमैन साहब, जो बिल इस वक्त हमारे सामने है और जिस पर कई तकरीरें हो चुकी हैं वह बिल बड़ी हद्द तक अहमियत रखता है। यह मुसल्लमा उसूल है कि अगर इमारतें किराये पर उठायी जायं तो जो मालिक मकान हो उसको किराया मिलना चाहिये और वक्त पर मिलना चाहिये और मुनासिब किराया मिलना चाहिये। इस उसूल से शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो इंकार कर सकता हो । जिस वक्त तक मुल्क में या मुल्क के किसी भी हिस्से में हाउसेस के नेशनेलाइजेशन का सवाल पैदा नहीं होता है यह सूरत जारी रहेगी और हर शख्स को इस पर अमल करना पड़ेगा।

मुल्क के अन्दर जो जरूरी मसले हैं उनमें मकान का मसला भी खास अहमियत रखता है। गल्ले और कपड़े के बाद यही एक ऐसा मसला है जिस पर तवज्जह होने की जरूरत है। इस बिल के पढ़ने के बाद मुझे यह ख्याल पैदा हुआ कि कि जहां तक इमारतों का किरायें पर उठाने का सवाल है वहां तक बड़ी दिक्कतें और दुश्वारियां मालिक मकान को पेश आ रही हैं। अगर इस उसूल को न माना जाता जिसका कि जिक्र मैंने पहले किया है तो यह बिल गवर्नमेंट की तरफ से न लाया जाता।

मैं जानता हूं और मेरी यह ख्वाहिश है और हर शख्स की यह ख्वाहिश होगी कि वाकई वह लोग जिनके पास मकानों की किल्लत है उनके साथ ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिये जिससे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि यह बुनियादी बात है और उससे इंकार नहीं हो सकता है कि जब कोई इमारत किराये पर उठायी जायगी तो दो तीन बातें तय करना होंगी कि उसका कुछ किराया हो, माकूल हो और वक्त पर वसूल होना चाहिये और उसकी वसूली में दिक्कत और दुश्वारियां न हों। मैंने जब यह बिल पढ़ा तो यह ख्याल पैदा हुआ कि गवर्नमेंट को जब किराया वसूल करने में इतनी दिक्कतें हो रही है तो वह लोग जो प्राइवेट प्रापर्टी के मालिक हैं उनको दिक्कतें और दुश्वारियां कितनी ज्यादा होंगी क्योंकि गवर्नमेंट के पास बड़े रिसोरसेज और स्टाफ है और हर तरह की सहूलियत है। इसके बावजूद उसको इस बात पर मजबूर होना पड़ा कि वह ऐसा बिल हमारे सामने लाई जिससे वह कुछ ज्यादा अख्तियारात हासिल करे जो अब तक उसको हासिल न थे ताकि वसूलयाबी के काम में सहूलियत पैदा हो।

मैं यह अर्ज करूंगा कि यह गौर करने के काबिल है कि जब गवर्नमेंट को किराया वसूली में दिक्कतें और दुश्वारियां हुईं और उसे ऐसा बिल लाना पड़ा तो मालिक मकान को जिनके पास जराये भी नहीं हैं उनको कैसी दिक्कतें और दुश्वारियां होती होंगी। मैं तो यह पसन्द करता हूं कि इस बिल के साथ साथ या इसके अन्दर एक ऐसा प्रावीजन होता जिसके मातहत सरकारी इमारतों के अलावा प्राइवेट इमारतों के जो मालिक मकान हैं उनको भी कुछ न कुछ सहूलियतें और आसानियां मिल जातीं।

जबानवाला, बिल के पढ़ने से इंसान को इत्मीनान होता है कि वाकई एक उसूल जब तक माना हुआ है, उसको मानते हुये उस इंतजाम को पूरा करने के लिये पूरे अख्तियारात होना चाहिये और इसी वजह से यह बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के साथ उसूली हैसियत से हर शख्स को इत्तिफाक होना चाहिये और होगा। लेकिन यह सही है कि बाज चीज इसमें ऐसी हैं कि अगर किसी हद्द तक वह नर्म हो सकतीं तो ज्यादा मुनासिब होता। इस में जहां तक यह कहा गया है कि जिनके पास किराया बाकी होगा उसकी वसूलयाबी मालगुजारी की तरह से होगी । एक जगह यह कहा गया है कि जो अथारिटी होगी उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट जज तक जायगी और उसका फैसला फाइनल होगा ।

[श्री सुल्तान आलम खां]

हो सकता है कि गवर्नमेंट के जहन में यह चीज हो कि इस वजह से वह ऐसे प्राविजन्स को करटेल करके रक्खे और अगर वह उसमें लम्बी मुकदमेबाजी की इजाजत देगी जैसा अब तक दस्तूर था तो गवर्नमेंट का रुपया बरबाद होगा और जो लोग उसमें इन्वाल्व होंगे उनको भी मुकदमेबाजी करने में ज्यादा रुपया खर्च करना होगा और ज्यादा तवालतें उठानी होंगी, फिर भी बुनियादी हैसियत से मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट इस पर गौर कर ले तो कुछ नामुनासिब न होगा कि किसी मामले में अपील के हक को करटेल करना, इससे कुछ लोग इस पर मुअतरिज होते हैं, वे यह समझते हैं कि उनके असली राइट पर यह एतराज है और यह उनका कर्टेलमेंट है और जो शख्स अदालत में अपने हकूक को हासिल करने के लिये आखिरी मंजिल तक जा सकता था न जा सकेगा, मसलन हाई कोर्ट तक जाना चाहता था या किसी और कम्पीटेंट कोर्ट तक जाना चाहता था वह वहां न जा सकेगा। ऐसी सूरत में मैं यह अर्ज करूंगा कि गवर्नमेंट इस मामले पर गौर करे और इसमें थोड़ी सी जो मुनासिब तरमीमें समझे उन पर गौर कर सके तो ज्यादा बेहतर हो और मैं सबसे ज्यादा इसी चीज पर जोर दूंगा कि इस ऐक्ट से गवर्नमेंट की दिक्कतें तो दूर हो जाती हैं लेकिन एक बड़े तबके की दिक्कतें इससे दूर नहीं होतीं जब तक प्राइवेट प्रापर्टी रखने वाले लोगों के मुताल्लिक कोई इसी किस्म का बिल न आये यह दुश्वारियां दूर नहीं हो सकतीं। जिस जमाने में सूबे में कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी बैठी थी जिस जिस चीज के कंट्रोल की इंक्वायरी की गई थी उसमें आखिर में टर्म्स आफ रिफरेंस में मकानों का मसला भी जोड़ा गया था। कमेटी ने तमाम सूबे में दौरा किया, शहादतें लीं और इस नतीजे पर कमेटी पहुंची कि इस कानून में काफी तरमीम करने की जरूरत है। बाज लोगों को अपने जाती मकानों को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है लेकिन उसके मिलने में उनको दिक्कत होती है। टेनेन्ट्स और लैंडलार्ड्स में अक्सर इस बात का झगड़ा रहता है कि किराये की निर्ख कैसे मुकर की जाय, मरम्मत कौन करे। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो दुश्वारियां डालती हैं और आपस के ताल्लुकात खराब करती हैं। कंट्रोल इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस सिलसिले में काफी बड़ा नोट दिया और वह गवर्नमेंट के जेरे गौर है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने उस पर गौर कर लिया होगा। इस रिपोर्ट को पेश किये हुये काफी अर्सा हो गया। मैं चाहता तो यह था कि उसके देखने के बाद एक ऐसा बिल आना चाहिये था कि ये सारे प्राविजन्स उसमें एमबाडी हो सकते। एक ही सब्जेक्ट पर अधिक बिलों का आना अच्छा नहीं होता, फिर भी मैं उसूली हैसियत से यह समझता हूं कि ऐसे बिल का आना जरूरी है जिसमें टेनेन्ट्स और लैंडलार्ड्स का जो आपस का रिश्ता है उसको दुरुस्त करने के लिये, किराये का निर्ख सही लाइन पर मुकर्रर करने के लिये और मरम्मत आदि के मसले के प्राविजन्स उसमें हों जिसके जरिये से यह काम सहूलियत से अन्जाम पा सके। जैसा कि मैंने इब्तिदा में अर्ज किया था मकानों का मसला एक बहुत अहम मसला है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसे गल्ले, कपड़े की जरूरत होती हो मगर मकान की जरूरत न होती हो। मकान की भी हर एक को जरूरत होती है। जो शख्स जहां रहता है, अपने मकान में रहता है या किसी दूसरे स्थान पर रहता है वह मकान की समस्या से मुतास्सिर है। हर जगह मकान का मसला हमारे सामने आता है। इसलिये इन तमाम मसलों को हल करने के लिये एक बिल का लाना जरूरी है जो सरकारी प्रापर्टी के अलावा दूसरे लोगों की जो प्रापर्टी है उसको भी वह गवर्न करे, उसको रेगुलेट कर सके। मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस मामले पर तवज्जह देगी और इस बिल के उसूल से मैं इत्तिफाक करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, यह किराये और वसूली से संबंधित जो भू-गृहादि विधेयक वित्त मंत्री जी ने इस सदन के सामने उपस्थित किया है उस संबंध में हमें यह निवेदन करना है जैसा कि हमारे एक सम्मानित सदस्य नारायण दत्त जी ने बताया था कि सरकार इस बिल के भीतर इस तरह का अधिकार अपने हाथ में ले रही है कि जिसका दुरुपयोग होने की बहुत ज्यादा संभावना है। मैं जब इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ता हूं तो नहीं समझता कि इसके लिये कुछ ज्यादा समय लेने की जरूरत है।

हमारे माननीय हाफिज़ साहब इस बिल को उपस्थित कर रहे हैं। वह इस बात को जरूर महसूस करते होंगे कि जिस रूप में यह बिल हमारे सामने रखा गया है यदि वह बिल ऐसा ही रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा ज्यादती हो सकती है। इसलिये मैं तो यह चाहता था और आप के जरिये से वित्त मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल ऐसा है कि जिसको जरूर किसी एक छोटी कमेटी में जाना चाहिये और उसकी धाराओं पर गौर करना चाहिये। इसमें ऐसी ऐसी धारायें हैं कि जिनकी तरफ हमारे ट्रेजरी बेंचेज के एक सदस्य ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। जब मैंने धारा ६ को पढ़ा और उससे पहले की दफाओं को पढ़ा तो उनमें यह अधिकार दिया गया है कि जो पहले आर्डर दिया गया है चाहे वह सही हो या गलत जो अधिकारी होगा उसको कैंसिल करने का अधिकार होगा। मैं नहीं समझता कि इतना बड़ा अधिकार किसी जनतांत्रिक पद्धति में किसी सरकारी कर्मचारी को होना चाहिये। उसमें जिस तरह से किराये की वसूलयाबी की बात कही गई है उसकी तरफ मैं अगर आपका ध्यान आकर्षित करूं तो उसमें यह भी है कि वह अधिकारी विशेष जो भी रकम बकाया के बारे में बतायेंगे वह रकम उस किरायेदार को दाखिल करना पड़ेगी और दाखिल करने के बाद अगर वह यह समझता है कि उससे ज्यादा किराया वसूल किया गया है तो उसके लिये वह अर्जी दे सकता है और उसकी अर्जी पर फिर फैसला हो सकता है और आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आप समझ सकते हैं कि अगर इसी रूप में यह बिल पास होता है और यह ऐक्ट का रूप धारण करता है तो इससे कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। इतना बड़ा विश्वास मैं नहीं समझता, किसी जनतांत्रिक प्रणाली के अन्दर किसी सरकारी कर्मचारी पर होना चाहिये। इसके लिये सीमा पर कोई प्रतिबन्ध होना चाहिये। अगर वह अधिकारी किसी किरायेदार को राग द्वेष से प्रेरित होकर बेदखल करना चाहता है तो उसके लिये जरूरी है कि वह अदालत में जा सके और अपने मामले की जांच पड़ताल करा सके। लेकिन इस बिल के अन्दर इस बात की गुंजाइश नहीं है। आप जिस अधिकारी को कहें उसके सामने उसको नतमस्तक होकर उसकी बतायी हुई रकम को जमा करना होगा। जमा करने के बाद अगर वह चाहता हो तो वह कोर्ट में जाय और दरख्वास्त दे। मैं यह समझता हूं कि ऐसी बातें जम्हूरियत के खिलाफ जाती हैं और उस जनतांत्रिक शासन से संबंध नहीं रखती है। हमारी सरकार जो है वह कभी भी यह नहीं कहती कि वह जनतांत्रिक उसूलों से डिग रही है। जब सरकार इस बात को मानती है तो उसको उसके उसूलों पर भी गौर करना चाहिये। एक बिल के लिये एक सेलेक्ट कमेटी नियुक्त की जाती है लेकिन फिर उस बिल को कंसीडर करने के लिये दूसरी प्रवर समिति में जाने के लिये यहां पर प्रस्ताव किया जाता है। इसी प्रकार से बिलम्ब किया जाता है और सरकार की तरफ से यह अवस्था निश्चित की जाती है तो उस पर उसको निश्चित रहना चाहिये और दूसरा प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। मैं इस बिल के बारे में माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर जो यह दफायें हैं जिनकी बाबत मैंने अपने विचार प्रकट किये वह इतनी असंगत हैं कि जिसके लिये २,४ आदमियों की एक कमेटी जरूर नियुक्त होनी चाहिये जो इसके ऊपर विचार करे। हम लोग भी उसके ऊपर अपने सुझाव देंगे और उन सुझावों को आपकी सेवा में भेजा जायगा और उन पर विचार करने से काफी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ताकि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो और यह बिल फिर ऐसी शक्ल में यहां आवे और जो विशेष अधिकारी के हाथ में इतनी अनलिमिटेड शक्ति जा रही है उस पर भी कुछ अंकुश लगे और यदि वह किसी व्यक्ति से निजी राग द्वेष से प्रेरित हो कर कुछ अनुचित करना चाहता है तो उस पर कोई रोकथाम रहे, इसी उद्देश्य से मैं चाहता हूं कि यह सदन मंत्री जी से निवेदन करे कि वह इस बिल को एक सेलेक्ट कमेटी में ले जायं और वहां इसकी जो धारायें असंगत हैं और जो सरकारी भूगृहादि किराये की वसूली और बेदखली से संबंधित हैं वह तमाम खामियां और त्रुटियां दूर हो जायं। और अगर यह बिल फिर परवर्तित रूप में प्रस्तुत हो गा तो हमें संशोधन लाने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एक बात की ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि यह बिल जब कल हमारे सामने आया तब भी हमारी ओर से

[श्री राजनारायण]

इस बात पर जोर दिया गया था कि सरकार इतनी जल्दी जल्दी बिल लाती है कि उसी दिन वह रखाजाता है और उसी दिन उस पर विचार करने का और उसे पारित करने का प्रस्ताव आता है। यह चीज तो इन इटसैल्फ ही गलत है और मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं और सरकार और माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आइन्दा अगर इस तरह से बिल आया करें तो जो नियम बनाये गये हैं सदन में पालन करने के लिये, उनकी अवहेलना सरकार की ओर से हो, तो यह सरकार के लिये कलंक की बात है और शोभनीय नहीं है। जब इतनी जल्दी में बिल आ रहा है तो सदस्यों को अधिकार होगा कि वह उस समय भी धाराओं में संशोधन कर सकते हैं। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझको लगा कि एक एक लाइन में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है। अगर माननीय मंत्री जी हमारे इस प्रस्ताव को नहीं मानेंगे और वादविवाद होगा ही तो मैं समझता हूं वह इजाजत देंगे कि हम अपने संशोधन उसी समय उठकर पेश कर सकें। इसलिये मैं देखता हूं कि इसमें काफी परेशानी और बिलम्ब हो सकता है जब कि दफाओं पर बहस होने लगेगी और संशोधन आने लगेंगे तो वित्त मंत्री जी को काफी परेशानी होगी। इसलिये इसका सेलेक्ट कमेटी में जाना जरूरी है। ज्यादा बिलम्ब चाहे न करें और कल या परसों के लिये ही इसे रख लें, जब तक कि इस सत्र के स्थगित होने की संभावना नहीं है। यह तो ब्रिटिश जमाने से परम्परा चली जाती है कि इस सदन में जो बात इधर से कही जाती है वह मंजूर नहीं होती है और सरकार की ओर से हठवादिता बर्ती जाती है और वह उस समय तो नहीं मानी जाती है लेकिन जब कभी उस पर बैठकर अलग से वाद विवाद या विचार विनिमय होता है तो उस सुझाव की अहमियत को अक्सर कबूल किया जाता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह सरकारी बेंचेज से और विरोधी दल से जो सुझाव देना चाहें उनकी एक कमेटी बैठा दें और वहां विचार विनिमय के बाद समझ बूझ कर जो संशोधन होने के बाद बिल प्रस्तुत होगा उसमें शायद इस तरह की खामियां न रह सकेंगी।

श्री राम नरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)——माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने ध्यान से नेता विरोधीदल और उनके साथी श्री नारायण दत्त जी को सुना और उससे भी ज्यादा ध्यान से अपने साथी श्री सुल्तान आलम जी को सुना और उनके सुनने के बाद मेरा जी चाहा कि मैं भी उस पर कुछ अपनी राय प्रकट करूं। इस सदन के सामने यह भी कहा गया कि जो अस्तियारात इस बिल में सरकार को दिये जा रहे हैं वे सब उनसे मिलते जुलते लोगों को दिये जायं यानी जिनके बहुत से मकानात हैं उनका किराया भी इसी तरह से वसूल कराया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से यह प्रार्थना करता हूं कि यह एक बहुत अहम मसला है उसमें किसी कोने से बात नहीं होनी चाहिये। क्या यह उचित है या नहीं कि जब हमने अपने प्रान्त में जमींदारी और ताल्लुकेदारी को खत्म किया तो क्या उनसे छोटे भाई जो बड़े बड़े मकानात रखते हैं, उनका पालन करना हमारा कर्त्तव्य है? यह तो भविष्य में हम लोग बैठ कर विचार करेंगे। इस समय तो हम इस प्रश्न को यहीं छोड़ देते हैं कि आज इस देश में एक व्यक्ति को एक से अधिक मकान रखने की इजाजत हो सकती है या नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां——चूंकि माननीय सदस्य ने अपनी तकरीर में मेरा नाम लिया है इसलिये मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैंने शुरू में ही यह कहा था कि जब तक नेशनलाइजेशन आफ दी हाउसेज (घरों का राष्ट्रीयकरण) नहीं हो जाता तब तक इस सूबे या मुल्क में यही हालत बनी रहेगी, इसलिये ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री राम नरेश शुक्ल——बहरहाल अधिष्ठाता महोदय, नेशनलाइजेशन हो या न हो लेकिन सूरत ऐसी पैदा कर देनी चाहिये कि जिनके पास मकानात हैं वे गरीबों को परेशान न कर सकें। यह भविष्य में विचार करने की बात होगी। जहां तक बिल का संबंध है उसमें एक मुख्य बात है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा और वह यह है कि आया सरकार की इमारतों पर सरकार का मुकम्मिल तौर पर पर क़ब्जा रहे या न रहे। मैंने तिवारी जी की दलीलों को

बहुत ध्यान और सहानुभूति से सुना और उन्होंने शरणार्थियों के प्रश्न को उठाया। मैं आपके द्वारा अध्यक्ष महोदय, उनसे यह जानना चाहता हूं कि मान लीजिये किसी सरकारी मकान में कोई एक नवाब साहब रहते हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उनको वह मकान दे दिया। ऐसा होता ही है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की उनसे दोस्ती हो सकती है। अब उस मकान की जरूरत सरकार को शरणार्थियों को बसाने के लिये पड़ गई लेकिन मौजूदा कानून की सूरत में वह मकान उनसे खाली नहीं करवाया जा सकता। अब मैं माननीय नारायण दत्त जी से यह पूछना चाहता हूं जो शरणार्थियों से बहुत सहानुभूति रखते हैं, आज तो ऐसा ही मालूम देता है, कि ऐसी हालत में उनसे कैसे मकान खाली कराया जा सकता है। नवाब साहब को हटाकर शरणार्थी को कैसे जगह दी जायगी।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---नवाब साहब को क्या उनके लायक महल मिल जायगा ?

श्री राम नरेश शुक्ल---नवाब साहब का नाम लेने से कुछ नवाब और ताल्लुकेदारों में खलबली पड़ गई। नवाब लोग केवल उधर ही नहीं हैं इधर भी हैं।

मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि मौलिक बात यह है कि कोई हथियार बुरा नहीं होता है अगर उस हथियार का इस्तेमाल करने वाला चतुर है। उससे तो बड़ा सुन्दर काम होता है। अगर किसी हथियार के इस्तेमाल करने वाले की मनोवृत्ति शुद्ध नहीं है तो कभी भी उसका प्रयोग जनहित और देशहित के लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता। हमें विश्वास है कि मौजूदा सरकार इस बिल को इसलिये ला रही है कि जिनको ऐसे मकानों की आवश्यकता है उनको वे मकान पहुंच जावें। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात पर विचार करें और इस दृष्टिकोण से इस प्रश्न को देखें और यदि इसके अन्दर थोड़ी बहुत लचर भी हो तो उसे ठीक करके इस तरह से सरकार के हाथ मजबूत करें कि सरकारी इमारतों को ग़रीबों के लिये इस्तेमाल करने का मौका हो और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उसके अन्दर वे समय की मांग न करें तो अच्छा हो।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस बिल को माननीय हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम ने पेश किया और जिसका माननीय नवाब एजाज रसूल साहब ने और माननीय सुल्तान आलम साहेब ने समर्थन किया उसके बाद उसका माननीय रामनरेश जी ने भी समर्थन किया। मैं चाहता था कि सरकारी पक्ष की तरफ से माननीय हाफिज जी और इन दोनों सदस्यों के अलावा भी कुछ लोग इस बिल के पक्ष में बोलते ताकि हमें असलियत पर पहुंचने में कुछ मदद होती। मैं इस बात पर माननीय वित्त मंत्री जी से सफाई चाहता हूं कि उन्होंने यह फ़रमाया था कि इस बिल की माकूलियत पर हम विचार करें और फिर उस पर अपनी रजामन्दी दें कि वह कानून की शक्ल में हो। मैं इस बिल के सम्बन्ध में दो चीजें जो कि उद्देश्य में लिखी हुई हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस बिल को यह जरूरत बताई गई है कि एक तो किराये की वसूली में कठिनाई पड़ती है और उसमें जो पुराना कानून है वह पूरी तरह से मददगार नहीं हो पाता है। दूसरे यह कि ऐसे लोग भी मकानों के अन्दर रखे जाते हैं जिनके बेदखल करने की जरूरत होती है और उनमें पुराने कानून पूरी तरह मददगार साबित नहीं होते। ये दोनों बातें बहुत गोल कही गई है। यह नहीं कहा गया कि किस जगह पर कितना रुपया बकाया लोगों ने रख लिया और उन्होंने बावजूद सरकार की कोशिशों के कि लोग किराया दे दें, मगर फिर भी किराया नहीं दिया। जब उनके लिये जरूरत हुई कि ऐसा कानून बनाया जाय दूसरी तरफ बेदखल होने वालों के सम्बन्ध में भी है कि कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकारी मकानों पर कब्जा किया और वह अपना क़ब्जा हटाने के लिये तैयार नहीं है। हम यह जानना चाहते थे और मैं समझता हूं कि सारा सदन यह जानना चाहता होगा। कभी अंधेरे में टटोलने की बात आजाती है। तो हमने अंधेरे में टटोलना जो शुरू किया तो सब से पहले ध्यान में दारुलशफा आया और मैंने ऐसा समझा

[श्री गेंदा सिंह]

कि यह बिल दारुलशफा के लिये है। मैंने उस वक्त यह सोचा था कि तब तो यह बिल ठीक ही है क्यों कि यदि माननीय वित्त मंत्री जी को कठिनाई हुई कि मेम्बरान यहां आकर ठहरते हैं और किराया भी नहीं देते और अनधिकृत रूप से दूसरों को उठा देते हैं या ऐसे लोग उनमें घुस पड़ते हैं जिनके निकालने में पुराने कानून मददगार नहीं होते हैं तब मैं सोचता था कि सरकार को ऐसा अधिकार मिलना चाहिये। फिर तबियत में आया कि सोचूं कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि जो हमारे मिनिस्टर साहेबान हैं वे भी ग़ैरकानूनी तरीक़े पर कुछ घरों पर क़ब्ज़ा कर लेते हों और वह निकालने से निकलते भी नहीं या किराया नहीं देते और अनधिकृत रूप से कब्जे का सवाल उनके लिये उठता नहीं है क्योंकि वह चाहे जहां जा कर बैठ जायेंगे वहीं अधिकृत हो जायगा। परन्तु वह तो किराया और बेदख़ल से बरी हैं। अब बाकी रहा दारुलशफा का सवाल। कुछ आफिसर्स को भी बात हो सकती है कि अफसरान कुछ मकानों के अन्दर रहते हैं और किराया भी न दें और निकालने से निकलें भी नहीं। लेकिन यह सारी बातें समझ में नहीं आयीं एक बात समझ में आयी जिसकी तरफ माननीय वित मंत्री ने चलते चलाते इशारा किया और जिसको सुनकर परेशानी हो गई।

उन्होंने बेगमाबाद (मेरठ) का जिक्र किया तो हमने समझा गो कि उन्होंने कहा कि बेगमाबाद का नाम इस तरह से मत लो लेकिन उससे एक बात साफ हुई कि किस जगह पर किन लोगों को निकलना है, किन लोगों का किराया बाकी है। मालगुजारी की तरह वारन्ट गिरफ्तारी कराना है। यह बात साफ नहीं हुई कि इसके अपराधी कौन हैं। बहुत खोज बीन से मालूम हुआ कि शरणार्थियों ने कुछ घरों पर कब्जा कर लिया है और उनको बेदखल करना है, उनसे किराया वसूल करना है। इस पर बड़ी परेशानी हुई और मैंने सोचा कि इस बुनियाद पर तो इस बिल को माननीय वित्त मंत्री जी से वापिस ले लेने को कहना चाहिये। मैं समझता हूं कि शरणार्थियों का नाम ही ऐसा है कि उनके साथ हर आदमी हमदर्दी का ख्याल रखेगा। शरणार्थियों को अगर सरकार ने अब तक मकान देने का बन्दोबस्त नहीं किया है, तो मैं समझता हूं कि उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं है। हम नहीं जानते हैं कि शरणार्थियों को मकान दिये गये हैं या नहीं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो कोई शरणार्थी इस सूबे में आये और उनके ठहरने का बन्दोबस्त किया लेकिन अब इस वक्त हम यह समझते हैं कि वह ऐसी हालत में हैं कि सरकार के हुक्म के बावजूद ऐसे घरों में वह मौजूद हैं और निकालने से निकलते नहीं हैं जब कि वह जानते हैं कि सरकार के हाथ में कानून है और सरकार उन्हें तंग कर सकती है, उन्हें जेलखाने में छोड़ सकती है और उन्हें निकलवा सकती है लेकिन तब भी उन घरों में वह मौजूद हैं। एक चिन्ह मालूम होता है कि आज भी शरणार्थी मुसीबत में हैं और अगर वह मुसीबत में हैं तो ऐसी हालत में इस तरह के बिल की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि सरकार ऐसा बिल लावे कि वह मकानों के सामान को रिक्वीजीशन कर ले और इकट्ठा करे और उनसे बहुत बड़ी तादाद में मकान तैयार किये जायं और उनको आबाद कराया जा सके। ऐसे बिल को लाइये, उस पर सदन में बैठ करके एक घंटा नहीं, ६ घंटे, हम रात को भी बैठेंगे और जल्दी से जल्दी कानून को पास करने की कोशिश करेंगे। अगर माननीय वित्त मंत्री जी इस तरह का बिल लावें तो हम उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी समझेंगे और इसके लिये उनको मदद पहुंचावेंगे।

मैं समझता हूं कि यह कानून कोई ऐसे ग़ैरमामूली वक्त में नहीं आया है। बहुत साधारण सा वक्त है, कोई लड़ाई का जमाना नहीं है, कोई ४७ का इधर से उधर लोगों के जाने और आने का वक्त भी नहीं है, बहुत चैन से हम अपने सूबे में बैठे हुये हैं और हुकूमत हम कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में हमको इस तरह के कानून बनाने की जरूरत नहीं मालूम होती। मैंने देखा है कि इसमें एक जगह पर लिखा हुआ है कि इस कानून के मुताबिक जो अख्तियारात अफसरान को दिये गये हैं अगर उसके मुताबिक वह काम करें तो उसके खिलाफ कोई सवाल किसी अदालत में नहीं उठाया जायगा। लोगों को मौका होना चाहिये

कि वह न्याय पा सकें। जैसा कि हमारे माननीय सुल्तान आलम खां साहब ने कहा कि जज के ऊपर अपील करने की जो सहूलियत रहती है वह छीनी जा रही है। घर में से निकाल देने में, किराया वसूली में मालगुजारी की तरह से वसूली करने में, इन सब तरह के अख्तियारात अफसरान को दिये जा रहे हैं। मैं इस तरह के अख्तियारात देने का मुखालिफ तो नहीं हूं। लेकिन वह किस काम के लिये? माननीय रामनरेश जी ने कहा कि हथियार तो बुरा नहीं है। लेकिन मैं उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि हथियार चलाने वाले ऐसे होते हैं इतने अनाड़ी होते हैं कि वह दूसरों को मारने के बजाय, अपने को ही मार लेते हैं तो मैं यह कैसे कहूं कि जितने अधिकारी हैं वे अनाड़ी हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हुक्म के उल्टा भी काम करते हैं, और इस तरह के अख्तियार लेकर आग के साथ खेल खेलेंगे। गैर मामूली अख्तियारात गैरमामूली वक्त में ले लेने चाहिए। लेकिन साधारण वक्त में असाधारण अधिकार लेना मुनासिब नहीं मालूम होता। हम जब कभी भ्रष्टाचार को रोकने की बात करते हैं, हम जब कभी कोई इस तरह की बात करते हैं जिससे आम जनता का कल्याण हो और उसके लिये सख्त कानून बनाने की मांग करते हैं तो उस वक्त सरकारी बेंचें कहती हैं कि हम यहां चीन नहीं बनाएंगे, हम यहां रूस नहीं बनाएंगे। लेकिन शरणार्थियों को निकालने के लिये आप क्यों चीन और रूस यहां बना रहे हैं? उनको क्यों नहीं आप प्रजातन्त्र का अधिकार इस्तेमाल करने देते। जजों के ऊपर क्यों नहीं जाने देते। उनके ऊपर अपील का अख्तियार उनको क्यों नहीं देते। जाने दीजिये हाई कोर्ट तक। जाने दीजिये सुप्रीम कोर्ट तक। वहां से जो भी फैसला हो उसके अनुसार सरकार चले। तो मेरी दरख्वास्त माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब से यह है कि इस तरह के बिल को ले आकर के उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिस पर हम उनके सामने जल्दी से जल्दी उसको पास कराने के लिये तैयार हो जायं। हमारी कोई सहानुभूति उस बिल के साथ नहीं है। हमारी सहानुभूति हो सकती है जैसा कि हमने कहा अगर सरकारी मकानात पर ऐसे लोग कब्जा किये हुए हैं, जो उस पर कब्जा करने के अधिकारी नहीं हैं, मकान रहते हुए भी वे उन मकानों में रहना चाहते हैं, और किराया भी नहीं देना चाहते हैं। अगर ऐसे लोगों का मामला हो तो हमारी पूरी सहानुभूति सरकार के साथ होगी। माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब...

अधिष्ठाता—मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि किसी माननीय मंत्री जी का नाम लेकर, हाउस में सम्बोधित करना अनपार्लियामेंटरी (असंसदीय) है। ज्यादा अच्छा हो कि आप माननीय मंत्री कहें।

श्री गेंदा सिंह—चूंकि ऐसा रिवाज रहा है इसलिये मैंने नाम लिया। अब मैं नाम नहीं लूंगा।

तो मेरी यह दरख्वास्त, माननीय वित्त मंत्री जी से है और पूरे मंत्रिमंडल से है कि इस बिल को वापस ले लिया जाय और वापस लेकर इसकी माकूलियत पर फिर विचार किया जाय और अगर किसी हालत में वह इस बिल की जरूरत ही समझते हैं, वह समझते हैं कि किसी भी हालत में बिना इस बिल के उनका काम नहीं चल सकता है तो थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें और उसके साथ साथ जो हमारे नेता राजनारायण जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय, यह सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय ताकि इस पर पूरे तौर से विचार विनिमय करके उसको फिर हाउस के सामने पेश किया जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह—श्रीमन्, मैं इस बिल के बारे में अपनी सूचना के लिए पूछना चाहता था ताकि मुझ से कोई आइन्दा गलती न हो जाय, कि माननीय सदस्यों का नाम लेकर सम्बोधन किया जा सकता है या नहीं?

अधिष्ठाता—माननीय सदस्यों का नाम लेकर संबोधन किया जा सकता है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जनाब चेयरमैन साहब, जो तकरीरें इस बिल के मुताल्लिक हुई उनसे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ मैंने शुरू में अर्ज किया था उसको मेरे सुर्ख टोपी वाले दोस्तों ने सुना नहीं या सुना तो उसको समझा नहीं। मुझसे बहुत बड़ा कसूर हुआ, वाकई, कि जो मैंने बाद को महसूस किया कि मैंने अपनी उस तकरीर में शरणार्थी का नाम ले दिया। अब सुनने वालों ने यह न सुना कि मैंने किस जगह किस सिलसिले में उनका नाम लिया और क्या उनकी बाबत कहा। उससे दो साहबों ने नतीजा यह निकाला कि यह बिल जो लाया गया है यह असल में शरणार्थियों के खिलाफ इस्तेमाल किये जाने के लिये लाया गया है। एक ही पार्टी के एक मेम्बर साहब की दरख्वास्त यह है कि इस बिल में हम एक अमेंडमेंट पेश करने वाले हैं, वित्त मंत्री उन अमेंडमेंट्स को मंजूर कर लें तो बस यह बिल ठीक है। एक साहब का हुक्म यह कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजो, एक दिन के लिये हो, आधे घंटे के लिये हो, मगर सिलेक्ट कमेटी में चला जाय। एक साहब का यह इरशाद है कि इस बिल को वापस लो। मैं जानता नहीं कि मैं इनमें से कौन सा इरशाद तामील करूं और एक यह फैसला कैसे करूं कि इस वक्त जो अपोजीशन पार्टी है उसकी राय इसके मुताल्लिक है क्या। इसके मुताल्लिक मैं शुरू में एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि मैं आखिर में इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेज रहा हूं बावजूद इसके कि मेरा कोई इरादा नहीं था भेजने का, लेकिन जो बातें कही गयी हैं वह इस कदर गलत हैं कि उनका जवाब दिये बगैर मैं यह चाहता नहीं हूं कि इस बात को मंजूर करूं कि हां साहब सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। सिलेक्ट कमेटी में उन तकरीरों की बिना पर भेज दिया जाय जो कि आज इस ऐवान में इस बिल के मुताल्लिक हुईं? नारायण दत्त साहब की तकरीर पढ़ी जाय, राजनारायण साहब की पढ़ी जाय, मेरे दोस्त मदन लाल साहब की पढ़ी जाय। जिन साहबों ने तकरीर फरमाई हैं उनकी तकरीरों का खुलासा सिवाय इसके कुछ नहीं निकलता है कि इस बिल को फेंक दिया जाय, बिल्कुल यह फेंक देने के काबिल है। तो तकरीर तो यह कि बिल फेंक देने के काबिल है, तो मैं यह बदतमीजी नहीं कर सकता हूं, किसी ऐवान के मेम्बर के मुताल्लिक यह नहीं समझा जाता है कि इस ऐवान का मेम्बर तो है लेकिन यह नहीं जानता है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी में कब भेजा जाता है। मैं यह बदतमीजी नहीं कर सकता और न यह बदगुमानी लीडर आफ अपोजीशन की तरफ से कर सकता हूं कि वह नहीं जानते कि बिल किस हालत में सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाते हैं। बिल तो वह भेजा जाता है कि जो बिल बिल्कुल तसलीम हो उस हाउस को जो हाउस उसको भेज रहा है और उनकी दफाओं के अन्दर किसी जगह पर उनको रद्दोबदल करना हो तो उनको इम्प्रूवमेंट के लिये भेजा जाता है और जो बिल ऐसा हो कि उसके मातहत जो अख्तियारात दिये जा रहे हैं वह किसी हालत में सरकारी मुलाजिम को मिलने ही नहीं चाहिये, उस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने से क्या फायदा और क्यों भेजा जायगा, कोई वजह उसके भेजने की नहीं हो सकती। न पहले थी अब नहीं है। और उसका कायम मुकाम मैंने 'साहब' लगा दिया था। जहां तक उनकी इज्जत का ताल्लुक है मैंने "नारायण दत्त" नहीं कहा था, मैंने "नारायण दत्त साहब" कहा था।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मुझे मदन मोहन कहा जाय, मदनलाल नहीं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---मुझको याद न रहा होगा नाम, खैर। तो मैं जो समझा बात वह यह है कि इस क़ानून के जरिये से एक तो यह समझा जा रहा है कि शरणार्थियों को कुछ तकलीफ़ पहुंचाना मंजूर है। इसका एक जवाब है, हुजूरवाला, कि अगर यह क़ानून गवर्नमेंट को शरणार्थियों के लिये चाहिये था तो आज इससे ज्यादा सख्त कानून मौजूद है कि जिसको इस गवर्नमेंट ने कभी इस्तमाल नहीं किया और उसकी दफा मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं। इस यू० पी० के अन्दर आज भी वह जारी है और इस यू० पी० के ही अन्दर नहीं, तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर जारी है। इसमें दफ़ा

४८ है। यह कस्टोडियन का जो इवैकुई डिपार्टमेंट है उसका एक्ट है। अब हुजूरवाला यह एक्ट मेरे पास अंग्रेजी में है, हिन्दी में शायद यह है भी नहीं इसलिये मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में उसे पढ़ दूंगा बाद में उसको अपनी जबान में बयान कर दूंगा। सुनें मेम्बर साहबान कि यह क्या है और इस कानून से सख्त है या नहीं।

" Any sum due to the State Government (not Government of India) or to the Custodian under the provisions of this Act may be recovered as if it were an arrear of land revenue. "

यह पावर आज गवर्नमेंट को मौजूद है कि शरणार्थियों के ऊपर अगर कोई रुपया वाजिब है तो उस एरियर को बतौर लैंड रेवेन्यू के वसूल कर सकती है बग़ैर इस कानून को बनाये हुये। मैंने तो उस वक्त बदक़िस्मती से शरणार्थियों का नाम इस सिलसिले में ले लिया कि मकान सरकार के बनाये हुये शरणार्थियों के कब्जे में भी हैं, सरकारी मुलाजमीन के क़ब्जे में भी हैं और औरों के क़ब्जे में भी हैं। एक साहब ने उसकी ताबीर यह की कि तो क्या यह रेजीडेंस के लिये हो रहा है। अगर अक्ल है मेरे पास तो मैं सोचूंगा कि जहां तक किराये का ताल्लुक़ है मेम्बरान से किराए की अदायगी में दिक्कत हुई ही नहीं, किसी ने कोई शिकायत की ही नहीं। किराया आज तक आसानी से वसूल होता रहा है लैंड रेवेन्यू की तरह वसूल करने की क्या जरूरत ? कौन इस हिमाक़त को मोल लेगा अपने जिम्मे कि मेम्बरान से एरियर्स आफ़ लैंड रेवेन्यू के तौर पर किराया वसूले और उस तरीक़े को छोड़ दे कि जिस तरीक़े से आज वसूल हो रहा है ?

एक मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि आखिर वे कौन हैं दुनिया में जिनके वास्ते इस कानून की जरूरत है। मेम्बरान का सवाल तो अलाहिदा है रेजीडेंस का। मिसाल के तौर पर मैं बता दूं कि रेजीडेंस में केटरर रहते हैं। एक केटरर साहब को इस ऐवान के बनने से पहले मेम्बरान की शिकायत के ऊपर गवर्नमेंट ने हुक्म दिया कि उनका केटररपन खत्म और वे यहां से जायं। अब आगे तफ़सील में नहीं करूंगा, अगर कोई मेम्बर साहब देखना चाहें तो मैं उनको दावत देता हूं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के, मेरे दफ्तर में तशरीफ़ ले आयें मैं उनको काग़ज़ात दिखला दूंगा कि डेढ़ बरस तक मैंने सिर पटका और उनको उस कमरे से नहीं निकाल सका जो रेजीडेंस का कमरा था। तब सोचा जाय इस बात को कि अगर रेजीडेंसेज में कोई आदमी इस तरह से कब्जा कर ले और मैं किसी कैंटरर को हटाना चाहूं और वह भी मेम्बरान की ख्वाहिश पर और उसको मुझे हटाने में साल डेढ़ साल तक कामयाबी हासिल न हो तो मैं मुक़द्दमा दायर करूं अदालत में और उनकी ख्वाहिश जब पूरी हो तब वह मेम्बरी से रुखसत हो जायं और दूसरा लेजिस्लेचर आजाय तब कहीं छै साल बाद हाई कोर्ट से यह फैसला आये कि वाकई यह बेदखली के काबिल है। यह एक केस है। इसी रेजीडेंस के पास कुछ मकानात बने हैं जिनमें सरकारी मुलाजिमान रहते हैं। उसमें एक आफिसर रहते थे। उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैंने मुक़द्दमा अदालत में लड़ा है। वह रहते थे, उनकी पेंशन हुई और वह उस मकान में रहते रहे। उनका इंतकाल हो गया। उनकी बीबी और कुछ लोग उसमें रहते थे। वह उस मकान में रहते रहे। हमें जरूरत हुई और जरूरत होती है आफिसर्स के लिये। इसलिये यह सवाल आया कि इनको हटाया जाय। उनको कलेक्टर के जरिये से एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा मकान अरेंज कराया गया लेकिन वह नहीं गये। मैं कोर्ट में गया और ढाई साल तक मुक़द्दमा लड़ता रहा और उसके बाद भी वह अपील करने के लिये तैयार थे लेकिन उनको खुदा की तरफ से इनाम यह मिला कि उनको एक अच्छा मौका लखनऊ से कहीं बाहर जाने का पैदा हुआ और वह चले गये और इस तरह से मकान खाली हुआ।

मैं नहीं जानता हूं कि यह शरणार्थियों के लिये है, मेम्बर साहबान के लिये है या किन आदमियों के लिये है। लेकिन इस बात का तजुर्बा हुआ कि एक ऐसे प्रोसीजर की जरूरत

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

है गवर्नमेंट को जो कि इस बिल में रखा गया है कि किसी से मकान खाली करा ले या किराया वसूल कर ले। मैं और मिसालों को मल्टीप्लाई करना नहीं चाहता हूं। यहां गरीब शरणार्थियों का क्या जिक्र है। हां कानून जिस तरीके से बना है वह उनके ऊपर भी लागू होगा और अगर मैं किसी मकान में काबिज होऊंगा और गवर्नमेंट मुझको निकालना चाहेगी तो मेरे ऊपर लगेगा और भी जो गवर्नमेंट मुलाजिम होंगे जो गवर्नमेंट के मकान में रहते होंगे तो उनके ऊपर भी लगेगा। इसमें किसी को मुस्तसना नहीं किया गया है।

मेरे वकील दोस्त जो यहां बैठे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि वह मेरी बात को समझें और इसी वजह से मैंने यह मंजूर भी किया है कि मैं इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में दे दूंगा और वह यह है कि उसमें भी मुझे सुर्ख टोपी वाले भाइयों से ताज्जुब हुआ। अगर इस तरफ के मेम्बरान कहते तो मुझे ताज्जुब नहीं होता। वाक़ई ताज्जुब यह हुआ कि मैंने वह बात उधर से सुनी जो नहीं सुनी जानी चाहिये थी। मुझे मालूम नहीं है कि वह अपने उसूल पर भी अमल करते हैं या नहीं। मैं नहीं जानता हूं लेकिन मुझे मुग़ालता होता है। मैंने शुरू में कहा था और अब भी कहता हूं कि यह कानून किसी को उस हक से जो वह कानून के ज़रिये अदालत में जाकर हासिल कर सकता है नहीं रोकता है। एक बात करता है कि वह गवर्नमेंट को मजबूर करने के बजाय उस आदमी को मजबूर करता है कि वह अदालत में जाय। एक आदमी मेरे मकान पर काबिज़ है वह अगर नहीं उठता है तो मैं अदालत में जाऊंगा। लेकिन इसमें यह हुआ है कि उसको अदालत में जाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अर्ज किया किराये का मामला है उसके लिये नोटिस दे कि इतना वाजिब है। उसके बाद उसके ऊपर यह रक्खा कि अगर वह यह कहता है कि मुझ पर वाजिब नहीं है, वह किराया जमा कर दे और अदालत में चला जाय। फर्क सिर्फ इतना है कि यह बिल किसी आदमी को हाई कोर्ट से या नीचे की कोर्ट से अपील करने के फायदे से रोकता नहीं है सिवाय इसके कि गवर्नमेंट वहां जायगी मुद्दई की हैसियत से नहीं बल्कि डिफेन्डेंट की हैसियत से जायगी। गवर्नमेंट में और एक इंडिविजुअल में बड़ा फर्क होता है। एक आदमी में जो सोसाइटी का मेम्बर है और पूरी सोसाइटी में बहुत बड़ा फर्क है। पूरी सोसाइटी जो है उसके ऊपर हर इंडिविजुअल के हुकूक कुर्बान किये जा सकते हैं सोसाइटी के फायदे के वास्ते। और सोसाइटी को कौन रिप्रेजेन्ट करता है, सोशलिस्ट उसूल से कौन उसका रिप्रेजेन्टेटिव है। वह तो सिवाय गवर्नमेंट के कोई दूसरा नहीं है, कोई पार्टी नहीं होगी, कोई फिलास्फी नहीं होगी। हमेशा गवर्नमेंट ही रिप्रेजेन्टेटिव होगी। एक इंडिविजुअल को यह हक कि उसके खिलाफ गवर्नमेंट अदालत में जाती उसके बजाय यह कर दिया कि वह खुद अदालत में जाय, गवर्नमेंट को न जाना पड़े। मैं समझता हूं कि यह दुनिया के बिल्कुल मार्डर्न उसूल के माफिक है। मुमकिन है उनके उसूल के माफिक न हो जिनकी टोपी सुर्ख है। सबसे पहले उन्हीं से यह ताईद होनी चाहिये थी, गवर्नमेंट को यह हक मिलना चाहिये था। मैं फिर वकील भाइयों से अपील करता हूं। इसमें एक एतराज किया गया इसमें रिट्रास्पेक्टिव एप्लिकेशन है, यह गलत है। उन्होंने इबारत पढ़ कर सुनाई थी। बिफौर ऐड आफटर के अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं। ये कंटीन्युइंग काज़ आफ एक्शन के लिये लिखे हुए हैं। किसी वक्त वह एक्शन हुआ और वह आज तक जारी है तो उसके ऊपर हर वक्त कार्यवाही करने का हक है। अगर वह जारी है तो उसके ऊपर आज भी नालिश हो सकती है और वह कानून भी एप्लाई हो सकता है, उसमें कोई रिट्रास्पेक्टिव एफेक्ट (अनुदर्शी प्रभाव) की बात नहीं है। यही उधर के भाइयों की तरफ से सबसे बड़ा ऐब निकाला गया। एक भाई ने जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता उन्होंने कहा कि इस कानून में यह ज्यादती कर दी है, कानून का जब वजूद भी नहीं आया था तब से इसे लागू किया जा रहा है। इसमें हक होगा कि उस पहले किये हुए काम के ऊपर कार्यवाही की जाय, पहले किये काम पर नहीं बल्कि वह काम अब भी जारी है उसके ऊपर कार्यवाही करने की बात है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—'कंटिन्युएंस' इसमें लिखा हुआ नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लिखने की जरूरत भी नहीं होती। अंडर दी ला इट इज़ नाट नेसेसरी टु मेन्शन दैट (कानून के अन्दर तिथि का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।) बहरहाल जो बात हो मेम्बरों के मुताल्लिक समझी जाय, शरणार्थियों के मुताल्लिक समझी जाय, सरकारी मुलाजिमों के मुताल्लिक समझी जाय, यह बिल है जिसमें मैं समझता हूं कि वह खराबियां हैं नहीं, जो कि समझी गई हैं मगर मैं इसके लिये तैयार हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मगर सिलेक्ट कमेटी में जाय, पूरे तीन दिन के अन्दर सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर के दे दे और जो कुछ भी शेष हो आपस में बैठ कर खूब बातचीत हो जाय और जो तब्दीली होनी होगी वह हो जायगी। फिर इसको यहां पेश कर दिया जायगा। मेरी आखिरी गुजारिश यही है कि मैंने आपकी बात मंजूर कर ली है और वह नाम लिख कर मैं आपकी खिदमत में भेज दूंगा तब उसके ऊपर कार्यवाही हो जाय।

श्री राम नरेश शुक्ल—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२, सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे और जो अपनी रिपोर्ट तीन दिन के अन्दर इस भवन म पेश करे—

१—श्री शिव स्वरूप सिंह
२— ,, खूब सिंह
३— ,, लुत्फ़ अली खां
४—श्रीमती प्रकाशवती सूद
५— श्री दीन दयालु शर्मा
६— ,, नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
७— ,, पद्मनाथ सिंह
८— ,, देव नन्दन शुक्ल
९— ,, भृगुनाथ चतुर्वेदी
१०— ,, सीताराम शुक्ल
११— ,, हमीद खां
१२— ,, शिवमंगल सिंह कपूर
१३— ,, छेदालाल गुप्त
१४— ,, व्रजवासी लाल
१५— ,, महावीर प्रसाद शुक्ल
१६— ,, खुशी राम
१७— ,, पातीराम
१८— ,, गजेन्द्र सिंह
१९— ,, राम नारायण त्रिपाठी
२०— ,, जयेन्द्र सिंह विष्ट

श्री मदन मोहन उपाध्याय—जो मेम्बरों के नाम अभी लिये गये हैं मैं समझता हूं उनमें हमारे शिव नारायण जी का नाम भी होना चाहिये। अगर कोई कमी हो तो हमारी तरफ का नाम कम कर दिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं आपने बड़ा करम किया।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकारी भू-गृहादि (किराये की वसूली और बेदखली) विधेयक, १९५२ सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे और जो अपनी रिपोर्ट ३ दिन के अन्दर इस सदन में उपस्थित करें—

१— श्री शिवस्वरूप सिंह
२— ,, खूब सिंह
३— ,, लुत्फ़ अली खां
४—श्रीमती प्रकाशवती सूद
५— श्री दीन दयालु शर्मा
६— ,, नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
७— ,, पद्मनाथ सिंह
८— ,, देव नन्दन शुक्ल
९— ,, भृगुनाथ चतुर्वेदी
१०— ,, सीताराम शुक्ल
११— ,, हमीद खां
१२— ,, शिवमंगल सिंह कपूर
१३— ,, छेदालाल गुप्त
१४— ,, व्रजवासी लाल
१५— ,, महावीर प्रसाद शुक्ल
१६— ,, खुशीराम
१७— ,, पातीराम
१८— ,, गजेन्द्र सिंह
१९— ,, राम नारायण त्रिपाठी
२०— ,, जयेन्द्र सिंह विष्ट

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—श्रीमान् सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५९ पर)

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—चेयरमैन महोदय, मैं इस प्रस्थापन का विरोध करना चाहता हूं। इसका उनको कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इसके मेम्बर इंचार्ज माननीय मंत्री खुद हैं इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सभा सचिव को यह अधिकार नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन तो कभी अपोज नहीं होता।

अधिष्ठाता—मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जो बिल गजट में प्रकाशित हो जाता है वह हाउस में इस तरह से अपोज (विरोध) नहीं होता और यह स्टेज अपोज करने का नहीं है। जब इस पर विचार हो, तो आप अपोज कर सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—गजट तो हमारे घर पर जाता है और हम यहां बैठे रहते हैं।

अधिष्ठाता—इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर नहीं है।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १६८ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२

वित्त मंत्री (श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम)—मैं उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२, पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १७३ पर)

(इसके बाद सदन ३ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
३ सितम्बर, १९५२।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २३ और २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०७ पर)

विवरण खाद्यान्न जो पूर्वी तथा पर्वतीय जिलों में ए० पी० तथा राशनिंग स्कीम के अंतर्गत वितरण किया गया

निम्न मात्राओं से यह भी तात्पर्य है कि प्रत्येक जिला प्रतिवर्ष उतनी ही मात्रा में अभावग्रस्त रहा।

(सब आंकड़े मन में)

क्रम-संख्या	जिला	१९४८-४९	१९४९-५०	१९५०-५१	१९५१-५२
१	बलिया ..	३०,४७४	१,२४,७५४	३,११,५०३	२,०७,०८४
२	गाजीपुर ..	२६,०११	१,३१,६१०	२,६०,४५६	२,७०,१११
३	जौनपुर ..	५४,०९२	१,९६,५९८	२,६३,३११	३,०४,२६९
४	बनारस ..	५,१४,२२५	१३,६२,९२६	१३,९३,११९	१५,४९,५९१
५	मिर्जापुर ..	९०,६००	२,८०,६०९	२,८८,४०२	४,०८,२२५
६	गोरखपुर ..	१,२०,३७८	४,५६,९२८	६,१५,५७२	९,८६,६५२
७	देवरिया ..	१८,४०१	११,५४२	१,९७,४५५	३,६१,५०१
८	आजमगढ़ ..	५८,५९०	२,२५,१३६	३,२९,८७३	४,९०,४६६
९	बस्ती ..	..	८५,२०८	१,०६,७५४	४,१४,६९३
१०	गोंडा ..	..	..	१४,८९४	५९,८२७
११	बहराइच ..	..	..	३,६९०	९,०२१
१२	नैनीताल ..	२९,६४७	१,५४,५११	१,३६,८२२	१,७५,०३७

(सब आंकड़े मन में)

क्रय-संख्या	जिला	१९४८–४९	१९४९–५०	१९५०–५१	१९५१–१९५२
१३	अल्मोड़ा ..	२५,४६१	७४,९५२	१,३३,८४५	२,६४,८३३
१४	गढ़वाल ..	१४,३११	३५,३३०	१,८५,२५४	१,७४,२८३
१५	टेहरी-गढ़वाल ..	..	..	१९,३००	५६,८७४
	योग ..	९,८२,१९०	३१,४०,१०४	४२,६०,२३०	५७,३२,४६७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

किंग एडवर्ड सप्तम सैनेटोरियम, भवाली (मय पुलिस वार्ड व भूमियाधार संयुक्तिका) के निम्न कर्मचारियों के वेतन-क्रमों, महंगाई भत्तों और उनके रहने के क्वार्टरों की तालिका

क्रम-संख्या	निम्न कर्मचारियों की श्रेणी	कर्मचारियों की स्वीकृत योग संख्या	नियुक्त कर्मचारियों की योग संख्या	वेतन क्रम	महंगाई भत्ता	जिन्हें क्वार्टर मिले हैं	जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये गये हैं
१	२	३	४	५	६	७	८
१	मोटर कार ड्राइवर	२	१	रु० ४५–२–६५–३–८० रु०	रु० २५ १/२	मासिक १	..
२	इंजन ड्राइवर	२	२	रु० ५०–२–बी आई–६०–ई० बी०–३–बी आई–७५	रु० २६ १/२	„ २	..
३	मोटरकार के क्लीनर	२	१	„ २५–१/२–३०	„ २०	„ १	..
४	पावर हाउस के क्लीनर	३	३	„ २०–१/२–२५	„ २०	„ ३	..
५	इलेक्ट्रिक लाइनमैन	१	१	„ ५०–२–बी० आई०–६० ई० बी०–३–बी० आई० ७५	रु० २५	„ १	..
६	चपरासी	३	३	रु० २०–१/२–२५	„ २०	„ ३	..
७	अर्दली	३	३	„ „ „ „	„ २०	„ ३	..
८	लोहार	१	१	„ ४५–२–६५–३–८०	„ २५	„ १	..
९	राज	१	१	„ „	„ „	„ ..	१
१०	बढ़ई	१	१	„ „	„ „	„ ..	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

११	इंजन मिस्त्री	१	१	रु० ४५–२–६५–३–८०	रु० २५ मासिक	..	१
१२	धोबी	८	८	,, ४५ मासिक (निश्चित)	,, २० ,,	८	..
१३	रसोइये	१०	१०	,, २०–१/२–२५	,, ,, ,,	९	१
१४	प्रधान रसोइया	१	१	,, ३०–१–३५	,, ,, ,,	१	..
१५	पानी लाने वाले	४	४	,, २०–१/२–२५	,, ,, ,,	४	..
१६	कहार	५	५	,, ,,	,, ,, ,,	५	..
१७	वार्ड के नौकर	३४	३४	,, ,,	,, ,, ,,	३३	१
१८	मजदूर	२२	२२	,, ,,	,, ,, ,,	२१	१
१९	प्रधान माली	१	१	,, ३०–१–३५	,, ,, ,,	१	..
२०	सहायक माली व मजदूर	३	३	,, २०–१/२–२५	,, ,, ,,	३	..
२१	चौकीदार	७	७	,, ,,	,, ,, ,,	७	..
२२	प्रधान मेहतर	१	१	,, ३०–१–३५	,, ,, ,,	१	
२३	मेहतर	४३	४३	,, २०–१/२–२५	,, ,, ,,	४३	..
२४	स्पुटम क्लीनर	२	२	,, ,,	,, ,,	२	..
२५	नर्सेस होम के नौकर	१०	६	,, ,,	,, ,, ,,	६	..
		१७१	१६५			१५९	६

नोट—(अ) ६ कर्मचारी जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये गये हैं (जो ८ कालम में दिखाये गये हैं) स्थानीय लोग हैं और अपने निजी घरों में रहते हैं।

(ब) सेनेटोरियम में करीब ६२ क्वार्टर हैं जिनमें शेष कर्मचारी यानी १५९ आपस में बिल्कुल मिलजुल कर रह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

तालिका

ग्रामीण क्षेत्र (एलोपैथिक)—४

१—खुताहान,
२—सुजानगंज,
३—तेजीबाजार,
४—जलालपुर।

ग्रामीण क्षेत्र (आयुर्वेदिक)—६

१—सिकरारा,
२—चन्दवक,
३—बक्सा,
४—महराजगंज,
५—पट्टी नरेन्द्रपुर,
६—बाजिदपुर।

ग्रामीण क्षेत्र (यूनानी)—३

१—तिलौरा,
२—मानीकलां,
३—कलांपुर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११६ पर)

श्री जोखई राम के कार्य-काल की स्थिति

	मुकद्दमे जो दायर हुये	मुकद्दमे जो फैसल हुये
माल ..	..	..
दीवानी ..	२	..
फौजदारी ..	१	..

श्री राम नाथ मिश्र के कार्य-काल की स्थिति

माल ..	५	..
दीवानी ..	१६	१४
फौजदारी ..	१९	११

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ पर)

सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में नगरपालिकाओं को सड़कों के लिये दिये गये अनुदान की सूची

जिला	नगरपालिका	१९५०-५१	१९५१-५२
(अ) आठ बड़ी नगरपालिकायें		रुपया	रुपया
१. कानपुर	कानपुर	४,९५,५००	४,३७,५००
२. लखनऊ	लखनऊ	३,५४,०००	३,१२,५००
३. इलाहाबाद	इलाहाबाद	२,१२,५००	१,८७,५००
४. बनारस	बनारस	२,१२,५००	१,८७,५००
५. आगरा	आगरा	२,१२,५००	१,८७,५००
६. मेरठ	मेरठ	७१,०००	६२,५००
७. बरेली	बरेली	७१,०००	६२,५००
८. मुरादाबाद	मुरादाबाद	७१,०००	६२,५००
	योग	१७,००,०००	१५,००,०००
(ब) शेष नगरपालिकायें			
१. देहरादून	देहरादून	..	५०,०००
	मसूरी	५०,०००	..
	ऋषीकेश	..	..
२. सहारनपुर	सहारनपुर	..	५०,०००
	हरद्वार	५०,०००	..
	देवबन्द	..	..
	रुड़की	..	..
	संगलौर	..	..
३. मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	..	२५,०००
	कैराना	..	..
	शामली	..	..
४. मेरठ	मेरठ	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
	बड़ौत	..	..
	गाजियाबाद	..	२५,०००
	हापुड़	..	..
	पिलखुवा	..	..
	भवाना	..	..

जिला	नगरपालिका	१९५०–५१	१९५१–५२
५. बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	..	..
	दिबई	..	२०,०००
	खुरजा	..	..
	सिकन्दराबाद	..	..
	अनूपशहर	..	..
६. अलीगढ़	अलीगढ़	..	..
	हाथरस	..	..
	अटरौली	..	२५,०००
	सिकन्दराराऊ	..	..
७. मथुरा	मथुरा	२५,०००	..
	बृन्दाबन	..	३०,०००
	कोसीकलां	..	..
८. आगरा	आगरा	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
	फिरोजाबाद	..	..
	फतेहपुर सीकरी	..	२०,०००
९. मैनपुरी	मैनपुरी	२५,०००	..
	शिकोहाबाद	१५,०००	..
१०. एटा	ऐटा	..	४०,०००
	सोंरों	५०,०००	..
	कासगंज	१९,३००	..
	जलेसर	..	..
	गंज दंदवारा	..	..
११. बरेली	बरेली	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
	आवला	..	२०,०००
१२. बिजनौर	बिजनौर	..	..
	चांदपुर	३०,०००	..
	धामपुर	..	२५,०००
	नगीना	२०,०००	..
	नजीबाबाद	..	..
१३. बदायूं	बदायूं	५०,०००	..
	उझानी	..	२५,०००
	सहसवान	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	नगरपालिका	१९५०–५१	१९५१–१९५२
१४. मुरादाबाद	मुरादाबाद	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
	चंदौसी	..	..
	अमरोहा	..	..
	सांभल	..	..
	हसनपुर	..	२०,०००
१५. शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	..	२५,०००
	तिलहर	२५,०००	..
१६. पीलीभीत	पीलीभीत	..	२५,०००
	बीसलपुर	..	..
१७. रामपुर	रामपुर	५०,०००	..
१८. फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद फतेहगढ़	१९,४००	..
	कन्नौज	..	२५,०००
	कायमगंज	..	..
१९. इटावा	इटावा	१५,०००	..
	औरइया	..	२०,०००
२०. कानपुर	कानपुर	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
२१. फतेहपुर	फतेहपुर	..	२५,०००
	बिन्दकी	..	..
२२. इलाहाबाद	इलाहाबाद	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
२३. झांसी	झांसी	३५,०००	..
	मऊरानीपुर	..	..
	ललितपुर	..	२५,०००
२४. जालौन	उरई	२४,०००	..
	जालौन	..	..
	कालपी	..	२५,०००
	कोंच	..	..
२५. बांदा	बांदा	२५,०००	..
२६. हमीरपुर	हमीरपुर	..	..
	महोबा	..	२०,०००
	चरखारी	..	..
	राठ	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जिला	नगरपालिका	१९५०–५१	१९५१–५२
२७. बनारस	बनारस	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
	भदोही	..	२०,०००
	रामनगर	..	..
२८. मिर्जापुर	मिर्जापुर	..	..
	चुनार	..	..
२९. जौनपुर	जौनपुर	५०,०००	..
३०. गाजीपुर	गाजीपुर	..	३५,०००
३१. बलिया	बलिया	..	३५,०००
३२. गोरखपुर	गोरखपुर	..	३०,०००
३३. देवरिया	देवरिया	..	२०,०००
	पद्रौना	..	..
	गौरा बरहज	२५,०००	..
३४. बस्ती	बस्ती	२५,०००	..
३५. आजमगढ़	आजमगढ़	..	२५,०००
	मऊनाथ भंजन	..	..
३६. अलमोड़ा	अलमोड़ा	..	२५,०००
३७. नैनीताल	नैनीताल	२०,०००	८५,०००
	काशीपुर	..	..
	हल्द्वानी	..	..
३८. लखनऊ	लखनऊ	बड़ी नगरपालिकाओं की सूची में सम्मिलित	
३९. उन्नाव	उन्नाव	..	२५,०००
४०. रायबरेली	रायबरेली	..	..
४१. सीतापुर	सीतापुर	..	२५,०००
	बिसवां	..	..
	खैराबाद	..	..
४२. हरदोई	हरदोई	५०,०००	..
	शाहबाद	..	..
	संडीला	..	२०,०००
	पिहानी	..	..
	बिलग्राम	..	..

विधान सभा

जिला	नगरपालिका	१९५०–५१	१९५१–५२
४३. खेरी	लखीमपुर	२५,०००	..
	गोला गोकरननाथ	..	२०,०००
४४. फैजाबाद	फैजाबाद	..	..
	टांडा	..	..
४५. गोंडा	गोंडा	..	२५,०००
	बलरामपुर	..	..
४६. बहराइच	बहराइच	..	..
४७. सुलतानपुर	सुलतानपुर	..	..
४८. प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	..	२६,४००
४९. बाराबंकी	बाराबंकी	..	२५,०००
भाग (ब) का योग	..	७,२२,७००	१०,०६,४००
कुल योग भाग (अ) और भाग (ब)	..	२४,२२,७००	२५,०६,४००

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ १४६ पर)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिए :

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

विधेयक

यह आवश्यक है कि उन जमींदारों के ऋणों को कम करने (scaling down) की व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यस्वथा अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम ,१९५२ होगा,

उत्तर प्रदेश अधिनियम १,१९५१। संक्षिप्त शीर्षनाम,

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा,

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

प्रसार तथा प्रारम्भ।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :—

परिभाषायें।

(क) "देय धनराशि amount due" का तात्पर्य उस धन-राशि से है जो, यदि यह अधिनियम पारित न होता तो देय होती ;

(कक) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है, जो जनरल क्लाज़ेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ में "सेंट्रल गवर्नमेण्ट" को दिया गया है ;

ऐक्ट १०, १८९७।

(ख) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ में दिया गया है ;

(ग) "डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद में दी गई हो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this Act applies) ;

ऐक्ट,५, १९०८।

(घ) "ऋण (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है जो नक़द या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (ट्रेंजेक्शन) है जो वास्तव में (in substance) ऋण के रूप में हो किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित को देय ऋण नहीं हैं :—

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार ;

(२) स्थानिक अधिकारिकी (local authority);

(३) शेडयूल्ड बैंक ;

(४) सहकारी संस्था (co-operative society), तथा

(५) वक्फ़, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (इनडाउमेंट) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(ङ) "दानोत्तर" "आस्थान" "प्रतिकर" "पुनर्वासन अनुदान तथा "धर्मोत्तर" का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है ;

(च) "स्थानिक अधिकारिकी" के अन्तर्गत कैण्टूनमेंट बोर्ड भी है ;

(छ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रान्सफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ में 'mortgage' को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा 'charge' के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है ;

(ज) "बन्धककर्ता mortgagor"—

(१) के अन्तर्गत यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक अथवा कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं ; और

(२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फरीक़ैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों, तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है ;

(झ) किसी आस्थान में मातहतदार (under proprietor), अदना मालिक (sub proprietor), ठेकेदार, अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lesee in Audh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) के स्वत्व के बन्धक के सम्बन्ध में "स्वामी" (proprietor) का तात्पर्य धारा ३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथा-स्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार, इस्तमरारी या दवामी या दवामी काश्तकार से है ;

(ञ) "शेडयूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट, १९३४ में उसे दिया गया है ;

(ञञ) "सुरक्षित ऋण" (secured debt) का तात्पर्य किसी अस्थान के बन्धक द्वारा अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति द्वारा सुरक्षित ऋण से है ;

(ट) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ; और

(ठ) "वाद जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार suit or proceeding से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा।

डिक्री देते समय ऋण का काम करना

३—(१) किसी विधि अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व, यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।

ऐक्ट १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान मात्र हो और उक्त आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, तो न्यायालय,

(क) यदि एक ही बन्धककर्ता हो जो ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा ;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgage deed) में ऋण के लिए उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि को उक्त प्रकार के अधिकारी, बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने अपने अंशों के अनुपात में; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान के भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग विभाजित करेगा, मानो वे सम्पत्तियां दो ऐसे भिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और—

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानो वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० जून, १९५२ ई० को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना अपना उत्तर-दायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में ; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

डिक्री देने के पश्चात् ऋण न्यू करने का अधिकार।

४—(१) कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई भी न्यायालय जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree holder) अथवा वाद ऋणी (Judgment debtor) द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति जो डिक्री द्वारा भारित हो, (charge under the decree) केवल आस्थान मात्र हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो, तो न्यायालय—

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा ;

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे ;

(i) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा ;

(ii) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद ऋणियों के बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद ऋणी के लिए धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा मानों कि डिक्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियों ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा

(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(i) यदि एक ही वाद ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा ;

(ii) यदि दो या अधिक वाद ऋणी हों और उनमें से सब या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२ को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उक्त प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने अंशों के अनुसार, तथा

(iii) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धक कर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

बन्धकर्ता अथवा वाद ऋणी को अलग अलग इकाई समझा जायगा।

५—धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धक कर्ता अथवा वाद ऋणी जिसे इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक पृथक इकाई (unit) समझा जायगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुसंन्तति (male lineal descendant in the male line of descent) सहित, जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का संबंध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा।

कम किये धनराशि के लिये डिक्री।

६—(१) देय धनराशि के धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा :—

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (केसेज) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिये ,

(ख) उक्त धारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त धारा के खंड (क) के उपखंड (३) के अधीन मामलों में, ऐसी धनराशि के लिये जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि के जोड़ तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिये कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

(२) उपधारा (१) में किसी भी बात का अर्थ इस प्रकार न लगाया जायगा अथवा न समझा जायगा जिससे कि उक्त उपधारा के खंड (ख) और (घ) में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि के लिये प्रत्येक बन्धककर्ता के विरुद्ध अलग अलग डिक्री देना आवश्यक हो।

डिक्री की अदायगी।

७—जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के संबंध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिये उसके कम किये हुये अंश का भुगतान हो चुका है।

प्रतिकर की धनराशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जायगा।

८—(१) किसी संविदा, लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (contract, document or law for the time being in force) में कोई बात होते हुये भी सुरक्षित ऋण के संबंध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्ति हो,

(क) जहां तक बंधक किये गये आस्थान के प्रतिकर का संबंध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन चौथाई तक ही निष्पादित (Execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए आस्थान के संबंध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।

(२) किसी विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी किन्तु उपधारा (१) के उपबन्धों के अधीन, बन्धक किये हुये आस्थानों के संबंध में धारा ३ तथा ४ के अन्तर्गत कम की गयी धनराशि, वाद ऋणियों से, प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान में से लिये जाने से भिन्न अन्य किसी रीति से, विधितः वसूल न की जा सकेगी।

बन्धकों के विरुद्ध असुरक्षित ऋण के संबंध में डिक्रियों का निष्पादन।

८—क—सुरक्षित ऋण को छोड़ कर अन्य ऋण के सम्बद्ध कोई डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद—ऋणी को उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (Bonds) की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय, तो डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूची २ में बताये हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।

९—आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरण-पोषण की वृत्ति (maintenance allowance) की बकाया की वसूली की डिक्री या वाद में, जिनमें कोई भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति सहित बन्धक किया गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानो गुजारा या भरण पोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३,४,और ५ के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझी जायगी। भरण पोषण की वृत्ति।

स्पष्टीकरण:—पद "भरण पोषण की वृत्ति" (maintenance allowance) के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत annuity (वार्षिक वृत्ति) भी है।

१०—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज सरकार नियम बना सकती है। नियम बनाने के अधिकार

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (referred) ऋण की कमी के लिये सूत्र (formula)

२—उक्त सूत्र में $X = D \times \frac{8 + MRG}{ME}$

(१) "×" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय:

(क) यदि बन्धककर्ता (मार्टगेजर) या वाद–ऋणी (जजमेंट डेटर) बन्धक किये हुये आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (इन वन यूनिट) अधिकारी रहा हो, तो यथा-स्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है:—

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क) अथवा
(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा
(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा
(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक, बन्धककर्ता या वाद-ऋणी की विभाजित धनराशि से है,

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा
(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा
(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (२)

३—"ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थानों के मूल्य अवधारण के लिये गुणक (मल्टीपिल) से है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि "ME", 8+MRG से कम हो तो "ME" के बारे में यह समझा जायगा कि वह 8+MRG के बराबर है।

४—"MRG" का अभिप्राय ऐसे गुणक से है जो निम्नलिखित तालिका के अनुसार लागू हों :—

तालिका

यदि बन्धककर्ता या वाद-ऋणी द्वारा देय मालगुजारी	उपखंड (४) के प्रयोजनों के लिये गुणक
२० रुपया तक हो ..	.. २०
२५ रुपया से अधिक हो किन्तु ५० रुपया से अधिक न हो	.. १७
५० रुपया से अधिक हो किन्तु १०० रुपया से अधिक न हो	.. १४
१०० रुपया से अधिक हो किन्तु २५० रुपया से अधिक न हो	.. ११
२५० रुपया से अधिक हो किन्तु ५०० रु० से अधिक न हो	.. ८
५०० रुपया से अधिक हो किन्तु २,००० रु० से अधिक न हो	.. ५
२,००० रु० से अधिक हो किन्तु ३,५०० रु० से अधिक न हो	.. ३
३,५०० रु० से अधिक हो किन्तु ५,००० रु० से अधिक न हो	.. २
५,००० रु० से अधिक हो किन्तु १०,००० रु० से अधिक न हो	: १

स्पष्टीकरण:—उत्तर प्रदेश में बन्धककर्ता या वाद-ऋणी पर लगाई गई मालगुजारी की धनराशि के जोड़ने में, इस संबंध में सन् १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की अनुसूची १ में दिये गये सिद्धान्त, लागू होंगे।

अनुसूची २

(देखिये धारा ८ क)

बेचे गये बन्ध में दिखाये गये मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिये धनराशि उक्त रुपये की $\frac{ME}{8\ MRG}$ बार होगी।

उक्त सूत्र में "ME" और "MRG" का तात्पर्य वही होगा जो उनको क्रमशः अनुसूची १ के पैरा २ के मद (३) और (४) में दिये गये हैं।

उद्देश्य और कारण

जमींदारी उन्मूलन कमेटी ने मध्यवर्तियों के ऋण को कम करने के संबंध में कुछ सिफ़ारिशें की थीं। उन्होंने यह प्रकट किया था कि वर्तमान विधियों में जमींदारी के विनाश के कारण जमींदारों को अपने ऋण देने की कम हुई क्षमता का कोई समावेश नहीं है। कमेटी को यह उचित और न्याय युक्त प्रतीत हुआ कि जमींदारी विनाश के बाद जमींदारों की भूमि के कम हुये मूल्य के अनुपात में उनका ऋण भी कम कर दिया जाय। सरकार ने कमेटी की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया और अपने निर्णय को इस विधेयक में रक्खा है जो विधान मंडल के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस विधेयक में निम्नलिखित को देय ऋण के कम करने की व्यवस्था नहीं है :—

(१) केन्द्रीय सरकार,
(२) किसी राज्य की सरकार,
(३) स्थानिक अधिकारिकी (लोकल अथारिटी),
(४) अनुसूचित बैंक,
(५) सहकारी संस्था, और
(६) वक्फ़, न्यास (ट्रस्ट) या निबन्ध (इण्डाउमेंट) जो दातोत्तर हों।

विधेयक में डिक्री देते समय सुरक्षित ऋण (सिक्योर्ड डेट) को अथवा निष्पादन से पूर्व ऐसे ऋणों को जिनके विषय में डिक्री दी गयी हो, कम करने की व्यवस्था की गयी है । सुरक्षित ऋण को कम करने के उपरान्त कम की गयी धनराशि का प्रारम्भिक (ओरिजनल) ऋण से वही अनुपात होगा जो जमींदारी विनाश के उपरान्त जमींदारी के हस्तगत करने के लिये प्रतिकर निर्धारण के निमित्त निश्चित पक्की निकासी में संकलित ऋण को दिये जाने वाले पुनर्वासन अनुदान के गुणक का उस गुणक के साथ होगा जो उस क्षेत्र के लिये जिसमें जमींदारी स्थिति हो, यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के अधीन नियत किया गया हो, ऐसे ऋणों का हिसाब जो सुरक्षित न हों, विधेयक की अनुसूची २ के अनुसार होगा । विधेयक में यह व्यवस्था भी की गयी है कि मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के चौथाई भाग के बराबर धनराशि उसके पास बच रहे ।

चरण सिंह
माल मंत्री ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १४७ पर)

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट १९३५ में संशोधन करने के लिये — यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त जो यहां आगे चल कर प्रतीत होंगे यह आवश्यक है कि यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ में संशोधन किया जाय। — यू० पी० ऐक्ट, ५ १९३५।

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम "उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, १९५२," कहलायेगा। — संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

२—यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ (जिसे आगे चल कर यहां पर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ की उपधारा (१) में प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :— — यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा ४, का संशोधन।

"Provided that the tax payable in respect of the period—

(*a*) prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1952 shall be determined in accordance with the appropriate rates specified in the first schedule as it stood prior to its amendment by the said Act ; and

(*b*) after the commencement of the said Act, shall be determined in accordance with the rates specified in the first Schedule."

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) में दूसरी प्रतिबन्धात्मक वाक्य के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा :— — यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा ५ का संशोधन।

"Provided further that the difference between the enhanced tax payable under clause (b) of the proviso to sub-section (1) of Section 4 and the tax paid for the said period in accordance with the rates specified in the first schedule as it stood prior to the commencement of the U. P. Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 1952 shall be paid within three months from the date of commencement of the said Act."

यू० पी० ऐक्ट ५, १९३५ की धारा २०का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा २० की उपधारा २ में खंड "(d)" के बाद निम्नलिखित नया खंड "(dd)" जोड़ दिया जायगा :—

"(*dd*) prescribing the manner in which the tax payable under the proviso to sub-section (1) of section 4 shall be calculated and the procedure of payment thereof under the second proviso to sub-section (1) of section 5."

यू० पी० ऐक्ट, ५ १९३५ की पहली अनुसूची का संशोधन।

५—मूल अधिनियम के First Schedule (पहली अनुसूची) के Parts A and B (भाग ए और बी) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खे जायंगे :—

FIRST SCHEDULE

Article number	*Description of vehicle*	*Annual rate of tax in rupees*
		Rs. a.
	PART A *Vehicles other than transport vehicles*	
I	Cycles (including motor scooters and cycles with attachement for propelling the same by mechanical power) not exceeding 8 cwt. in weight unladen—	
	(*a*) Bicycles—	
	(i) not exceeding 200 lbs. in weight unladen	11 4
	(ii) exceeding 200 lbs. in weight unladen	22 8
	(*b*) Tricycles	26 4
	(*c*) Bicycles or tricylcles used for drawing a trailer or a sidecar, in addition to the rate above	
II	Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage with seating accommodation for not more than six persons exclusive of the driver (including cycles and tricycles weighting more than 8 cwt. unladen)—	
	(i) (*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	37 8
	(*b*) exceeding 20 cwt. but not exceeding 30 cwt. in weight unladen ..	56 4
	(*c*) exceeding 35 cwt. but not exceeding 40 cwt. in weight unladen ..	75 0
	(ii) trailers drawn by vehicles covered by this article	15 0
	(iii) in the case of vehicles specified in (i), where two or more are owned by the same person,—	
	(*a*) for that one of such vehicles on which the highest tax is leviable—the full tax,	
	(*b*) for each other of such vehicles—three quarter of the tax leviable on sudh vehicle.	
III	Vehicles, including cycles and tricycles weighting more than 8 cwt. unladen constructed, or adapted for use, for the conveyance of more than 6 persons (exclusive of driver)—	
	(i) if fitted wholly with pneumatic tyres, and	
	(*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	75 0
	(*b*) exceeding 20 cwt. but not exceeding 35 cwt. in weight unladen ..	125 0
	(*c*) exceeding 35 cwt. but not exceeding 50 cwt. in weight unladen ..	165 0
	(*d*) exceeding 50 cwt. but not exceeding 70 cwt. in weight unladen ..	243 12
	(*e*) exceeding 70 cwt. but not exceeding five tons in weight unladen ..	312 8
	(*f*) exceeding five tons in weight unladen for every ton or part of a ton in excess of five tons.	131 4

Article number	*Description of vehicle*	*Annual rate of tax in rupees*
	(*g*) trailers drawn by vehicles covered by this article,—	Rs. as.
	(*a*) to carry load not exceeding one ton	87 8
	(*b*) to carry load exceeding one ton	165 0
	(ii) if fitted with resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with penumatic tyres together with an addition of 33⅓ per cent. thereon,	
	(iii) if fitted with non-resilient tyres—the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 66 2/3 per cent. thereon.	
	PART B	
	Transport Vehicles	
IV	Vehicles plying for hire for the conveyance of passengers and light personal luggage of passengers—	
	(1) with seating capacity for not more than three persons (exclusive of the driver).	67 8
	(2) with seating capacity for four persons, exclusive of the driver ..	112 8
	(3) with seating capacity for more than four but not more than six persons, exclusive of the driver	172 8
	(4) with seating capacity for more than six persons but not more than 20 persons, exclusive of the driver—	
	for the first six seats	172 8
	with an addition for every seat in excess of six and up to twenty, of—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	13 8
	(*b*) if intended for use on a B class route	9 12
	(*c*) if intended for use on a C class route	6 0
	(5) with seating capacity for more than 20 but not more than 32 persons, exclusive of the driver,—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	for the first 20 seats	382 8
	for every additional seat	15 12
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	for the first 20 seats	315 0
	for every additional seat	13 8
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	for the first 20 seats	270 0
	for every additional seat	9 12
	(6) with seating capacity for more than 32 persons, exclusive of driver—the tax payable under the foregoing clause for the first 32 seats with an addition, for every seat in excess of 32, of—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	31 8
	(*b*) if intended for use on a B class route	24 0

Article number	*Description of vehicle*	*Annual rate of tax in rupees*
		Rs. a.
	(*c*) if intended for use on a C class route	15 0
V	Vehicles plying for hire for the conveyance of a limited number of passengers and the transport of a limited quantity of goods—	
	the tax payable under Article IV in respect of the authorised number of passenger seats, together with an additional tax for every hundred- weight of authorized load of goods—	
	(*a*) if intended for use on an A class route	11 6
	(*b*) if intended for use on a B class route	7 0
	(*c*) if intended for use on a C class route	4 6
VI	Vehicles plying for hire for the transport of goods only—	
	(*A*) if fitted entirely with pneumatic tyres, and—	
	(*a*) if intended for use on an A class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	280 0
	(iii) for every additional hundred-weght of authorized load ..	9 10
	(*b*) if intended for use on a B class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	252 0
	(ii) for every additional hundred-weight of authorized load ..	7 0
	(*c*) if intended for use on a C class route—	
	(i) for the first 15 cwt. of authorized load	225 12
	(ii) for enery additioval hundred-weight of authorized load ..	5 4
	(*B*) if fitted with resilient tyres—	
	the tax payable under this rticle for a vehicle of the same authorized load capacity, if fitted with pneumatic tyres, together with an addition of 33 1/3 per cent, thereon.	
	(*C*) if fitted with non-resilient tvres—	
	the tax payable under this article for a vehicle of the same authorized load capocity, if fitted with pnuematic tyres, together with an addition of 66 $^{2}/_{3}$ per cent, thereon.	
VII	Vehicles plying for hire and intended for use on a special route—	
	The appropriate tax payable under Article IV, V or VI in respect of an A class route, together with such additional tsx not exceeding 50 per cent. of such appropriate tax as may be prescribed by the local Government.	
VIII	Vehicles plying for hire in respect of which a tax has been paid under either of Articles IV, V, VI or VII when intended for use in special or temporary circumstances and for a limited period on a route or routes other than those over which they otherwise ply— in addition to any tax paid under any of the foregoing articles, a tax at such weekly rate not exceeding Rs. 22 as the local Government may prescribe, for every week or part of a week during which it is intended to use any such vehicles in such special or temporary circumstances.	

Provided that nothing in this Article shall apply to a motor vehicle which is temporarily the subject of a private hiring agreement for the purpose of a specific journey :

Provided further that no additional tax shall be payable if a motor vehicle does not use the road or roads for which it is permanently licensed during the period it is temporarily allowed to ply on a route or routes other than those in respect of which it is permanently licensed.

(3) *After* Article VIII in Part B there shall be inserted—

"IX. Vehicles used for the carriage of goods in connexion with a trade or business carried on by the owner of the vehicle but not plying for hire or reward—

	Rs.	a.
(i) if fitted wholly with pneumatic tyres, and—		
(*a*) not exceeding 20 cwt. in weight unladen	105	0
(*b*) exceeding 20 cwt. but not exceeding 35 cwt. in weight unladen ..	175	0
(*c*) exceeding 35 cwt. but not exceeding 50 cwt. in weight unladen ..	231	0
(*d*) exceeding 50 cwt. but not exceeding 70 cwt. in weight unladen ..	341	4
(*e*) exceeding 70 cwt. but not exceeding five tons in weight unladen ..	437	8
(*f*) exceeding five tons in weight unladen for every ton or part of at on in excess of five tons.	183	12
(*g*) trailers drawn by vehicles covered bythis article,—		
(*e*) to carry load not exceeding one ton	112	8
(*b*) to carry load exceeding one ton	231	0

(ii) if fitted with resilient tyres—

the appropriate tax payable for a vehcicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addition of 33 $\frac{1}{3}$ per cent. thereon.

(iii) if fitted with non-resilient tyres

the appropriate tax payable for a vehicle of the same unladen weight with pneumatic tyres together with an addtion of 66 2/3 per cent. thereon.

उद्देश्य और कारण

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की पहली अनुसूची में मोटर गाड़ियों के टैक्सों की दरें निर्धारित की गई थीं। इन दरों में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुछ समय हुआ सामान लादने वाली गाड़ियों (ट्रान्सपोर्ट वैहिकिल्स) के किराये भाड़े बढ़ाये गये थे। अब ऐसी अवस्था आ गई है जब कि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि टैक्सों की दरों में कुछ वृद्धि की जाय जिससे कि सड़कों के बनाने और मरम्मत करने के बढ़े हुये खर्च को पूरा किया जा सके। इस समय मोटर गाड़ियों पर लिये जाने वाले टैक्स की दरें यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की पहली अनुसूची के भाग 'ए' और 'बी' में दी हुई हैं। इसलिये टैक्स की दर बढ़ा कर उन भागों में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

विचित्र नारायण शर्मा,
यातायात मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७७ पर)

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) विधेयक, १९५२

उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत् शक्ति) के उपयोग (कंजम्पशन) पर ड्यूटी (शुल्क) लगाने के लिये

विधेयक

यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में एनर्जी (विद्युत् शक्ति) के उपभोग पर ड्यूटी (शुल्क) लगाई जाय ;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) अधिनियम, १९५२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट (राज्य सरकार) सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

परिभाषायें।

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में—

(क) "नियत अधिकारी" का तात्पर्य—

(१) उस एलेक्ट्रिसिटी अण्डरटेकिंग (विद्युत व्यवसाय) की दशा में जो ऐसी एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई) के कार्य में प्रवत्त हो, जिसका स्वामी राज्य सरकार हो, या जिसका प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता हो, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से है जिसे इस संबंध में राज्य सरकार नियुक्त करे, तथा

(२) उस एलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिंग की दशा में जो ऐसी एनर्जी की पूर्ति करने (सप्लाई) के कार्य में प्रवृत्त हो जिसका स्वामी केन्द्रीय सरकार या बोर्ड हो या जिसका प्रबंध केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा किया जाता हो, ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी (अथारिटी) से है, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड की सहमति से जैसी भी दशा हो, नियुक्त करे।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिये सरकार का वह विभाग जो एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई) में प्रवृत्त हो, उक्त प्रकार का एलेक्ट्रिसिटी अन्डरटेकिंग (विद्युत् व्यवसाय) है।

(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य एलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, १९४८ के अध्याय ३ (Chapter III) के अन्तर्गत संघटित बोर्ड से है,

(ग) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९८ में किया गया है,

(घ) "उपभोक्ता" (कंज्यूमर) का तात्पर्य लाईसेंसी से भिन्न उस व्यक्ति से है जिसे निम्नलिखित द्वारा एनर्जी (विद्युत् शक्ति) दी जाती (सप्लाई) हो :—

(१) कोई लाइसेंसी,

(२) कोई बोर्ड, अथवा

(३) राज्य सरकार (स्टेट गवर्नमेंट) या केन्द्रीय सरकार (सेण्ट्रल गवर्नमेंट)।

(ङ) "एनर्जी" का तात्पर्य एलेक्ट्रिसिटी एनर्जी (विद्युत् शक्ति) से है,

(च) "लाइसेंसी" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति करने (सप्लाई करने) का लाइसेंस इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के भाग २ (Part II) के अधीन प्राप्त हो तथा इसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है जिसे उक्त ऐक्ट की धारा २८ के अधीन इस संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो,

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों द्वारा नियत से है,

(ज) "लगाई गई दर" के अन्तर्गत किसी मीटर अथवा सर्विस लाइन का किराया नहीं है,

किन्तु निम्नलिखित उसके अन्तर्गत हैं :—

(१) जब किसी निर्दिष्ट अवधि के भीतर भुगतान करने के लिये छूट दी जाय तो इस प्रकार दी गयी छूट,

(२) उपभोक्ता द्वारा देय न्यूनतम धन (minimum charges) यदि कोई हो,

(३) टू पार्ट टैरिफ़ की दशा में निश्चित धन (फिक्स्ड चार्जेज) तथा इकाई धन (यूनिट चार्ज) भी,

(४) उस प्रकार की पूर्ति (सप्लाई) की दशा में जहां मीटर न लगा हो, समय समय पर उसके लिये लगाया गया धन (periodial charge made therefor), और

(५) दरों पर कोई अधिभार (सरचार्ज) जो लाइसेंसी, बोर्ड, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया गया हो।

स्पष्टीकरण—"इकाई धन" (यूनिट चार्ज) का तात्पर्य खंड (३) में वास्तव में उपयुक्त एनर्जी (विद्युत् शक्ति) के लिये दिये जाने वाले मूल्य से है।

(झ) "राज्य सरकार" (स्टेट गवर्नमेंट) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(ञ) उन शब्दों तथा पदावलियों का, जिनकी परिभाषा इस अधिनियम में नहीं की गयी है किन्तु जो इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

उपभोक्ता (कंज्यूमर) को दी गई एनर्जी (विद्युत् शक्ति) पर विद्युत् शुल्क ।

३—उपभोक्ता (कंज्यूमर) द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत् शक्ति) पर राज्य सरकार के लिये ड्यूटी (शुल्क) लगायी जायगी और वह राज्य सरकार को देय होगी। यह ड्यूटी (शुल्क) जिसको यहां आगे चल कर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) के नाम से कहा गया है उसके लिये लाइसेंसी द्वारा तथा धारा २ के उपखंड (२) या (३) में अभिदिष्ट बोर्ड अथवा सरकार द्वारा लगाई गई दर के २५ प्रतिशत के हिसाब से आकलित (computed) की जायगी।

किन्तु पहला प्रतिबंध यह है कि निम्नलिखित में या द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर कोई ड्यूटी (शुल्क) नहीं लगायी जायगी :—

(क) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार, किन्तु यह अपवाद निवास के प्रयोजनों (residential purposes) के निमित्त प्रयुक्त भू-गृहादि (premises) पर न लगेगा,

(ख) केन्द्रीय सरकार अथवा रेलों का संचालन करने वाली रेलवे कम्पनी द्वारा रेलवे के निर्माण, रख रखाव अथवा संचालन करने में,

१९२३ की ऐक्ट संख्या ४।

(ग) इंडियन माइन्स ऐक्ट, १९२३ में परिभाषित किसी माइन (खान) द्वारा या उसके सम्बन्ध में।

दूसरा प्रतिबंध यह है कि उपभोक्ता (कंज्यूमर्स) द्वारा उपभुक्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) पर एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) नहीं लगाई जायगी यदि उसके लिये लगाई गयी दर ९ आना प्रति यूनिट (एकाई) से अधिक हो।

तीसरा प्रतिबन्ध यह है कि यदि लगाई गई दर ९ आना प्रतियूनिट (एकाई) से कम हो, तो किसी भी एक यूनिट (एकाई) पर लगाई गई एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) ऐसी कम की गयी धनराशि होगी जो उसके लिये लगाई गयी दर के साथ ९ आने से अधिक न हो।

चौथा प्रतिबन्ध यह है कि उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के संबंध में जिस पर " वन पार्ट टैरिफ" के अनुसार दर लगाई गयी हो, एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ९ आना प्रतियूनिट (एकाई) से अधिक न होगी।

स्पष्टीकरण—एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) के लगाने तथा उसके भुगतान के प्रयोजनों के निमित्त, उस एनर्जी, (विद्युत् शक्ति) के संबंध में जिसे लाइसेंसी अथवा बोर्ड ऐसे भू-गृहादि में या उसके ऊपर उपभुक्त करे जो व्यवसाय अथवा निवास के प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होते हों, तो यह समझा जायगा कि वह ऐसी एनर्जी (विद्युत् शक्ति) है जिसको ड्यूटी (शुल्क) उपभोक्ता ने दी है और उसके द्वारा उपभुक्त (consumed) है।

(२) रेलवे का तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ में परिभाषित रेलवे से है।

एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) की उगाही।

४—(१) एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत् शुल्क) उगाह करके राज्य सरकार को नीचे लिखे अनुसार दी जायगी—

(१) जब एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की लाइसेंसी ने पूर्ति (supply) की हो तो लाइसेंसी द्वारा,

(२) जब एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार अथवा बोर्ड द्वारा या इनकी ओर से की गयी हो तो सम्बद्ध नियुक्त प्राधिकारी (appointed authority) द्वारा,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी अपने द्वारा पूरित (supplied) उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के लिये तब तक ड्यूटी (शुल्क) देने का उत्तरदायी न होगा जब तक कि उसने तत्सम्बन्धी देय धनराशि वसूल न कर ली हो ।

(२) इस प्रकार देय ड्यूटी (शुल्क) लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा, उस एनर्जी (विद्युत शक्ति) के निमित्त जिसकी उसने पूर्ति की हो प्राप्य धनराशि पर प्रथम भार (first charge) हो गयी और यह राज्य सरकार का उसके ऊपर ऋण होगा।

(३) जब कोई उपभोक्ता नियत समय के भीतर तथा नियत रीति के अनुसार अपने द्वारा देय एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शुल्क) देने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी जैसी भी दशा हो, धारा ७ के अन्तर्गत राज्य सरकार के धनराशि वसूल करने के अधिकार को न बाधित करते हुये, ऐसे उपभोक्ता को कम से कम ७ दिन की लिखित सूचना देने के पश्चात् उसकी एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की पूर्ति (सप्लाई) का विच्छेद कर सकता है ।

(४) उपधारा (२) के प्रयोजनों के लिये लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी इंडियन एलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० की धारा २४ की उपधारा (१) के अधीन लाइसेंसी को मिले अधिकारों का प्रयोग कर सकता है,मानो कि ऐसे उपभोक्ता को दी गई एनर्जी (विद्युत् शक्ति) के संबंध में देय धन पर उक्त ड्यूटी (शुल्क) भार (चार्ज) हो। १९१० की ऐक्ट संख्या ९।

अभिलेख तथा नक़शे ।

५—(१) यदि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आज्ञा द्वारा ऐसा निर्देश करे, तो लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी ऐसे अभिलेख, ऐसी रीति तथा ऐसे आकार में रक्खेगा, जो नियत किये जायं और जिनमें निम्नलिखित प्रदर्शित होंगे:—

(क) उपभोक्ताओं (कंज्यूमर्स) को देने के लिये उत्पन्न की गयी अथवा प्राप्त एनर्जी (विद्युत शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स),

(ख) उपभोक्ता को दी गयी एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की इकाइयां (यूनिट्स) अथवा उसके द्वारा उपयुक्त इकाइयां,

(ग) उन पर देय ड्यूटी (शुल्क) की धनराशि और धारा ४ के अधीन उनके द्वारा वसूल की हुई अथवा दी हुई ड्यूटी (शुल्क), और

(घ) अन्य ऐसे ब्योरे जो नियत किये जायं।

(२) प्रत्येक लाइसेंसी अथवा नियुक्त प्राधिकारी जिसे उपधारा (१) के अधीन अभिलेख रखने का निर्देश किया गया हो, ऐसे नक्शे ऐसे आकार और रीति में प्रस्तुत करेगा जो नियत किये जायं।

(३) उपधारा (१) के खंड (क) तथा (ख) के प्रयोजनों के लिये एनर्जी (विद्युत् शक्ति) की मात्रा उस रीति से आंकी जायगी जो नियत की जाय ।

निरीक्षणाधिकारी ।

६—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा धारा ५ के अधीन रक्खे अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये, निरीक्षणाधिकारी (Inspecting officers) नियुक्त कर सकती है ।

(२) इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये निरीक्षणाधिकारी ऐसे कार्य करेंगे और ऐसे अधिकारों को उपयोग में लायेंगे जिन्हें समय समय पर नियुक्त किया जाय।

१८६० की ऐक्ट संख्या ११।

(३) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षणाधिकारी इंडियन पीनल कोड, १८६० की धारा २१ के अर्थ में पब्लिक सर्वेंट (जन-सेवक) समझा जायगा।

७—एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत शक्ति) के हिसाब में देय कोई भी धनराशि, यदि नियत समय पर और नियत रीति के अनुसार नहीं दिया गया हो, तो राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी के बकाया के रूप में निम्नलिखित से वसूल किया जा सकता है :—

(क) यदि एनर्जी (विद्युत शक्ति) की पूर्ति लाइसेंसी द्वारा की गई हो तो राज्य सरकार, जैसा चाहे उपभोक्ता से, अथवा धारा ४ की उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अधीन लाइसेंसी से; और

(ख) किसी दूसरे एनर्जी (विद्युत शक्ति) की दशा में उस व्यक्ति से जिसके द्वारा धारा ३ के अन्तर्गत ऐसे ड्यूटी (शुल्क) देय हो।

दंड।

८—यदि कोई व्यक्ति—

(क) जिसे धारा ५ के अनुसार अभिलेख रखना तथा नक्शे प्रस्तुत करना आवश्यक हो, उन्हें नियत रीति से अथवा नियत आकार में रखने में अथवा प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा

(ख) धारा ६ के अन्तर्गत नियुक्त किसी निरीक्षणाधिकारी के इस अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत अधिकार प्रयोग तथा कर्तव्य पालन में जान-बूझकर बाधा डालता है, अथवा

(ग) किसी नियम का उल्लंघन करता है।

तो वह किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा अभिशप्त होने पर (on conviction) अर्थ दंड का भागी होगा जो दो सौ रुपये से अधिक न होगा।

अपवाद।

९—इस अधिनियम में कोई बात, अपने उपयोग या उपभोगके लिये उत्पादित अथवा उस स्थिरयंत्र (प्लान) द्वारा उत्पादित एनर्जी (विद्युत शक्ति) को लागू नहीं होगी, जिसकी क्षमता (कैपेसिटी) ढाई किलोवेट से अधिक न हो।

नियम बनाने का अधिकार।

१०—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुये, इन नियमों में निम्नलिखित के लिये व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) धारा ३ के अधीन ड्यूटी (शुल्क) का [जिसके अन्तर्गत सीमान्तक समायोजन (मार्जिनल एडजस्टमेंट) भी है] हिसाब करने की कैलकुलेटिंग की रीति,

(ख) लाइसेंसी तथा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा (विद्युत् शुल्क) की उगाही और उसे राज्य सरकार को देने की रीति,

(ग) कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं-द्वारा एलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी (विद्युत-शुल्क) को देने का समय तथा रीति,

(घ) अन्य कोई विषय जिसके संबंध में राज्य सरकार के मतानुसार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये, व्यवस्था की आवश्यकता हो।

उद्देश्य और कारण

एक कल्याणकारी राज्य की उद्देश्य पूर्ति के लिये अगले तीन या चार वर्षों में विकास का जो कम से कम कार्यक्रम इस राज्य को पूरा करना है वह प्लैनिंग कमीशन द्वारा बनाई गई पंच वर्षीय योजना में दे दिया गया । इस योजना में विद्युत शक्ति की विकास योजनाओं पर १३ करोड़ ५८ लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। हमारे वर्तमान साधनों से इतने बड़े व्यय का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। किन्तु यह भी आवश्यक है कि जन-कल्याण के लिये इतना व्यय किया जाय और योजना की प्रगति में कोई बाधा न आने दी जाय। इसलिये नये साधन प्राप्त करने हैं और वह अधिकार नये करों से ही उपलब्ध किये जा सकते हैं।

यदि विद्युत शक्ति के उपभोग पर कर लगाया जाय तो वह उपभोक्ता पर बहुत हल्का भार होगा किन्तु उससे राजस्व में अच्छी वृद्धि हो सकेगी। इस विधेयक में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिससे उपभोक्ता को उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत शक्ति के अनुपात में ही कर देना पड़े। उपर्युक्त उद्देश्य से ही यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम,
वित्त तथा विद्युत मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ८२ एल० ए०—१९५२—८५०